खण्ड-139, अंक-5
शुक्रवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(3 सितम्बर, 1954 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 139 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३७१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उत्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद , श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी , श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र , श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र , श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल , श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री

श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुज राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

# प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### आई० जी० प्रिजन्स के दफ्तर में सशस्त्र पहरेदारों का दस्ता

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है कि आई० जी० प्रीजन्स के दफ्तर में सशस्त्र पहरेदारों का एक दस्ता लगाया गया है ? यदि हां, तो कब से और उसकी संख्या क्या है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। यह दस्ता १७ मार्च, सन् १९५३ से लगा हुआ है और उसमें एक हेड वार्डर और चार वार्डर शामिल हैं।

### पीलीभीत में कुछ दूकानों का जलाया जाना

*२—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत पहली अगस्त को पीलीभीत में सात दुकानें जला दी गयीं ? अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस मामले में उसकी ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—९ दुकानें जली थीं। संबंधित अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जिन लोगों की दुकानें जली थीं उनको सरकार की ओर से उचित आर्थिक सहायता दी जा रही है।

*३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि इससें कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लगभग १९,००० रु० की।

*४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार के पास इस संघर्ष के विषय में सदन के किन्हीं दो सदस्यों के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट भी आ गई है ? अगर हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज़ पर रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। प्रतिलिपि का प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितने अभियोगी अब तक कुल गिरफ्तार हो चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गिरफ्तारियां तो सौ से ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन कितने अभियुक्त निकलेंगे, यह ठीक से नहीं कहा जा सकता।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको इस बात का पता है कि जहां पर दुकानें जली हैं उसके थोड़े ही दूर पर करीब सौ गज के पुलिस चौकी थी और कोतवाली वहां से एक फर्लांग से दूर नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, इस बात का खूब पता है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री को मालूम है कि जिस समय दुकानें जलाई जा रही थीं, उस समय कोतवाली में जिलाधीश और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दोनों मौजूद थे ?

डाक्टर सम्पूर्णान --जी हां, यह भी मालूम है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी को इस बात की कोई शिकायत मिली है कि जिलाधीश अपने कार्य को उस समय पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सके, या खुद सम्प्रदायवादी मनोवृत्ति के हैं, ऐसी कोई शिकायत उनको मिली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शिकायत तो इस किस्म की दुनिया में लोग करते ही रहते हैं लेकिन जिसको एक प्रमाणित शिकायत कहते हैं, ऐसी तो मैंने कोई सुनी नहीं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी कर के बतायेगी कि अभी जिस इमदाद देने के बारे में बताया गया, वह किस किस्म की इमदाद है और कितनी इमदाद दी गयी है उन लोगों को जो बरबाद हुए हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--५,००० रु० नक़द।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें वह लोग भी शामिल थे, या उस कम्युनिटी के भी, जिनकी दुकानें जलाई गयीं या बरबाद की गयीं, जो इस वाक़ये के बाद गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--करीब ४५ उनकी तादाद है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि इस फैसले के फौरन बाद ही इस ऐवान के एक सदस्य शाहिद फ़ाख़री कलेक्टर साहब से मिलने के लिये गये और उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने बीमारी का बहाना कर के मिलने से इन्कार कर दिया और ठीक उसी वक्त तीन-चार आदमी आये, उनसे मुलाकात की और हमको इत्तला भी वहां से नहीं मिली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मालूम के माने यह हैं कि एक ख़त हमारे यहां ज़रूर आया है एक नाज़िम अली साहब कोई हैं, उन्होंने लिखा है कि शाहिद फाख़री वहां गये थे और जैसा कि ज़िक्र किया गया वह सब हुआ। भले ही शाहिद फाख़री का ज़िक्र नहीं है, मगर आप की जानकारी में ऐसा हुआ हो तो वह बात सही ही होगी।

**श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री**––क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जिस मौके पर वह दूकानें जलीं तो नीचे के हिस्से में दूकानें शाम के साढ़े छः बजे से लेकर ११ बजे तक जलती रहीं और ठीक उसी दुकान के ऊपर वाले हिस्से में पुलिस का नाका है, लेकिन उन्होंने आग बुझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––जैसा कि झारखंडे राय के सवाल के जवाब में बताया गया, वहां पुलिस चौकी है, लेकिन यह बात नहीं है कि आग बुझाने की कोशिश नहीं की गयी। पीलीभीत में कोई फायर-ब्रिगेड नहीं है, वह बरेली से बुलाया गया और जैसे ही पहुंचा, उसी वक्त कारगर तरीके पर आग बुझाने की कोशिश की गयी।

**श्री झारखंडे राय**––क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि दुकानों के जलाये जाने के कुछ घंटे पहले से ही कोतवाली में उत्तेजित भीड़ इकट्ठा थी और नारे लगा रही थी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––जी हां, इसका खूब पता है ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)––क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सात दुकानें जो जलायी गयी थीं, ये किन-किन लोगों की दुकानें थीं ? और क्यों जलाई गईं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––क्यों जलाई गईं, यह तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने जलाया। मुझसे उन्होंने इसके लिये राय तो ली नहीं थी। लेकिन जो दुकानें जलाई गयीं, वह ज्यादातर मुसलमानों की थीं और उनमें एक हिन्दू पान वाले की भी दुकान थी ?

**श्री रामसुन्दर पांडेय**––जो गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में बता दिया जाय ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें अधिकतर हिन्दू और सिक्ख हैं।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**––क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सात दुकानें जलाई गयी हैं, वह दुकानें किन चीजों की थीं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––जहां तक मेरी इत्तिला है ज्यादातर बिसातखाने की थीं।

**श्री झारखंडे राय**––क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद पहुंचा और क्यों उसमें इतनी देर हुई ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––मेरा ख्याल बरेली और पीलीभीत के बीच में कुछ मील का फासला तो है ही। बरेली इत्तिला जाने में, फायर ब्रिगेड के तैयार होने में और फिर पीलीभीत उसके पहुंचने में कुछ वक्त तो लगेगा ही।

**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह शाहिद फाख़री साहब कौन थे और किस लिये वह वहां पर गये थे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––मेरा ख्याल है कि शाहिद फाख़री साहब वही थे जो कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वह क्यों गये थे, इसका जवाब तो वही मुझसे अच्छा दे सकते हैं।

**श्री बलवन्त सिंह**––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टर साहब ने इस सदन के एक माननीय सदस्य से क्यों मिलने की कोशिश नहीं की ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**––शाहिद फाख़री साहब के नाम से जो रिपोर्ट आयी है यहां पर जिसको कहा जाता है कि उन्होंने ही लिखा है, उसमें लिखा है कि कलेक्टर साहब ने यह कहा कि मैं बीमार हूं लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि बाद में वह कुछ लोगों से मिले इसके माने हुये कि जानबूझ कर उन्होंने मिलने की स्वीकृति नहीं दी। मैंने दरियाफ्त किया है कि क्या बात है।

**श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी**--क्या मोहतरिम गृह मंत्री मेहरबानी फरमाकर बतायेंगे कि मजमुई तौर पर जो दुकानें जलीं उनके नुकसान का अन्दाजा क्या है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अध्यक्ष महोदय, यह तो तीसरे सवाल के उत्तर में बताया जा चुका है कि लगभग १९ हजार रुपये ।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या मोहतरिम मिनिस्टर साहब को यह मालूम है कि इसमें उन लोगों की भी दुकानें थीं और वह अब बिल्कुल खत्म हो गईं जो कि अभी चन्द महीने पहले जब पीलीभीत में आग लगी थी तो वहां से आकर यहां आबाद हो गये थे और अब फिर उनकी दुकानें जला दी गईं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां, इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कि पहले दंगे में भी नुक्सान पहुंचा था।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि मजमुई तौर पर जो अन्दाजा वहां की हर पार्टी के आदमियों ने लगा कर शाया भी किया और शायद वह आपके पास आया भी हो, उसका अन्दाजा ७० हजार के क़रीब है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अन्दाजे बहुत होते हैं, लेकिन जितना माल था उसके बारे में जितनी गवर्नमेंट ने कोशिश की, हर तरीके से जो सामानों की लिस्ट वगैरह से मालूम हो सका, उसके हिसाब से तो वही आता है जो १९ हजार मैंने कहा।

**श्री अब्दुल मुईज खां** (जिला बस्ती)--क्या सरकार को इसकी भी सूचना मिली है कि इस मामले में किसी फारेन एजेंसी का भी हाथ था ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी नहीं।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या गवर्नमेंट यह मेहरबानी फरमा कर बतलायेगी कि जिस तरह से तकावी का कर्ज दिया जाता है, हर दूकानदार को, जिनकी दुकानें जल चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी रक़म बिला सूद देकर, इस तरह से इनकी इमदाद करने की मेहरबानी फरमायेगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--तकावी के अन्दर यह चीज आती नहीं। लेकिन अगर किसी को रुपये की जरूरत होगी और गवर्नमेंट को लिखेगा तो गवर्नमेंट देखेगी कि किसी कायदे के अन्दर दे सकती है या नहीं। मुझे यह भी मालूम हुआ कि वहां के जो सिक्ख और हिन्दू हैं वह भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में चन्दा कर के उनकी मदद करें।

**श्री ब्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत में फायर ब्रिगेड नहीं है ?

**श्री अध्यक्ष**--इसका तो जवाब दिया जा चुका है । पहले वे कह चुके हैं कि नहीं है।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या आनरेबिल होम मिनिस्टर मेहरबानी करके यह बतलायेंगे कि जिस वक्त आग लगी और कुछ लोगों को मारा गया, उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, जिसने इस वाकये की मजम्मत की है और इस वाकये से अपनी बेताल्लुकी का इजहार किया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां, यह बिल्कुल सही है।

**श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि आग लगने के वक्त से और जब तक ब्रिगेड नहीं आया इसमें दो-तीन घंटे लगे होंगे, इस दौरान में पुलिस ने आग बुझाने की क्या कोशिश की ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जो कुछ साधन मौजूद थे, पानी वगैरह के, उसके जरिये आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड पहुंचने के पहले बहुत कुछ आग कंट्रोल में आ भी गयी थी।

**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दुकानें जो जली हैं उनमें क्या-क्या सामान था ?

**श्री अध्यक्ष**—किस क़िस्म का सामान पूछ रहे हैं ? या सामान की लिस्ट चाहते हैं ?

**श्री रामदास आर्य**—कोयला था, कपड़ा था, क्या सामान था ?

**श्री अध्यक्ष**—यानी दुकान की क़िस्म जानना चाहते हैं ?

(कोई उत्तर सदस्य महोदय ने नहीं दिया।)

**श्री भगवान सहाय**—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदय ने इस सदन के एक माननीय सदस्य से मिलने से इन्कार किया वह इस सिलसिले में कोई जांच करवायेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—इसके बारे में जवाब दिया जा चुका है कि उनको लिखा है।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जो दो आदमी जिनके मुताल्लिक कहा जाता है कि वह आग लगाते हुए पकड़े गये दूसरे ही दिन उनकी जमानत हो गयी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी हां, जमानत हुई।

**श्री रामनरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत या और जो ऐसे बलवे हुए हैं वह किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार इस देश में हो रहे हैं, कोई ऐसी इत्तला गृह विभाग को मिली है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—जी नहीं।

**श्री राजनारायण** (जिला बनारस)—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कुछ समाचारपत्रों में यह खबर निकली है कि पं० जवाहर लाल नेहरू का हाथ मजबूत करने के लिये कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बलवे कराये जाते हैं ?

**श्री अध्यक्ष**—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह आक्षेप है।

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, समाचारपत्रों में निकला है, इसलिये मैं कह रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**—लेकिन यह आक्षेप है।

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, समाचारपत्रों में यह निकला है।

**श्री अध्यक्ष**—मैंने कह दिया यह केवल आक्षेप है।

**श्री रामकुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)—दया माननीय गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि पीलीभीत में जो आग लगी थी उसकी जांच जो शाहिद फाखरी साहब ने की है उसकी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को भी दी है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—वह रिपोर्ट अखबारों में तो छपी है। जैसा मैंने निवेदन किया एक निजाम साहब हैं, उनके दस्तखत से एक कापी आयी है और यह कहा जाता है कि वह वही रिपोर्ट है जो शाहिद फाखरी साहब ने जमियत उल-उलेमा के पास भेजी थी। गालिबन वही रिपोर्ट होगी।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**---क्या मोहतरिम मिनिस्टर साहब यह बतलायेंगे कि आग लगने पर जो मुसलमान तबाह हुए और उनकी दूकानें जलीं उस पर वहां की कांग्रेस की दोनों पार्टियों ने इस फसाद की मजम्मत की है और जिनकी दूकानें जली हैं उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---कांग्रेस का हर आदमी हर गलत आदमी की मजम्मत करता है और हर बुरे काम की निन्दा करता है।

**श्री कृष्ण शरण आर्य** (जिला रामपुर)---क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि यू० पी० कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट श्री अलगूराय शास्त्री भी पीलीभीत घटना की जांच करने के लिये गये थे और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वह उधर गये थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट देखने में नहीं आयी।

## रेलों में से फर्स्ट क्लास के हटा देने से विधान मंडल के सदस्यों के टी० ए० रूल्स में परिवर्तन

*५---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रेलों में फर्स्ट क्लास हटा देने के बाद विधान मंडल के माननीय सदस्यों से संबंधित टी०ए० रूल्स में कोई परिवर्तन करने का उसका विचार है ?

**न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**---जी नहीं, इस समय सरकार के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है।

*६---**श्री झारखंडे राय**---अगर हां, तो कब तक और किस प्रकार का और नहीं तो क्यों ?

**श्री सैयद अली जहीर**---माननीय सदस्यों को फर्स्ट क्लास का यात्रिक भत्ता (travelling allowance) उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम १९५२ [U. P. Legislative Chambers (Members Emoluments) Act, 1952] की धारा २ के अधीन मिलता है, लेकिन जब तक उक्त अधिनियम का संशोधन नहीं हो जाता टी० ए० रूल्स में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री झारखंडे राय**---क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिस अधिनियम का जिक्र उत्तर नं० ६ में है उसमें कोई संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

**श्री सैयद अली जहीर**---इस वक्त कोई संशोधन का विचार नहीं है।

**श्री बलवन्त सिंह**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अगर कोई माननीय सदस्य यह भत्ता नहीं लेना चाहते तो उसको कोई मजबूरी है ?

**श्री सैयद अली जहीर**---कोई मजबूरी नहीं।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---क्या पार्लियामेंट की तरह उत्तर प्रदेश की सरकार विधान सभा के सदस्यों के लिये सदैव एक सैकिंड क्लास का पास इश्यू करने और सेशन के टाइम पर एक सैकिंड क्लास और एक थर्ड क्लास का टी०ए० देने पर विचार करेगी ?

**श्री अध्यक्ष**---इसका जवाब दे दिया गया है ?

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस तरह पार्लियामेंट के मेम्बरों को इंडियन रेलवे का एक पास दिया गया

है उसी तरह से सैकिंड क्लास का पास उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों को भी दिया जाय ?

**श्री सैयद अली जहीर**--ऐसा कोई मामला इस वक्त जेरेगौर नहीं है ।

## बलिया जिले में बाढ़ से क्षति तथा किसानों को सहायता

*७--**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**--क्या सरकार को मालूम है कि पिछले २५ दिनों से लगातार वर्षा के कारण बलिया जिले में पिछले साल ही की तरह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ?

**माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)**--वर्षा की अधिकता से जिले की सभी तहसीलों के निचले भागों में पानी जमा हो गया है, जैसा साधारणतः हमेशा होता है, परन्तु पिछले वर्ष की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

*८--**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**--क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले में मक्का, सावां तथा कोदों की फसल प्रायः सभी नष्ट हो गयी है और धान की फसल का भी अधिक भाग डूब गया है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--जिले में लगभग १८,००० एकड़ भूमि में पानी लग गया तथा कुल लगभग ३०,००० एकड़ भूमि पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है, फसल को क्या क्षति पहुंची है इसका सही अंदाज कुछ समय बाद ही लगाया जा सकेगा ।

*९--**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया के किसानों के सहायतार्थ सरकार क्या कर रही है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--किसानों को नियमानुसार मालगुजारी में जितनी छूट मिल सकती है, हानि का अंदाजा हो जाने के बाद उतनी छूट दी जायेगी । जिलाधीश को ५००० रुपया बाढ़ से रक्षा तथा अहेतुक सहायता के लिये दे दिया गया है, जिसे वे आवश्यकतानुसार खर्च कर सकते हैं ।

**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या यह सही है कि लकड़हा नदी में बाढ़ आने के कारण कुछ जानवरों और कुछ मनुष्यों की मृत्यु हुई है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--सिर्फ नाला पार करते हुए एक आदमी मरा था। इसके अलावा किसी आदमी या जानवर की मृत्यु का समाचार नहीं मिला ।

**श्री गंगा प्रसाद**--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुल कितने ऐसे गांव हैं जो कि यहां पर बाढ़ग्रस्त रहते हैं ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--गांवों की पूरी संख्या तो मैं इस समय नहीं बतला सकता । वह रकबा मैंने बतला दिया है । सूचना मिलने पर ग्रामों की संख्या बतला दी जायगी ।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि इस साल फ्लड लेबिल नीचे रहा । इस नीचे की हद को नापने के लिये उनके पास कौन सा पैमाना है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--यहां पर अभी तक तो ऐसा पैमाना नहीं रहा, किन्तु अब बाढ़ कमेटी के मुताबिक, जो डिवीजन में कायम की गयी हैं, हर जगह बाढ़ का पैमाना निश्चित किया जायगा लेकिन साधारणतः लोग देखकर बता सकते हैं तो उसके अनुसार कहा गया कि पिछले साल से बाढ़ का फ्लड लेविल नीचे रहा ।

**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**---क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि इस मर्तबा पलड नीचे रहा ऐसी रिपोर्ट सरकारी हुक्काम की तरफ से आयी है या जो लोग इमदाद का काम करते थे उन्होंने भी लिखा है कि पलड लेविल पिछले साल की निस्बत इस साल नीचे रहा ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---यह बलिया जिले की रिपोर्ट अधिकारियों की तरफ से आयी है । शार्ट नोटिस पर यह रिपोर्ट मंगायी गयी, लेकिन मालूम यह हुआ कि ३ दिन तक पानी रहा और ३ दिन के बाद लौट गया ।

**श्री जोरावर वर्मा**---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गतवर्ष फसल का ८ आना से अधिक नुकसान हुआ था ? अगर हां, तो लगान में छूट दी गयी और दी गयी तो कितनी ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---गत वर्ष के बारे में सवाल नहीं किया गया था और न उसकी इत्तिला इस वक्त मेरे पास है ।

**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ३० हजार एकड़ जमीन को नुकसान पहुंचा है वह किस तहसील की जमीन है और किस नदी से यह नुकसान पहुंचा ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---घाघरा और टोंस नदी की इत्तला मेरे पास है । यह तो पूरे जिले की बाबत सवाल है और पूरे जिले का जवाब दिया गया है, तहसील की इत्तला नहीं है ।

**श्री रामसुभग वर्मा** (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका कितना अनुमान है और वह क्या नुकसान हुआ है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---जवाब में कह दिया गया है कि नुकसान का अन्दाजा अभी नहीं लगाया गया है ।

**श्री बैजनाथ सिंह**---क्या सरकार को मालूम है कि घाघरा नदी के कारण सरेमन स्टेशन के पास कई गांवों की जमीन इस नदी से कट गयी है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---इस नदी से कितना कटाव हुआ है इसकी इत्तिला तो इस वक्त नहीं है । नदी के कारण मुमकिन है कि कट रहा हो । सूचना मिलने पर जवाब दिया जा सकता है ।

**श्री व्रजबिहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि टोंस नदी की बाढ़ से भी जिले में काफी क्षति हुई है ?

**श्री अध्यक्ष**---इसका तो जवाब दिया जा चुका है ।

**श्री व्रजबिहारी मिश्र**---क्या माननीय मंत्री इस वर्ष खरीफ के लगान में छूट देने पर विचार कर रहे हैं ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---इसका जवाब भी दिया जा चुका है ।

**श्री गंगा प्रसाद**---क्या सरकार ने बलिया जिला के जिलाधीश महोदय को कोई सूचना दी है कि जहां मालगुजारी की वसूली स्थगित करदी जाय ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिये सरकारी वसूलियां सब स्थगित कर दी गयी हैं ।

**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**---क्या यह ३० हजार एकड़ भूमि जो साधारणतः हर साल बाढ में आजाती है क्या सरकार हर साल इस ३० हजार एकड़ भूमि के रेट में छूट देती है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--यह तो जब नुकसान होता है और नियम के अन्दर ८ आना से ऊपर हो तो उसमें छूट दी जाती है। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि इस साल फल्ड लेविल बहुत नीचे रहा।

**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**--मेरा प्रश्न यह था कि जब साधारणतः ३० हजार एकड़ भूमि हरसाल बाढ़ग्रस्त हो जाती है तो इस भूमि में हरसाल रेंट में रैमिशन क्यों नहीं दिया जाता।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--रेंट में रैमिशन के बराबर का नुकसान नहीं था।

**श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह**--क्या सरकार को मालूम है कि घाघरा और लकड़हा नदी के कारण सब गांवों में बाढ़ और बरसात का पानी भर गया है ?

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--घाघरा और टोंस नदी की बाबत तो मालूम है और इस तीसरी नदी की बाबत नहीं मालूम है। घाघरा नदी में पानी बढ़ने से वहां भर गया था और वर्षा का पानी भी भर गया था।

## तारांकित प्रश्न

### रामपुर जिले में अपराध स्थिति पर पुलिस रिपोर्ट

*१--**श्री कृष्ण शरण आर्य**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को रामपुर जिले की पुलिस विभाग की ओर से वहां की पिछले एक वर्ष की अपराध स्थिति के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां।

*२--**श्री कृष्णशरण आर्य**--यदि हां, तो क्या गृह मंत्री उस रिपोर्ट की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--उस रिपोर्ट की प्रति मेज पर रखना जन हित में न होगा। अपराधों के आंकड़े संलग्न सूची में देखे जा सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

**श्री कृष्णशरण आर्य**--क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल के महीने अमृत बाजार पत्रिका, लीडर और हिन्दोस्तान टाइम्स और हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में, जो अत्यन्त विस्तृत सामाचार रामपुर के बारे में निकले हैं वे उस रिपोर्ट के अनुसार सही हैं, जो कि सरकार को प्राप्त हुई है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अगर ऐसी कोई गलत रिपोर्ट छपी होगी तो किसी गलत तरीके से यह रिपोर्ट उड़ाई गयी होगी। इस वक्त उसकी बाबत मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं।

**श्री जोरावर वर्मा**--क्या माननीय मंत्री इस अपराध स्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--रिपोर्ट की बाबत तो मैं कह चुका हूं और कुछ मैं नहीं कह सकता, बाकी अपराधों की संख्या आप कहें तो मैं पढ़ दूं ?

### आजमगढ़ जिले में ग्राम मित्तूपुर तथा अहरोला में डकैतियां

*३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत थाना मधुबन तथा अहरोला में क्रमशः मित्तूपुर तथा खजुरी ग्राम में जनवरी ८ और २९ फरवरी सन् ५४ को डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो इन डकैतियों के सम्बन्ध में कहां तक कार्यवाही हो चुकी है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी नहीं। डकैती की कोई घटना नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ?

***४--श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि थाना देव गांव तथा रोनापार में दो तीन मास के भीतर डकैतियां पड़ी हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--फरवरी, मार्च व अप्रैल, १९५४ में थाना देवगांव में एक तथा थाना रोनापार में एक डकैती की घटना हुई।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जिस रूप में मेरे पास हैं उसमें तारीख दी हुई है ८ और २९ जनवरी और जो छपा है उसमें फरवरी है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--जनवरी होनी चाहिये।

(कुछ ठहर कर)

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि मित्तूपुर की ८ जनवरी और २४ फरवरी को खजूरी में कोई वाकया होने की थाने में रिपोर्ट है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मैंने ध्यान से देखा है तारीखों को और इन तारीखों के बीच में किसी घटना की रिपोर्ट नहीं है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माननीय गृह मंत्री को पता है कि ८ जनवरी और २९ फरवरी को इन दोनों घटनाओं के बारे में अदालत में मुकदमा चल रहा है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--८ जनवरी और २९ फरवरी के हिसाब से उत्तर दे दिया है, लेकिन अगर फरवरी भी हो तो मेरा जवाब सही है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या यह सही है कि मित्तूपुर और खजुरी में जिनके घर डकैती या चोरी हुई, जिनके सम्बन्ध में पुलिस में गलत रिपोर्ट लिखी गयी उन लोगों ने मंत्री जी के पास आवेदन-पत्र दिये। यदि हां, तो जांच किसके द्वारा करायी गयी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--किसी ने आवेदन पत्र दिया है, लेकिन मामला अदालत में है, इसलिये मैं समझता हूं कि ज्यादा कहना मेरे लिये मुनासिब नहीं है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अहरोला थाना के अन्दर चोरी हुई, लेकिन अदालत ने उस चोरी के मुकद्दमे को अस्वीकार किया और ३९५ की कार्यवाही हो रही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मेरी इत्तला है कि अदालत से अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अहरौला थाना के सब-इस्पेक्टर ने कई सरकारी मुकदमों को कमजोर करने और अभियुक्तों को छुड़ाने की साजिश की है और अदालत ने उसके बारे में ऐसा रिमार्क दिया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जिन चार डकैतियों का आपने हवाला दिया है यदि इस सवाल का सम्बन्ध उनसे है तो मेरा जवाब नहीं में है।

**श्री उमाशंकर**--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि मित्तूपुर ग्राम थाना मधुबन में घनराज यती के घर सशस्त्र लोग आये थे, यदि आये थे तो क्यों आये थे, इस सम्बन्ध में सरकार को क्या रिपोर्ट मिली है ?

**श्री अध्यक्ष**--जब अदालत में मुकदमा मौजूद है, तो उस पर वहां कार्यवाही होगी, सरकार इस पर प्रकाश नहीं डाल सकती।

**श्री उमाशंकर**--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जिस गांव की घटना है उस गांव के पास ही श्री राम सुन्दर पांडेय एम०एल०ए० का गांव है और इस डकैती की इत्तला होने पर सुबह ही वे वहां पहुंचे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अगर ऐसी बात हुई होगी तो रामसुन्दर पांडेय जी ने जरूर अदालत में गवाही दी होगी और निश्चय ही अदालत गवाही को पूरा मूल्य देगी।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री जी को यह मालूम है कि जिला आजमगढ़ के सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने मित्तूपुर डकैती के सम्बन्ध में कोई बयान दिया था, जिसकी प्रतिलिपि सरकार के पास भी आयी थी ?

**श्री अध्यक्ष**--कहां बयान दिया था ?

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--अखबारों में निकला था और सरकार के पास भी उसकी कापी आयी थी।

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--कहा जाता है कि उनका कोई बयान निकला था, लेकिन चूंकि सब मामला अदालत से संबंधित है, इसलिये उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

## जौनपुर जिले में बन्दूक के लाइसेंस

*५--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ तथा मार्च, १९५४ तक जौनपुर जिले में कितने व्यक्तियों को बन्दूक का लाइसेंस दिया गया ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--१९५२ में ४९, १९५३ में ४७ तथा ३१ मार्च, १९५४ तक ७ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये।

*६--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जानवरों को मारने के लिये जिला जौनपुर में कितने फ्री लाइसेंस दिये गये हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--५२।

**श्री बाबूनन्दन**--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि ३१ मार्च सन् ५४ से कितनी दरख्वास्तें बंदूकों के लिये पड़ी थीं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

*७--**श्री बाबूनन्दन**--[२४ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

## जिला मुरादाबाद में राजा का सहसपुर शुगर फैक्टरी के गन्दे पानी को आरी नदी में डालने के सम्बन्ध में शिकायत

*८--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुगर फैक्टरी राजा का सहसपुर जिला मुरादाबाद के गन्दे पानी को आरी नदी में डालने के सम्बन्ध में कोई शिकायत उनको मिली है जिसमें यह कहा गया है कि इस गन्दे पानी को नदी में डालने से जनता का उपयोगी पानी नष्ट हो जाता है और सरकार को भी लगभग दस हजार रुपए की हानि होती है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

*९--**श्री महीलाल**--यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--प्रश्न नहीं उठता।

**श्री महीलाल**--क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न को शिकायत के रूप में मान सकते हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां, जरूर मान सकता हूं और उसकी बाबत यह स्थिति भी बतला देना चाहता हूं कि यह बात सही है कि उस मिल का कुछ गन्दा पानी नदी में जाता है। यह शिकायत केवल इस मिल की बाबत नहीं है, बल्कि प्रदेश के करीब-करीब जितने भी कारखाने हैं उन सब की बाबत है। मैं इस सदन में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठायी थी, उस कमेटी की कुछ सिफारिशें आयीं और उन सिफारिशों के अनुसार दो-तीन बातें हुयीं हैं। एक बात तो यह हुयी है कि यू०पी० फैक्टरीज रूल्स ५० के नियम के १८ के अनुसार जो इसके चीफ इंसपेक्टर हैं उनको हर फैक्टरीज के लिये आदेश दिया गया है कि वे अपने यहां, कहां कहां, किस तरह नाली बनावें और किस तरह से गन्दा पानी को जमा करके सफाई आदि का प्रबन्ध करें। इसके अलवा जो नये नियम बने हैं वे ११ अगस्त के गजट में छपे हैं ताकि पब्लिक की राय जान सकें। तीसरी बात जिसका मैं इस सदन में जिक्र कर चुका हूं कि जो हाइजनिक इंस्टीट्यूट है उसमें इस बात पर रिसर्च हो रहा है कि इन फैक्टरीज का जो पानी है उसको किस तरह से साफ किया जा सकता है और किस तरीके पर उसका उपयोग हो सकता है। इतनी कार्य-वाही हो चुकी है और यह सब कारखानों के लिये लागू है।

**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी कमेटी के सदस्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--यह तो तीन-चार वर्ष का जमाना हो चुका है। मुझे कमेटी के सब मेम्बरों के नाम इस वक्त याद नहीं हैं।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किसी शुगर फैक्टरी के पास कोई वैज्ञानिक तरीका इस पानी को साफ करने का है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं है।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इंस्पेक्टर जिसका कि उन्होंने अभी उल्लेख किया है, उनके आदेशानुसार कितनी-कितनी फैक्टरियों में विषैले पानी को दूर पहुंचाने के लिये नालियां बन चुकी हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इस तरह के काम में काफी रुपया लगता है। जहां तक मैं समझता हूं पूरी तरह से किसी फैक्टरी में काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन काम थोड़ा बहुत हो रहा है और मैं समझता हूं कि तीन-चार महीने के बाद जब नये सीजन का वक्त आ जायगा तब शायद काफी काम फैक्टरियों में हो चुका रहेगा।

## फैक्टरियों के लेबर वेलफेयर अफसरों के सर्विस रूल्स में संशोधन

*१०--**श्री गेंदा सिंह**--क्या प्रदेश की फैक्टरियों में लेबर वेलफेयर अफसरों के सर्विस रूल्स को सरकार संशोधित करने जा रही है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां। उत्तर प्रदेश फैक्टरीज वेलफेयर अफसरों के वर्तमान नियमों (१९४९) में जो अभाव पाये गये हैं उन्हें दूर करने के विचार से इन नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

**श्री गेंदा सिंह**---क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे और उन अभावों पर रोशनी डालने की मेहरबानी करेंगे जिनकी वजह से संशोधन किये जा रहे हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---दो तीन वर्ष से नियम चालू थे। समय-समय पर कई कारखानों में कई दिक्कतें हुईं। माननीय सदस्यों ने यह भी देखा होगा कि इधर कुछ अदालतों के फैसले ऐसे हुए जिससे इन रूल्स के अनुसार काम करने करने में दिक्कत हुई। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

**श्री गेंदा सिंह**---क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों या मजदूरों और मिलमालिकों से भी कुछ सुझाव लेने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---कायदे के अनुसार यह सब २६ मार्च के गजट में छपा था और उसमें यह छपा था कि तीन-चार महीने या इतने दिनों के भीतर जो लोग भी इस मामले में दिलचस्पी रखते हों वे अपनी राय इस सम्बन्ध में दें और सम्भवतः लोगों ने राय दी होगी।

**श्री गेंदा सिंह**---ऐसा लगता है कि शायद वह मियाद बीत गयी है तो क्या आप सुझाव लेने के लिये कुछ और मियाद बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---मैं इस पर सोच सकता हूं। मैंने अभी देखा नहीं है कि किन किन लोगों ने इसके बारे में अपने सुझाव भेजे हैं। अगर देखने में यह बात आयी कि काफी सुझाव नहीं आये हैं तो जरूर मियाद बढ़ायी जा सकती है।

## डाकू मानसिंह की गिरफ्तारी के प्रयास में व्यय

*११---**श्री गंगा प्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुख्यात डाकू मानसिंह की गिरफ्तारी के प्रयास में प्रदेशीय सरकार को जनवरी सन् १९५३ से अप्रैल, १९५४ तक कितना धन व्यय करना पड़ा ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---१७,२३८ रु०।

*१२---**श्री गंगा प्रसाद**---क्या सरकार को डाकू मानसिंह से कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखेगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

**श्री गंगा प्रसाद**---क्या मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १७,२३८ रुपए का खर्च बताया गया है क्या यह अधिकारियों के टी०ए०,डी० ए० या पुलिस के भेजने में हुआ है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---पुलिस के वेतन में खर्च होने का सवाल तो यों नहीं पैदा होता, क्योंकि उनको तो वैसे ही पहले से मिलता ही रहता है, हां २,००० रुपया चार्जिग एलाउन्स का हुआ है और एक टेम्पोरेरी ओहदा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का ४ महीने १५ दिन के लिये बनाया गया था और एक ओहदा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का ८ महीने ११ दिन के लिये बनाया गया था और इनमें उनके वेतन में १५,२३८ रुपया खर्च हुआ है।

**श्री शिवकुमार शर्मा** (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाकू मानसिंह द्वारा कुछ सरकारी कर्मचारी और थानेदार वगैरह मारे गये हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--आज ही एक सवाल आगे आ रहा है उस में ब्योरा दिया हुआ है ।

**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अखबारों में जो निकला है कि डाकू मानसिंह अपने दुश्मनों का सफाया करके इलाका छोड़ कर तीर्थयात्रा के लिये गया है, क्या यह बात सही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अगर वह तीर्थयात्रा के लिये गया है तो उसने अब तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी है ।

**श्री झारखंडे राय**--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि डाकू मान सिंह ने सरकार के पास ऐसी कोई प्रार्थना भिजवाई है कि अगर उसे प्राण भीख दे दी जाय तो वह यह काम छोड़कर शांत जीवन-यापन करने की कोशिश करेगा ?

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न १२ के जवाब में इसका जवाब हो चुका है ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मानसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार और प्रदेशीय सरकार हाथ बंटा रही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां, मध्य भारत और राजस्थान दोनों सरकारें सम्मिलित हैं इस काम में ।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो खर्च मानसिंह को पकड़ने के लिये किया जा रहा है, उसमें मध्य भारत सरकार का भी कुछ हिस्सा है है या सब प्रदेशीय सरकार का ही हो रहा है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--प्रत्येक सरकार अपने अफसरों और सिपाहियों पर खर्च करती है ।

**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी मानसिंह की अवस्था बताने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--सुनते हैं कि ६० वर्ष के लगभग है ।

## १९५२-५३ में जौनपुर जिले में बन्दूक के लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

*१३--**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सन् १९५२ और १९५३ में कितने व्यक्तियों ने बन्दूक का लाइसेंस लेने का आवेदन-पत्र दिया और उसमें से कितनों को दिया गया ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--सन् १९५२ में १७१ तथा १९५३ में १८४ व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिया, जिसमें से क्रमशः ४९ तथा ४७ को लाइसेंस दिया गया ।

**श्री बाबूनन्दन**--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने लाइसेंस के लिये दरख्वास्तें दी हैं और उन पर कोई विचार नहीं किया गया है उसका क्या कारण है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय में उनको लाइसेंस देना उचित नहीं था ।

## जौनपुर जिले के थानों में ग्राम रक्षा समितियां

*१४--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के किस-किस थाने में कितनी-कितनी ग्राम रक्षा समितियों का संगठन हो गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६२ पर।)

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों के क्या अधिकार और क्या कर्त्तव्य हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बा प्रश्न है जिसकी बाबत इस सदन में कई बार जिक्र हो चुका है । थोड़े में, मैं यह कह सकता हूं कि अधिकार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । यह गांवों के लोगों की संस्था है और इसलिये बनी है कि आपस में मिल-जुल कर रक्षा करें और डाकुओं या और किसी तरफ से गांव पर कोई आक्रमण हो तो उससे गांव को बचावें ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों का चुनाव किसने और किस ढंग से किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह कई बार जिक्र हो चुका है । उसमें कोई चुनाव का सवाल नहीं है । जो भी गांव का रहने वाला है वह मेम्बर हो सकता है ।

*१५-१६--श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--[२४ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

## गोरखपुर जिलें में थाना बड़हलगंज के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१७--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार के पास बड़हलगंज थाना (गोरखपुर) की जनता की ओर से तथा वहां की जन संस्थाओं की ओर से बहुत सी शिकायतें थाना अधिकारियों के विरुद्ध आयी हैं ? अगर हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी कुछ शिकायतें आयी थीं । उनमें पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत, जनता पर जुल्म करने और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही न करने की शिकायत की गयी ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो शिकायतें आयी थीं उसमें ऐसी भी शिकायत थी कि खद्दर भंडार के एक प्रमुख कर्मचारी को वहां थानेदार ने बुरी तरह से पिटवाया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ कसाइयों के पीटे जाने की शिकायत तो इसमें जरूर है और खद्दर भंडार की बाबत तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हां, इतना कह सकता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें दिलचस्पी ली थी और मुमकिन है ऐसी कोई शिकायत उन्होंने करवाई हो । मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह जांच किसके जरिये से करायी गयी थी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने जिन अधिकारी से उचित समझा, सरकिल इंस्पेक्टर वगैरह से उन्होंने जांच करवाई ।

**श्री झारखंडे राय**--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह सही है कि वह जांच यहां के स्थानीय थानेदार के जरिये से ही करायी गयी थी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इस बात की सूचना तो नहीं है । इतना और कह दूं कि जिस आफिसर के बारे में इसमें चर्चा है वह पेंशन पर चले गये हैं ?

**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन संस्थाओं की ओर से शिकायतें आयी थीं उन संस्थाओं के प्रमुख व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--संस्था तो जहां तक मैंने देखा है एक ही संस्था है और वह वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है । उसमें कुछ लोगों के नाम दिये हुए हैं । श्री आबदी साहब, एक मीटिंग हुई थी उसके प्रेसीडेंट थे । उनके अलावा, श्री रामनारायण सिंह, कम्युनिस्ट सेल कमेटी, बड़हलगंज, मौलवी बदीउज्जमा साहब और श्री राम प्रसाद तिवारी, बड़हलगंज । यह तीन चार नाम तो मैं बता सकता हूं । जहां तक संस्था की बात है सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के और किसी संस्था की ओर से कोई शिकायत नहीं आयी ।

*१८--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--शिकायतों की जांच करायी गयी परन्तु वे निराधार साबित हुईं ।

## थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया के ग्राम डूहा के दो दलों में संघर्ष

*१९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, सन् ५४, में थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया, ग्राम डूहा के अन्तर्गत दो दलों में संघर्ष हुआ था और गोली भी चली थी ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां । बाद में आपसी समझौता हो जाने के कारण शांति भंग होने की आशंका नहीं रही इस । कारण जिला अधिकारियों ने किसी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी ।

**श्री राम सुन्दर पांडेय**--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना क्यों घटी और गोली क्यों चली ? क्या कुछ आदमी इसमें गिरफ्तार भी किये गये थे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--इस गांव में एक साहब हैं जिनका नाम है हरनारायण सिंह और दूसरे एक साहब हैं कमलापति त्रिपाठी, मेरा मतलब माननीय सूचना मंत्री से नहीं है । उनके मकान पास-पास हैं । जब झगड़ा हुआ तो हरनारायण सिंह जी अपने मकान की दीवार बनवा रहे थे और त्रिपाठी जी ने उसे रोकने की कोशिश की । रामनारायण त्रिपाठी ने बंदूक से हवा में फायर किया और इसमें झगड़ा हुआ लेकिन चूंकि इसके बाद गांव वालों में समझौता हो गया इसलिये आगे कुछ कार्यवाही नहीं हुई ।

## गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से संबंधित जांच समिति की सिफारिशों की रिपोर्ट तथा उस पर सरकारी कार्यवाही

*२०--**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि २७ मार्च, सन् ५३ के प्रश्न सं० ६ और ८ के उत्तरों में उल्लिखित गन्ना फैक्टरियों के

दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से संबंधित जांच समिति की सिफारिशों पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--एफ्लुएंट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है और उसमें की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा चुकी है :--

१--चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्टरीज उत्तर प्रदेश ने प्रदेश की समस्त गन्ना फैक्टरियों, डेरियों, डिस्टिलरियों, टैनिरियों, टेक्सटाइल मिलों और पेपर मिलों को यह आदेश जारी किया है कि वे अपने गन्दे पानी को प्रारंभिक अवस्था में साफ करने के लिये उचित आकार के सेटिलमेंट और फिलट्रेशन टैक्स तथा साफ किये पानी को नदियों, तालाबों तथा अन्य जलमार्गों से बहा कर ले जाने के लिये पक्की नालियां बनवायें और उनको समय-समय पर साफ और अच्छी दशा में बनाये रखने की उचित व्यवस्था करें। जारी किये गये आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

२--यू० पी० फैक्टरीज रूल्स, १९५० के नियम १८ में उपरोक्त आशय से संशोधन किया जा रहा है और उपनियम (२) के आगे कुछ और उपनियम जोड़े जा रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव सरकारी गजट में सब की सूचना और उन पर आपत्तियां करने तथा सुझाव देने के लिये प्रकाशित किया जा चुका है। इन उपनियमों में फैक्टरियों द्वारा उचित आकार के सेटिलमेंट और फिल्ट्रेशन टैक्स तथा पक्की नालियां बनवाने, उनको साफ और अच्छी दशा में रखने, गन्दे पानी को विशेष अंश तक साफ करने और उसकी समय-समय पर जांच करने आदि के विषयों पर आवश्यक निदेशों का समावेश है। संशोधन प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

३--अभी हाल ही में कमेटी की अन्वेषण सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि मिलों से निकले हुए इस गन्दे पानी को साफ करने के तरीकों और उसको सिंचाई आदि के काम में लाने एवं उससे उत्पन्न होने वाले रोगों और उनकी रोक-थाम के विषयों पर उद्योग, पब्लिक हेल्थ और कृषि विभाग की ओर से प्रांविशियल हाईजीन इन्स्टीट्यूट लखनऊ में अन्वेषण कार्य किया जाय। जारी किये गये आदेशों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। इन सब कार्यवाहियों से सरकार को आशा है कि प्रदेश के कारखानों से निस्सरित गन्दे पानी की समस्या का समुचित निदान हो जायगा।

***२१--श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या सरकार उपरोक्त सिफारिशों की पूरी रिपोर्ट मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--*रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गयी है।

**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदेश पालन किन-किन मिलों द्वारा हुआ और यदि नहीं तो, क्यों ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अध्यक्ष महोदय, अभी पांच सात मिनट हुए श्री वीरेन्द्र वर्मा के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। आप कहें तो फिर दोहरा दूं।

**श्री अध्यक्ष**--नहीं। इतना संकेत काफी है।

---

*रिपोर्ट छापी नहीं गयी।

**श्री बद्री नारायण मिश्र**--क्या माननीय गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि जो आदेश-पत्र शुगर फैक्टरियों को जारी किये गये हैं, वह किस भाषा में दिये गये हैं ? अगर अंग्रेजी में दिये गये हैं तो उसका हिन्दी अनुवाद कराने की कृपा करेंगे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--आदेश अंग्रेजी में दिये गये हैं इस ख्याल से कि फैक्टरी वाले अंग्रेजी जरूर जानते होंगे और अगर हिन्दी के लिये आपकी आज्ञा हो तो मैं अनुवाद कराने की कोशिश करूं। लेकिन ऐसा करने से इसमें टेक्निकल शब्द आ जायंगे।

**श्री अध्यक्ष**--उनका मतलब मजदूरों से है, उनके समझने के लिये वे हिन्दी में चाहते हैं।

**श्री बद्रीनारायण मिश्र**--क्या कोई खास दिक्कत है कि जिसकी वजह से हिन्दी में आदेश नहीं दिये जाते ? क्या फैक्ट्री वाले हिन्दी नहीं समझते ?

**श्री अध्यक्ष**--यह तो आप बहस कर रहे हैं।

**श्री बद्रीनारायण मिश्र**--मैं चाहता हूं कि जब राज्य भाषा हिन्दी है...

**श्री अध्यक्ष**--आप कृपया बैठ जायं।

**श्रीमती प्रकाशवती सूद** (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि फैक्टरियों का गंदा पानी जहां जाता है उसके आस-पास के जो लोग रहने वाले हैं उन के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां, अगर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता तो कमेटी बैठाने की आवश्यकता ही न होती।

**श्री रतन लाल जैन**--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि यह दुर्गन्धित और गंदा पानी खेती के लिये लाभदायक है और खाद और सिंचाई दोनों का काम करता है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां, मालूम है। सवाल अब यह है कि ऐसा तरीका निकालना चाहिये, जिससे पेड़ों को फायदा हो और आदमी को नुकसान न हो। इस पर रिसर्च हो रही है।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय गृह मंत्री जी गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित और विषैले पानी का दूषित बहाव देखते हुए और मिलमालिकों की अकर्मण्यता के ऊपर गौर करते हुए पुनः आदेश जारी करेंगे कि वह सफाई का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करें ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--जी हां। आदेश जारी किया जायगा। केवल अकर्मण्यता का सवाल नहीं है। इसमें लाखों रुपया लग सकता है। सच बात यह है कि अपने प्रदेश में और देश में बहुत कम जगह ऐसी चीजें हुई हैं, यह एक नई चीज है। तो किसी जगह पर आदेश जारी करने के लिये यह देखना पड़ता है कि देश की सामाजिक अवस्था क्या है ? ऐसा नादिरशाही हुक्म नहीं जारी किया जा सकता जिसका अमल न हो।

**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि फ़ैक्ट्रियों के अगल-बगल में इस विषैले पानी से जो भयंकर दुर्गन्ध निकलती है इसकी वजह से आस पास के गांवों के लोग अपने गांव छोड़कर चले गये हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--चले गये या नहीं, लेकिन तकलीफ लोगों को होती होगी। और जैसा मैंने कहा कि इस पर रिसर्च हो रहा है कि क्या तरीका निकाला जाय कि पानी से कम से कम नुक्सान हो सके और ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा हो सके।

**श्री गेंदा सिंह**--क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जो सिफारिशें कमेटी ने की हैं उन सिफ़ारिशों के अनुसार अगले वर्ष सीजन के पहले ऐसी व्यवस्था हो जायगी कि इस गंदे पानी से लोगों के स्वास्थ्य को नुक्सान न पहुंचे ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यह तो नहीं कह सकते कि पूरी हो जायगी लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले सीजन तक फ़ैक्ट्रियों में काम शुरू हो जाय और आशा करते हैं कि उसमें कामयाबी भी होगी।

## अंधे, लूले और लंगड़ों की शिक्षा का प्रबन्ध

*२२--**श्री राम दुलारे मिश्र**--क्या सरकार १६ दिसम्बर, १९५३ के प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि लूले और लंगड़ों की किस तरह की शिक्षा का प्रबन्ध शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है ?

**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)**--अन्धों के लिये विशेष प्रकार की शिक्षा का आयोजन है, किन्तु लूले-लंगड़ों के लिये कोई अलग प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह राज्य के किसी भी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

**श्री राम दुलारे मिश्र**--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अंधों की शिक्षा का प्रबन्ध कहां-कहां और किस प्रकार है ?

**डाक्टर सीताराम**--गवर्नमेंट एडेड ९ इंस्टिट्यूशन्स में शिक्षा का प्रबन्ध है। इस भांति शिक्षा का केन्द्र यह है:--

१--श्री लाल सिंह, मान सिंह अन्ध आश्रम, मैनपुरी।
२--शार्प मेमोरियल अन्ध विद्यालय, राजापुर, देहरादून।
३--राष्ट्रीय अन्ध विद्यालय, कानपुर।
४--अन्ध विद्यालय, नैनी, इलाहाबाद।
५--अन्ध विद्यालय, मदौनी, बनारस।
६--काशी सेवा समिति अन्ध विद्यालय, बनारस।
७--अन्ध विद्यालय, खैराबाद, सीतापुर।
८--अहमदिया अन्ध विद्यालय, अलीगढ़।
९--डेफ़ ऐन्डडम्ब विद्यालय, ऐशबाग़, लखनऊ।

## आगरा जिले के अर्दाया ग्राम में पुलिस द्वारा अश्रु गैस का प्रयोग

*२३--**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि विगत जून मास में आगरा जिले के ग्राम अर्दाया में पुलिस ने समस्त ग्राम निवासियों के ऊपर आंसू गैस का प्रयोग किया ? यदि हां, तो क्यों ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--आंसू गैस का प्रयोग केवल कुछ लोगों पर किया गया न कि समस्त ग्रामवासियों पर। जिस परिस्थिति में यह कार्यवाही करनी पड़ी उसका विवरण सदन में हाल में ही विस्तार से दिया जा चुका है।

*२४--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त घटना के फलस्वरूप कितने अर्दाया ग्रामवासी गिरफ्तार किये गये तथा इनमें कितनी स्त्रियां तथा बच्चे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक भी नहीं।

## जैतपुर क्षेत्र में मानसिंह डाकू के दल और पुलिस में मुठभड़

*२५--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैतपुर क्षेत्र में जून माह में कितने मुखबिर और पुलिस कर्मचारी मानसिंह डाकू के दल द्वारा मार डाले गये और किन-किन परिस्थितियों में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१६ जून सन् १९५४ को ग्राम नयापुर, थाना जैतपुर में एक जगह कथा हो रही थी। अचानक मान सिंह के गिरोह ने उस पर हमला कर दिया और गोलियां चलाईं जिसके फलस्वरूप ३ व्यक्ति मारे गये और ४ घायल हुये। यह गिरोह आसाराम मुखबिर को मारने आया था परन्तु वह न मिल सका।

इस हमले की खबर पाकर पुलिस की टुकड़ियां डाकुओं के गिरोह की खोज में फौरन रवाना हो गईं। १७ जून सन् १९५४ को दोपहर के समय जब कि पुलिस हथकन्ट घाट पर पहुंची तो चम्बल नदी के दूसरे किनारे से मान सिंह के गिरोह ने अचानक पुलिस पार्टी पर तेजी से गोलियों की बौछार शुरू कर दी जिसमें दो मुखबिर और दो पुलिस कर्मचारी मारे गये।

*२६--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या गृह मंत्री को यह विदित है कि जैतपुर क्षेत्र में पुलिस और डाकुओं में जो मुठभेड़ हुई उसमें स्टेनगन, ३०३ की राइफलें और टामी गनों का इस्तेमाल हुआ ? यदि हां, तो यह हथियार डाकुओं को कहां से मिलते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

*२७--२८--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--[२४ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९--३०--श्री रामचन्द्र विकल--[२४ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१--श्री झारखंडे राय--[२४ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

## सरकारी सहायता प्राप्त पुस्तकालयों को विशेष फर्म से पुस्तकें खरीदने के सम्बन्ध में सरकार का परिपत्र

*३२--श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले पुस्तकालयों के लिये किसी विशेष फर्म से पुस्तकें खरीदने के लिये कोई परिपत्र जारी किया है ? यदि हां तो, क्यों और उस फर्म का क्या नाम है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--(१) जी हां।

(२) सस्ता साहित्य मंडल देहली से।

(३) पुस्तकें लेने का कारण यह था कि उक्त फर्म महात्मा गांधी सम्बन्धी साहित्य छापता है जिसका पुस्तकालयों में अभाव है अतः उनकी पूर्ति आवश्यक जानी गई।

## झांसी जिले में बन्दूकों के लाइसेंसों के लिये प्रार्थना-पत्र

*३३--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के गत वर्ष कारतूसी व गैर कारतूसी बन्दूकों के लाइसेंसों के लिये कितनी-कितनी अर्जियां पेश हुई थीं और उनमें से कितनी-कितनी स्वीकृत व कितनी-कितनी अस्वीकृत हुईं तथा कितनी अभी विचाराधीन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३३ आंकड़े इस प्रकार हैं :

| | कारतूसी बन्दूक के लिये | गैर कारतूसी बन्दूक के लिये |
|---|---|---|
| १--संख्या अर्जियों की जो पेश हुईं .. | ११५ | १५० |
| २--स्वीकृत हुईं .. | ३० | १८ |
| ३--अस्वीकृत हुईं .. | ३५ | ६५ |
| ४--विचाराधीन हैं .. .. | ५० | ६७ |

## राजकीय संस्कृत डिग्री कालिज बनारस पर वार्षिक व्यय

*३४--श्री भगवानसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय संस्कृत डिग्री कालेज बनारस में कितने लड़के पढ़ते हैं तथा इस पर कितना सालाना व्यय होता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--४३० छात्र तथा २,०१,६०४ रु० वार्षिक अनुदान व्यय के लिये स्वीकृत है।

*३५--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन कालिजों में कितने लड़कों को वजीफा व कालिज व Hostel की Freeship मिली हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--१३१ को छात्र-वृत्ति दी जाती है तथा सभी छात्र निःशुल्क पढ़ते और निःशुल्क होस्टलों में रहते हैं।

*३६--श्री नेकराम शर्मा--[३१ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

## बनारस जिले में थाना चकिया के अन्तर्गत वारदातें

*३७--श्री राम लखन (जिला बनारस)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना चकिया, जिला बनारस में जनवरी सन् ५२ से अक्तूबर, सन् ५३ तक कुल कितने चोरी, नक़बजनी, डकैती, राहजनी, क़त्ल एवं मामूली मार-पीट की रिपोर्ट थाने में की गई ?

*३८--श्री रामलखन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से कितने मामलों को पुलिस ने चलाया, कितने मुकदमों में सजायें हुई तथा कितने छूट गये ?

*३९--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त समय के अन्दर उस थाने में कितने १०७/११७ ताजीरात हिन्द तथा १४५ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही पुलिस ने की और उनमें से कितने मामलों में दण्ड दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६३ पर।)

*४०--श्री देवकी नन्दन विभव--[१७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१--श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)--[१७ सितम्बर १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

## नैनीताल के पट्टी कौटोली के छोढ़ी गांव के तोकधुरा में पीने के पानी के कष्ट का निवारण

*४२--श्री खुशीराम--(जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नैनीताल के पट्टी तल्ली कौटोली के छोढ़ी गांव के तोकधुरा में पीने का पानी करीब १ १/२ मील से लाना पड़ता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

*४३--श्री खुशी राम--क्या सरकार इस धुरा गांव में पीने के पानी का कष्ट निवारण हेतु इसी गांव के सिरे से नलों द्वारा पानी लाने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नैनीताल जिला में जल योजना के हेतु एक लाख रुपया का अनुदान दिया गया है और आशा की जाती है कि हरिजन कमेटी इस पर विचार करेगी और इस असुविधा को दूर करेगी।

---

## ३१ अगस्त, १९५४ के प्रश्न ४६-४८ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन

श्री अध्यक्ष--(श्री राममूर्ति जी से) अब तो आप कल सही उत्तर देंगे या अगले दिन दीजियेगा। अगर थोड़ा सा संशोधन हो तो मैं आज ही इजाजत दे दूं।

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, थोड़ा ही है।

श्री अध्यक्ष--अच्छा तो आप पढ़ दीजिये।

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, पिछले मंगलवार को ४६, ४७, ४८ नम्बर के सवाल श्री गजेन्द्र सिंह जी ने इटावा में कोआपरेटिव ट्यूब वेल्स के सम्बन्ध में किये थे। उन्होंने एक सप्लीमेंट्री यह किया था कि वहां का रेट बड़ा मंहगा पड़ता है। मैंने उसके जवाब में भ्रम-वश यह कहा था कि ४ रुपया घंटे का रेट पड़ता है। उसमें ढाई रुपया किसान को देना पड़ता है और डेढ़ रुपया सरकार सब्सिडी के तरीके पर देती है, यह ग़लत है। सिर्फ़ यही जवाब था कि अगर बिजली से चलायें जायेंगे और एक हजार घंटे से अधिक साल भर चलेंगे तो रेट सस्ता हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--इस प्रकार उत्तरों को दुरुस्त कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि आपने अगर लिखित दुरुस्ती न भेजी हो तो उसे मेरे पास भेज दीजियेगा।

## बनारस जिले में सूखा से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है कि "बनारस जिले में इस साल जो भयंकर सूखा पड़ा है उसने अन्न तथा चारे के लिये एक जटिल समस्या पैदा कर दी है। अब तक सूखा ग्रस्त क्षेत्र में सरकार की उपेक्षा से जो विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है उस पर विचार करनेके लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं इसको कुछ निश्चित भी नहीं समझता हूं क्योंकि यह इसी वर्ष का सवाल है और अब भी बरसात जारी है, दूसरी बात इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से उपेक्षा हुई या नहीं इत्यादि के बारे का है। उसके बारे में कल जिस विषय पर थोड़ी चर्चा हो चुकी है। वह ऐसा विषय था कि वक्ताओं के भाषणों में जो कुछ भी आपत्ति पानी के बरसने या न बरसने से हुई है उसका जिक्र करीब-करीब सभी जगहों का आ चुका था। उस चर्चा में कोई इस किस्म की सूखे की चर्चा भी कहीं नहीं आयी थी। अगर यह बात निश्चित होती तो कुछ जिक्र जरूर आ जाता। मैं समझता हूं कि ऐसी अवस्था में अनिश्चितता के कारण और चूंकि यह विषय प्रांत व्यापी महत्व का न होने के कारण मैं इसे उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता।

## हाउस ओनर्स एसोसियेशन की ओर से यू० पी० (टेंपोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन)--- विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में याचिका

श्री अध्यक्ष--श्री राजकिशोर राव, एम०एल०ए० ने कोई याचिका मेरे पास भेज दी थी। वह चाहते थे कि सदन में जो विधेयक प्रस्तुत है उसके ऊपर एक याचिका यानी पैटीशन यू० पी० हाउस ओनर्स एसोसियेशन की तरफ से सदन की सेवा में वह उपस्थित करना चाहते थे। अगर वह उपस्थित हों तो कृपा करके नियम २०९ के अनुसार वह उपस्थित कर सकते हैं (कुछ ठहर कर) क्योंकि वह उपस्थित नहीं हैं और याचिका को उपस्थित नहीं करना चाहते हैं, इसलिये इसका सवाल समाप्त हुआ।

## *यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब अन्न मंत्री जी के प्रस्ताव पर कि यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा। श्री नारायण दत्त तिवारी अपना भाषण जारी रखेंगे।

( एक क्षण के अनन्तर )

श्री नारायण दत्त तिवारी नहीं हैं, क्या माननीय नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के सम्बन्ध में उन्होंने अपना मत पेश कर दिया है अब गवर्नमेंट को जो कुछ कहना हो, कहे।

---

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण जी से) आप भाषण देना नहीं चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--जी नहीं।

*अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल का बहुत ही अनुगृहीत हूं क्योंकि उन्होंने मेरी उस प्रार्थना को जो कि मैंने कल उनसे सदन के बाहर की थी स्वीकार कर लिया है और वह अब इस बिल को प्रवर समिति में भेजना नहीं चाहते हैं। कल नारायण दत्त जी तिवारी ने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये जो बातें कही थीं मैं उनके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कमेटी इस विधेयक के बनाने के पूर्व नियुक्त की थी, उस कमेटी ने काफी समय व्यतीत करके और सब पहलुओं के ऊपर विचार करके कुछ संशोधन इस नये विधेयक के लिये सरकार के सामने उपस्थित किये थे। उन संशोधनों में से कई संशोधन ऐसे हैं, जिन्हें सरकार ने स्वयं इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया है और जो संशोधन इस विधेयक के सिलसिले में माननीय सदस्यों की तरफ से और विरोधी दल की तरफ से आये हैं, उन में से कोई ऐसे संशोधन नहीं हैं जिनके ऊपर यह सदन स्वयं विचार न कर ले और प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता समझे। तो जो विषय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रवर समिति के सामने जाने के लिये इस सदन में छेड़ा था, उसकी कोई अहमियत मेरी नजर में इस समय नहीं है और जैसा कि मैंने अभी कहा, उस दृष्टिकोण से नेता विरोधी दल भी अब सहमत हो गये हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि कोई और बात लम्बी चौड़ी इस विषय में कहूं।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि इस अधिनियम की अवधि इस महीने की आखिरी तारीख को खत्म हो रही है और इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि दोनों सदनों से यह विधेयक शीघ्र ही पास हो जावे। यदि प्रवर समिति में यह विधेयक जायगा तो अवश्य कुछ समय लग जायगा और इसको पास करने में देरी होगी ।

जहां तक इस विधेयक की जरूरत का सम्बन्ध है उसके विषय में मेरे सहयोगी श्री बनारसी दास जी ने कल सदन को बता दिया था कि आज भी इस विधेयक की क्यों आवश्यकता है। दो तीन बातें श्री नारायण दत्त जी ने, जब इस विधेयक की आलोचना की, इस सदन के सामने उपस्थित की थीं। एक तो उन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट से कुछ वाक्य उद्धृत किये थे और सदन के सामने उपस्थित किये थे, जिन वाक्यों में यह कहा गया था कि कमेटी ऐसा महसूस करती है कि बिल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक तब्दील कर देना चाहिये और नए ढंग से सदन के सामने उसके विचारार्थ उपस्थित कर देना चाहिये। हमने एक कमेटी की सिफारिश के ऊपर काफी विचार किया और बाद को अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह से यह निर्णय किया कि यदि हम इस विधेयक को शुरू से आखिर तक तब्दील करने की चेष्टा करेंगे तो जो केस ला इस विषय के ऊपर बन गया है, उस केस ला के अदालतों में उपस्थित करने में काफी दिक्कतें उपस्थित होंगी और इसलिये हमने मुनासिब नहीं समझा कि इस बिल को शुरू से आखिर तक बदल दें और यह निर्णय किया कि जहां-जहां जरूरत संशोधन करने की है, वहां इस विधेयक में संशोधन कर दिये जायं और बिल जैसा पहले वह था और वही संशोधन जो आवश्यक थे, उनके साथ सदन के विचारार्थ उपस्थित कर दिया जाय। इसलिये हम उस सिफारिश का, जिसका जिक्र कल माननीय नारायण दत्त जी ने किया था, इस बिल में समावेश नहीं कर सके। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि ४ वर्ष के बाद नये मकान, जिनसे कि इस विधेयक का संबंध ही बिलकुल छुड़ा दिया गया था, यानी इस विधेयक की धारायें नये मकानों पर नहीं लग सकती थीं, तो ऐसी धारायें विधेयक में हों कि ४ वर्ष के बाद हम उनके ऊपर भी नियंत्रण कर सकें। उन्होंने एक वाक्य प्लानिंग कमीशन का भी उद्धृत किया और उसमें इस बात के बताने की कोशिश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की थी कि प्लानिंग कमीशन ने भी यह तय किया है या सलाह दी है कि ४ वर्ष के बाद कोई ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। मैंने भी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन किया और उस अध्ययन की बुनियाद पर मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रकर की सिफारिश तो प्लानिंग कमीशन ने की नहीं है, हां, यह अवश्य सलाह दी है कि कम से कम चार सालों तक तो नये मकानों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जावे। यदि इन चार वर्षों में नये मकानों की काफी प्रगति हो जाती है और इससे विधेयक को नये मकानों के ऊपर लागू न करने से मकान अधिक संख्या में हमारे बीच में बन जाते हैं तो जैसा कि सिफारिश से जाहिर होता है कि, यह भी हो सकता है कि हम चार वर्ष के बाद भी इस विधेयक की धाराओं को नये मकानों के ऊपर न लागू करें। उन्होंने यह भी शिकायत की कि जो नया विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया है उसमें कुछ किरायेदारों की बात को सामने रखकर कुछ किराया बढ़ाने की बात बिल की धाराओं में सम्मिलित कर दी गयी हैं। हां, यह सत्य है कि बिल की धाराओं में कुछ परिवर्तन किराये से संबंधित विषयों में किये गये हैं और वह जानबूझ कर किया गया है। हम में से प्रत्येक जानता है कि बहुत सी जगहों पर म्युनिसिपैलिटियों ने जो अपने टैक्सेज हैं उनको दुगुना और ढाई गुना कर दिया है और १९४६ के बाद उन्होंने किया है। कमेटी ने जिसे कि सरकार ने इन तमाम बातों के विचारार्थ नियुक्त किया था यह सिफारिश की थी कि यह फेयर है, यह मुनासिब है, कि ऐसे टैक्सेज जो कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा बढ़ाये गये हैं, उनका कुछ हिस्सा किरायेदार भी मकान के मालिक को दे। तब यह न्यायसंगत बात हो सकेगी और सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और उसने विधेयक की धाराओं में इस सुझाव का समावेश किया है। उस सुझाव का समावेश क्यों किया है और क्यों उसकी आवश्यकता है उसके ऊपर मुझे अधिक प्रकाश डालने की इस समय आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हममें से प्रत्येक जानता है कि यदि हम चाहते हैं कि मकान के मालिक मकानों की मरम्मत इत्यादि कराते रहें, मकानों को दुर्दशा से बचाते रहें तो इस बात की आवश्यकता है कि हम उनके साथ भी इक्विटी का बर्ताव करें और इसीलिये यह मुनासिब समझा गया है कि उन म्युनिसिपल टैक्सेज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस उस समय से कि जब पहले १९४६ को जो टैक्सेज लगे हुए थे, और अब आज जो लग गये हैं, उनके डिफरेंस का एक तिहाई किरायेदारों से दिलाया जावे। मैं समझता हूं कि यह सुझाव जिसका कि सरकार ने इस विधेयक की धाराओं में समावेश किया है कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि यह न्यायसंगत नहीं है। आखिर तो हमें मकान मालिकों की और किरायेदारों की दोनों की समस्या को समझ कर, उनकी समस्याओं के सुलझाने में कोई ऐसा सामंजस्य पैदा करना है जिससे कि मकान के मालिक अपने मकानों में रिपेयर्स इत्यादि भी समय से करा सकें और साथ ही किरायेदार भी सुभीते से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बिल की धाराओं में उन्हीं सिद्धांतों का समावेश किया गया है और उन्हीं की बुनियाद पर यह निर्णय किया गया है कि एक तिहाई नये टैक्सेज के डिफरेंस का जो कि अब १९४६ के बाद बढ़ाये गये हैं, किरायेदार दें। यह सदन को निर्णय करना है कि वह इस वृद्धि से सहमत है या नहीं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार यह महसूस करती है कि यह वृद्धि ऐसी अवश्य है जोकि किराये के सिलसिले में बढ़नी चाहिये। उन्होंने इस बात की भी शिकायत की कि सब टेनेन्ट्स के लिये इस बिल के अन्दर, इस विधेयक के अन्दर कोई सुझाव नहीं रखा गया, जहां तक सब टेनेंन्ट्स का सम्बन्ध है हमारा यह मत रहा है कि हमें उनको अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। इसलिए सबटेनेन्ट्स के सम्बन्ध में कोई खास सहूलियतें हमने पैदा नहीं की है और जो अब तक थीं उनको छीना नहीं। इन कारणों से हम ऐसा महसूस करते हैं जो विधेयक, सदन के सामने उपस्थित किया है जिसमें हमने कोई बहुत मूल परिवर्तन नहीं किये हैं अवश्य ऐसा है कि सदन को स्वीकार कर लेना चाहिये और यदि इसके सम्बन्धमें कोई वादविवाद की भी आवश्यकता है तो वह वादविवाद इस सदन में स्वयं हो जाना चाहिये, सरकार ऐसा महसूस करती है कि उसे प्रवर समिति

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में जाने की आवश्यकता नहीं और जैसा कि मैं प्रारम्भ में कह चुका हूं उस बात को विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार कर लिया है। मैं ऐसा समझता हूं कि अब हमें जो धारायें और जो और विचार जनरल तरीके का इस विधेयक के सम्बन्ध में करना है उसे हम सदन में कर लें। जो सुझाव सदन में उपस्थित किये जायं उन पर हम विचार कर लें और हम इस विधेयक को पास करें जिससे यह तीस तारीख तक एक अधिधिनियम के रूप में हमारे प्रदेश में लागू हो जाय ।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ जो प्रवर समिति की मांग है उसके सम्बन्ध में उसी मांग को दोहराता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण--जी हां ।

श्री अध्यक्ष--मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप बोलना चाहते हैं, तो आपने इनकार कर दिया था।

श्री राजनारायण--मैंने श्रीमन्, यह कहा था कि नारायण दत्त जी के प्रस्ताव को सरकार मानती है या नहीं मानती है यह हम देख लें, उसके बाद जो हमको कहना होगा कह लेंगे।

श्री अध्यक्ष--यदि आपको बोलना था तो जब विवाद चल रहा था तो उस बीच में आपको बोलना चाहिये था। मैं तो यही समझा कि आप को अन्न मंत्री के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है। और भी कोई सदस्य नहीं बोला। अब मैं लाचार हूं। मैं तो केवल राय ही लूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप जो व्यवस्था देंगे वह मान्य होगी ही। लेकिन मैं यह चाहता था कि प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव आया है, इस पर बात हो जाय। तो एक पक्ष माननीय नारायण दत जी ने रख दिया था। अब दूसरा पक्ष सरकार की ओर से मालूम हो गया है कि प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, यह सही है कि उनसे बातें हुई थीं। हमने उनसे यह कहा था कि आप अपनी राय दे दीजिए उसके बाद जो कुछ होगा देखेंगे, चूंकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई.....

श्री अध्यक्ष--आपने मंजूर कर लिया था ?

श्री राजनारायण--मैंने यह कहा था कि सामान्य वादविवाद होने दीजिये। अगर सारी बात यहीं तय हो गयी तो वापस भी ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप वादविवाद के लिये तैयार नहीं हुए। मैंने आपका नाम भी पुकारा था।

श्री राजनारायण--मैं वादविवाद के लिये तैयार हूं। अगर कोई टैक्निकैलिटी बीच में है तो रफा कर दीजिये, क्योंकि वादविवाद होगा, नहीं तो सारी बातें रह जायेंगी।

श्री अध्यक्ष--तो आप कृपा करके बैठ जायं। मैं सदन की राय ले लेता हूं।

सदन को मालूम है कि यह गलतफहमी हो गयी। क्या सदन समझता है कि सामान्य वादविवाद इसमें होना चाहिये ?

(सदन ने सामान्य वादविवाद के लिये अनुमति नहीं दी।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--श्रीमन् मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने एक संशोधन यह रखा कि यह विधेयक

सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय। हो सकता है कि इस बिल का भी कुछ लोग विरोध करें और इस प्रस्ताव का भी विरोध करें, तो ऐसी सूरत में एक प्रस्ताव तो उनका समाप्त हो सकता है, लेकिन सामान्य वादविवाद का जो नियम है उसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हाउस की राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--हाउस की राय लेने का तो मैंने एक और रास्ता निकाल दिया है क्योंकि माननीय राजनारायण जी ने ही कहा। वैसे तो मेरा निर्णय यह है कि नियम के अनुसार जब मैंने कहा था कि इस पर विचार जारी है, चाहे वह विरोध में हो या पक्ष में हो, तभी सामान्य विवाद शुरू हो जाता है। उसी वक्त माननीय सदस्यों में से, जिस किसी को बोलना हो वह खड़ा हो, जा सकता है और मेरी आज्ञा से बोल सकता है। इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरी उक्त घोषणा पर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। केवल माननीय राजनारायण जी खड़े हुए पर जब मैंने उनका नाम ले लिया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है। इस पर मैंने माननीय अन्न मंत्री जी को बुलाया। मैंने इधर देखा कि कोई बोलने के लिये खड़ा हुआ या नहीं लेकिन इधर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में मैंने निर्णय दे दिया कि चूंकि कोई नहीं बोलता है तो उत्तर माननीय अन्न मंत्री जी दे दें। उन्होंने उत्तर दे दिया और उन्होंने उत्तर भी इस ढंग से शुरू किया जिसमें मुझे कोई शंका नहीं रही। उन्होंने कहा कि कोई उनका विरोधीदल से तसफिया भी हो गया कि यह विधेयक प्रवर समिति के सामने नहीं जायगा। इस तरह और भी निश्चय मेरे दिल में हो गया कि कोई वाद-विवाद होने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में नियम के अनुसार उत्तर के पश्चात् वादविवाद नहीं हो सकता। इस पर भी मैंने सोचा कि संभव है कि सदन के सदस्यों को गलतफहमी हो गयी हो। इस लिये मैंने सदन को फिर से मौका दिया कि सर्वसम्मति से या सदन का बहुमत चाहता हो तो मैं इस विषय को विवाद में फिर से ले लूं और उसके लिये थोड़ी-सी ढील नियमों में दे दूं, लेकिन बहुमत भी फिर से विवाद उपस्थित करने के खिलाफ है। ऐसी अवस्था में जो मेरा निर्णय है, वही रहेगा। मैं प्रस्ताव पर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि यू०पी० (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४, को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू०पी० (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू०पी०ऐक्ट ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

२--यू०पी० (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंड ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में --

(१) उपधारा (२-ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(2-*a*) It shall apply to every municipality and notified area established under the U. P. Municipalities Act, 1916, and to areas situated within 2 miles of such municipality or notified area :

Provided, however, that the State Government, if satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public residing in a town area constituted under the the Town Areas Act. 1414, or in any other area, may by notification in the official gazette apply the Act, or any part tthereof to such Town Area or other area;

Provided further that the State Government may likewise cancel or amend any notification issued under the preceding proviso and

the provisions of Section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, shall apply upon such cancellation as if this Act or the portion therein applied had been an enactment repealed by an Uttar Pradesh Act :

Provided also that nothing in this Act shall apply—

(i) to any premises belonging to the State Governnment or Central Government.

(ii) to any tenancy or other like relationship created by a grant from the State Governnment or Central Governnment in respect of premises taken on lease or requisitioned by such Government.

(iii) to any tenancy or other relationship in respect of any plot of land not covered by roofed structure."

(२) उपधारा (४) में संख्या "1954" के स्थान पर संख्या "1958" रख दी जाय ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित नयी उपधारा (३-a) की पंक्ति ३ व ४ से शब्द "and to areas situated within 2 miles of such municipality or noitfied area" निकाल दिये जायं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह विधेयक मकानों की कमी के सम्बन्ध में है उसके नियंत्रण के लिये मैं इसको आवश्यक समझता हूं लेकिन साथ ही साथ इस बात की आवश्यकता नहीं समझता कि म्युनिसिपल एरिया के बाहर भी दो मील तक लगाया जाय । मेरे ख्याल से वह बिलकुल अनावश्यक है और उसको डिलीट कर देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इसको पेश करता हूं ।

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, मौजूदा अधिनियम के अनुसार समस्त क्षेत्र दो मील तक नोटीफाइड एरिया और म्युनिसिपल एरिया के अन्दर जो हैं, उनपर यह अधिनियम लागू रहा है । शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज का इरादा अपनी सीमाओं को बढ़ाने का भी है । बहुत से लोग म्युनिसिपल एरिया के अन्दर काम तो करते हैं लेकिन मकान न मिलने के कारण म्युनिसिपैलिटी के आस-पास दो मील के अन्दर रहते हैं । अगर श्री विभव जी का संशोधन स्वीकार हो जाता है तो दो मील के अन्दर जो मकान हैं, उनके किराये बढ़ जायेंगे, जिससे किरायेदारों को बड़ी कठिनाई होगी और चूंकि वह दो मील का एरिया म्युनिसिपैलिटी के चारों तरफ होता है और वहां पर म्युनिसिपल कंडीशन्स भी होती हैं, इसलिये श्री विभव जी के संशोधन को मानने में मेरी असमर्थता है और मुझे आशा है कि वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—मान्यवर, मैं श्री विभव जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय बनारसी दास जी के भाषण को सुनता रहा और यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि जब उनकी रिपोर्ट के अनुसार उनकी नीति धीरे-धीरे कंट्रोल को हटाने की है तो यह क्यों कर रहे हैं । यदि माननीय मंत्री जी को आपत्ति होती तो मैं समझ जाता कि उनकी नीति यह है कि कंट्रोल को समाप्त न किया जाय लेकिन जब धीरे-धीरे कंट्रोल को समाप्त करना चाहते हैं तो इस विधेयक में टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड का २ मील का एरिया भी इसके अन्दर लाया जा रहा है । मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी दिन प्रति दिन इसके क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में लेते जा रहे हैं । यह आप का कौन सा सिद्धान्त है । मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को इस संशोधन के मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय देवकी नन्दन जी विभव द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रायः देखा जाता है कि म्युनिसिपैलिटी के पास या टाउन एरिया के पास २ मील का जो एरिया आता है वह बिल्कुल देहात होता है। देहात में एक किसान को कई मकान रखने पड़ते हैं जिनमें एक में तो वह रहता है, एक में अपने पशुओं को बांधता है और एक मकान उसको फालतू रखना पड़ता है ताकि किसी आवश्यकता के समय उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस ऐक्ट के कारण उन किसानों को, जो संबंधित अधिकारी हैं वह बहुत परेशान करते हैं और ऐसी परिस्थिति में उनका जीवन जो है वह दूभर हो जाता है, क्योंकि वह किसानों की आवश्यकता को नहीं देखते हैं। जो सर्विसमैन होते हैं और जो सरकारी आदमी होते हैं उनसे जिसका संबंध अच्छा होता है वह उन किसानों का मकान अलाट करा लेते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि किसानों की और ग़रीब जनता की सुविधा को देखते हुये यह शब्द इसमें से निकाल दिये जायं। दो मील के एरिया में जो किसान छोटे छोटे गांवों में रहते हैं उनके तमाम कामों में बाधा पड़ती है। और जब उनके मकानों को ले लिया जाता है तो उनके कामों में बड़ी बाधा पड़ती है और उनको परेशानी होती है। इस वजह से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन पढ़ कर आश्चर्य हुआ है। अभी जो तर्क माननीय बनारसी दास जी ने दिया है कि शहरों के आस पास ज्यादातर लोग मकान बना लेते हैं और उनको किराये पर देते हैं। अगर इस ऐक्ट को एप्लाई नहीं किया जायगा तो इसका नतीजा यह होगा कि दो एक मील के फासले पर जो मकान लोग बना लिया करते हैं उनको नहीं बनायेंगे और उससे किरायेदारों को परेशानी होगी। हम समझते हैं कि इस संशोधन को पेश करने से और कठिनाई बढ़ जायगी जिसको कि वह दूर करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य से यह आशा करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और इससे सदन का समय बरबाद करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री रामदास आर्य** (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी के संशोधन का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि आज जैसा कि माननीय सभा सचिव ने बतलाया कि शहरों की आबादी बढ़ती जाती है और ज्यादा मकानों की आवश्यकता है। जैसा कि अभी जोरावर सिंह ने कहा कि किसान लोग अपने मकान अपने खेत में ही बना लेते हैं और वह मकान एलाट कर लिये जावेंगे, आज भी वह कानून मौजूद है जिसके द्वारा उनकी जमीनें एक्वायर कर ली जाती हैं। अगर किसान वहां मकान बनावेंगे और किराये पर दे देंगे तो उनका ज्यादा फ़ायदा होगा बमुक़ाबले एक्वायर करने से जो रुपया मिलेगा वह कम होगा। मजदूर लोग भी शहरों में बहुत आबाद हो गये हैं और उनके लिये भी मकानों की परेशानी है और भारी किराये पर उनको मकान नहीं मिल रहे हैं। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय विभव जी इसे वापस ले लेंगे।

**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मेरी दलीलों को सुनने के बाद, अगर माननीय मंत्री जी नहीं पसन्द करेंगे तो वापस ले लूंगा। सब से पहले तो मैं मंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं जिनके दिल में ग़रीबों के लिये बहुत जगह है। साथ ही साथ जो इस कानून से दिक्क़तें पड़ेगी उनको भी आप के सामने रख दूं। अगर आप पसन्द करें तो मान लें, न करें तो छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन पर ही बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं उसी पर आऊंगा। लेकिन टेक्निकल बात पर मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं जरा सा इधर उधर जाऊं तो क्षमा किया जाऊं क्योंकि माननीय मंत्री जी की राय थी ...

श्री अध्यक्ष--सदन की मर्जी के खिलाफ मैं आप को इजाजत नहीं दे सकता कि आप अब आम बहस छेड़ें।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस कायदे के बनने से नये मकानों का बनना रुक गया। यह संशोधन इसलिये है कि नये मकान बनें। अगर इस विधान के बनने से नये मकानों का बनना जारी रहा तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर नये मकानों का बनना रुक गया तो तब नीयत अच्छी होने के बावजूद भी हानि ही होगी। अच्छे और बुरे लोग हर तबक़े में हैं और रहेंगे। मालिक मकानों में सिर्फ पूंजीपति ही नहीं हैं। उनमें पोलीटिकल सफ़रर्स भी हैं, औरतें हैं, विधवायें हैं, नाबालिग हैं। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो इसमें इन लोगों को विशेषाधिकार दिया है, लेकिन इस बिल में कहीं कोई जगह नहीं है। उन गरीबों की रोटी किराये से ही चलती है। तो मेरा मतलब यह है कि कोई कानून कायदा ऐसा नहीं बन सकता है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता हो। दुरुपयोग से बचने के लिये रोज़ाना कानून कायदे को बदलना बड़ी भारी ख़तरे की चीज होगी। आज कल क्या हो रहा है? नतीजा इसका क्या होगा? किरायेदारों की भलाई की नियत जरूर है। अगर ऐसा कानून कायदा बन गया तो न सिर्फ नये मकान बनने बन्द हो जावेंगे बल्कि पुराने मकानों की मरम्मत भी नहीं होगी। अगर कर्ज़ लिया जा सकता है ४ रुपये सैकड़े पर अमरीका से तो.....

श्री अध्यक्ष--आप फिर आम बहस की तरफ जा रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--वह साढ़े चार रुपया सैकड़ा जो ख़र्चा हो जाता है उस पर अगर वे ६ रुपया सैकड़ा की सूद भी न लेंगे, ६ रुपया सैकड़ा का मुनाफा अगर उनको न मिलेगा तो मकान कौन बनायेगा। अगर सरकार का इरादा सब से लेकर सब को देने का हो तो भी वह काम नहीं होगा, क्योंकि फिर भी सब को मकान नहीं मिल जायगा। फिर भी कुछ लोगों को उसकी आवश्यकता शेष रह ही जायगी।

श्री अध्यक्ष--यदि मैं आप को जनरल डिस्कशन की इजाजत देता हूं तो सब को मुझे वैसी इजाजत देनी होगी, इसलिये आप या तो संशोधन पर ही बोलें या अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं अभी ख़त्म कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि नतीजा यह होगा, अगर उनको ६ फीसदी का मुनाफा भी न मिला तो मकान बनना बंद हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--यह इस संशोधन से असंगत बात है।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं इस संशोधन पर ही आ रहा हूं क्योंकि इससे गवर्नमेंट का यह ख्याल है कि नये मकान बनेंगे। यह हो सकता है कि १०० फीसदी के बदले में १० फीसदी को परेशानी हो जाय, लेकिन यह बाजे रहे कि १० फीसदी को तकलीफ जरूर रहेगी।

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)--जब आप ने निर्णय दे दिया कि माननीय वक्ता अपना स्थान ग्रहण करें तो क्या उसके बाद भी भाषण जारी रखना, जैसा कि शुक्ल जी कर रहे हैं, मुनासिब है?

**श्री अध्यक्ष**––ऐसी बात नहीं है । मैंने कहा था कि या तो अपना स्थान ग्रहण करें या संशोधन पर आ जायं।

**श्री सीताराम शुक्ल**––संशोधन के ऊपर हूं। जिस प्रकार से जमींदारी समाप्त होने के बाद एक पैसा भी कम नहीं हुआ, लगान वही पूरा-पूरा देना पड़ता है उसी प्रकार मकानों के सोशलाईज़ हो जाने के बाद भी किराया भी पूरा-पूरा देना होगा। फिर आज तो किराये के लिये मुक़दमा चलता है, कल तो आप के सामने पुलिस वाला खड़ा होगा। मैं कुछ प्वाइंट से बाहर जा रहा हूं इसलिये अब अपना स्थान लेता हूं।

**महाराजकुमार बालेन्दु शाह** (जिला टेहरी-गढ़वाल)––अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पड़ोसी श्री देवकी नन्दन विभव के संशोधन का समर्थन तो कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे शुबहा है कि अन्त में वे अपना संशोधन वापिस ले लेंगे, फिर भी मैं चाहता हूं कि उनके संशोधन का समर्थन करूं। अध्यक्ष महोदय, इस धारा की मंशा यह है कि दो मील की सीमा तक रिक्वीज़ीशन के सम्बन्ध में सरकार को अधिकार रहे, लेकिन संशोधन यह चाहता है कि यह अधिकार सरकार अपने हाथ में न ले।

**श्री बनारसी दास**––इसमें रिक्वीज़ीशन का कोई सवाल नहीं है।

**महाराजकुमार बालेन्दु शाह**––दो मील के अन्दर विधेयक को लागू किये जाने का प्रश्न है, इसको बदल कर मैं यही कहूंगा कि इस धारा की मंशा यही है कि यह विधेयक दो मील की सीमा में लागू रहे। प्रश्न यह उठाया जा रहा है कि यदि कोई म्युनिसिपल सीमा के अन्दर बिल्डिंग है और उस पर इस विधेयक को लागू किया जा रहा है तब तो यह बात समझ में आ सकती है।

क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब कुछ कहना चाहते हैं? वे अगर कुछ कहना चाहते हो तो मैं बैठ जाऊं और उनको सुनने के बाद फिर कुछ कहूं?

**श्री अध्यक्ष**––क्या कोई साहब आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं?

**महाराजकुमार बालेन्दु शाह**––मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ कहने की भावना हो रही है।

मैं इतना ही कह रहा था कि जो मकान म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर हैं वे म्युनिसिपैलिटी को कुछ कर देते हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उनको कुछ एमीनिटीज़ भी मिलती है। अब क्योंकि उनको म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कुछ एमिनिटीज़ मिलती हैं, इसलिये एक पेनल के तौर पर सरकार उनके ऊपर एक लाज़ लागू कर रही है। यह ठीक है। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी उनको कुछ ऐमीनिटीज़ देती है जिनके फलस्वरूप उनको रिटर्न में कुछ बेनीफिट देना उनकी ड्यूटी है। अब यह जो दो मील की सीमा के अन्दर और म्युनिसिपल लिमिट के बाहर हैं उनके लिये भी इस तरह की ड्यूटी बनाना कि वे भी इस बिल के दायरे के अन्दर आ जायं मेरी समझ से उचित नहीं है। सरकार को चाहिये कि इस समस्या को हल करने के लिये वह कोई दूसरा उपाय निकाले। मैं मानता हूं कि मकानों की तंगी है, लखनऊ में तो क्या, जो लखनऊ से भी बड़े या छोटे-छोटे टाउन और सिटीज़ हैं उनमें भी बड़ी तंगी है, लेकिन यह कहां तक सही उपाय है कि मकानों की तंगी का सामना करने के लिये यह उपाय किया जाय कि आप अपने एरिया को और ऐडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ायें। इसके लिये जरूरी है कि आप कोई और उपाय निकालें जिससे मकान बढ़ें। यह विषय सरकार के लिये विचारणीय है और मैं समझता हूं कि इस पर विचार हो रहा होगा। इतना कह कर अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि मंत्री जी को तो आखिर में बोलने का मौक़ा मिलेगा।

**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द कर दी जाय।

**श्री अध्यक्ष**--अभी माननीय अवस्थी जी इस पर भाषण देंगे।

**श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी के इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उसका कारण यह है कि ज्यादातर आबादी शहरों में बढ़ रही है और उन शहरों में जो कि इंडस्ट्रीज से सम्बन्ध रखते हैं वहां मजदूर काफी दूर-दूर से आते हैं और उनको शहरों में स्थान नहीं मिलता है। यदि आपने म्युनिसिपल एरिया को २ मील तक और नहीं बढ़ाया तो उनके ऊपर ज्यादा आर्थिक भार पड़ेगा और उससे उनकी बड़ी हानि होगी।

दूसरी बात यह है कि इस समय अगर यह प्रश्न उठे कि मकान और बढ़ें तो मकान बढ़ने पर भी वे उनको नहीं पा सकते हैं, इसलिये कि सन् ५१ के बाद जो मकान बने हैं उन पर यह ऐक्ट लागू नहीं है। ऐसी दशा में मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**श्री शिवमंगल सिंह कपूर** (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि मैं जिस शहर बनारस में रहता हूं, बनारस की एरिया दो मील इधर यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ आपके देहात का क्षेत्र कुछ पड़ता है, लेकिन इस किस्म के मकानों की तकलीफ कि जिसकी वजह से शहरों में मकान मिलना मुश्किल है म्युनिसिपल बोर्ड का जो दो मील एरिया सरकार ने रखा है वह बहुत सोच समझ कर रखा है। वास्तव में देहाती आदमी दिन ब दिन हर प्रकार से शहरों में आते हैं। दो मील एरिया जहां नोटिफाइड एरिया या टाउन एरियाज हैं उनको अगर इस ऐक्ट के अन्दर रखा जाता है तो जनता को बहुत सुविधा होगी। आप देख सकते हैं कि खासतौर से जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे बनारस, कानपुर लखनऊ, आगरा वहां पर देहातों से बराबर आदमी आते रहते हैं और उन बेचारे ग़रीबों को रहने के लिये कहीं जगह नहीं मिलती है, जिससे वे कहीं अपना गुजारा करने के लिये भी रहें। सरकार ने जिस तरह से कानून तैयार किया है वह उसी तरह से रहे तो इससे नागरिकों को बहुत फायदा होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को पास करेंगे।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन यहां पर पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पहले इसके कि हम जो फ़ैसिलिटीज इस रेंट कंट्रोल से दे रहे हैं वह शहरी एरिया से या नोटिफाइड एरिया से बाहर ले जायं हमारा यह फर्ज है कि शहरों के अन्दर वे जमीनें जो पड़ी हैं, जो शहरों में बड़ी-बड़ी जमींदारियां हैं उनको एक्वायर करके उनमें बिल्डिंग्स वगैरह बनवाने की व्यवस्था करें- इसके पहले कि हम म्युनिसिपल और नोटीफाइड एरिया के बाहर जा कर वहां की बिल्डिंग्स पर भी क़ब्ज़ा करें या वहां पर भी इस कानून को लागू करें। जैसा कि अभी हमारे मित्र महाराजकुमार बालेन्दु शाह जी ने कहा कि जो मकानात म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरियाज के बाहर होते हैं, उन्हें वह फेसिलिटीज नहीं होती हैं जैसे सेनीटेशन वगैरह की या पानी वगैरह की। और जो मैशीनरी सेट अप की गई है रेंट कंट्रोल ऐक्ट के मातहत यानी एक टीनेंट से मकान लेना और दूसरे को एलाट करना, इसमें बड़ी अव्यवस्था है, इसलिये उसको गांव के क्षेत्र के रहने वालों पर भी लागू करना उचित न होगा। इससे पहले कि हम गांव के एरिया

को तरफ बढ़ें और वहां इस ऐक्ट को लागू करें मैं समझता हूं कि सरकार को अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिये कि शहरों के अन्दर जो खाली जमींनें पड़ी हुई हैं, उनमें योजना के साथ मकान बनाने का प्रबन्ध किया जाय। हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह बना कर और उनको थोड़ा बहुत पैसा देकर अगर इन खाली जमीनों में सरकार मकान बनवाने का प्रबन्ध करे तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि शहर के बाहर के लोगों पर भी इस ऐक्ट को लाग् किया जाय और मैं समझता हूं कि इस वक्त ऐसा करना उचित नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--११५

विपक्ष में--२३।)

***श्री देवकीनन्दन विभव**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन उपस्थित करने के कुछ व्यावहारिक कारण थे। आपको विदित है कि इन नगरों में आबादी काफी हो गई है। वहां की चुंगियों में अपनी हदें बाईलाज में नोटीफिकेशन देकर के बढ़ा दी हैं। उसके बाद जहां-जहां कि थोड़े भी मकान बने हैं वहां चुंगियों की हदें बढ़ गई हैं। उसके बाद भी दो मील का हद रखना इससे कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं और खासतौर से नोटीफाइड एरियाओं में और जो छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटियां हैं उनमें दो मील बाद से रखने से व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं कि जो छोटे-छोटे कच्चे मकान बनाते हैं और जो कानून की पेंचीदगियों को नहीं समझते हैं मेरे ख्याल से जब कि चुंगियां जहां नये मकान बन जाते हैं वहां अपनी हदें स्वतः बढ़ाते जाते हैं वहां नोटीफाइड एरिया से २ मील रखने से सिवाय व्यावहारिक कठिनाइयों के और कोई लाभ नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि मंत्री जी इस कानून का उपयोग सहानुभूति और आवश्यकताओं का ही अनुभव करते हुये इस तरह से करें कि लोगों की कठिनाइयां न बढ़ें तो मुझे इसमें एतराज नहीं होगा अगर किसी आवश्यकता के लिये इन पंक्तियों को रख भी लें। तो इस आशय से मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं और मंत्री जी से आशा करता हूं कि मेरे संशोधन की मंशा को मद्देनजर रखते हुये उसका इस तरह से प्रयोग करेंगे जिससे जनता को कठिनाई न हो, तो मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संशोधन को वापस लेने की अनुमति दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९९

विपक्ष में--२०।)

***श्री चन्द्रभानु गुप्त**--अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि आप दूसरे क्लाज पर विचार करने के लिये कहें, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं एक वक्तव्य इस सम्बन्ध में दे दूं कि कुछ गलतफहमी हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों को इस बात से हो गयी कि उन्हें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जनरल डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिये आपकी आज्ञा के अनुसार इजाजत नहीं मिली। मैं स्वयं सरकार की ओर से बता देना चाहता हूं कि जो बातें कल विरोधी दल के नेता से हुई थीं.....

**श्री अध्यक्ष**--आप तो वक्तव्य दे रहे हैं लेकिन मैं इस वक्त वक्तव्य देने के लिये इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बारे में स्पष्टीकरण हो चुका है और इसलिये कोई वक्तव्य देने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--मैं गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। कुछ सदस्यों की यह धारणा है कि सरकार जनरल डिस्कशन में कोई रुकावट डालना चाहती थी या उसको करने देना नहीं चाहती थी तो. . . .

**श्री अध्यक्ष**--इतना कहना काफी है कि आपकी यह मंशा नहीं थी। जब मैं उन लोगों को इजाजत नहीं दे रहा हूं कि वह अपना वक्तव्य दें तो आप ही अपना वक्तव्य क्यों दें? जब पूर्व पक्ष नहीं है तो उत्तर पक्ष नहीं हो सकता।

**श्री राजनारायण**--मैंने अभी माननीय मंत्री जी को एक नोट भेजा था कि माननीय बनारसी दास जी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार आपके दल ने काम नहीं किया, इसलिये हमको दुःख है। मैंने उनसे कह दिया था कि जनरल डिस्कशन होना चाहिये और वह मान गये, लेकिन जब अभी आपने राय ली तो उनको अपने सदस्यों को पहले से बता देना चाहिये था। मैंने इसलिये उनको लिख कर भेज दिया कि आपकी वजह से हमको दुःख हुआ है। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने इसकी सफाई की लेकिन जो बातें जनरल डिस्कशन में आनी चाहिये थीं वह नहीं आ पायीं।

**श्री अध्यक्ष**--(अन्न मंत्री से) मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप कहिये। उन्होंने पूर्व पक्ष रख ही दिया, अब आप उत्तर दे सकते हैं।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--मैं यह कहना चाहता था कि इधर के सदस्यों की तरफ जो इशारा किया उसमें भी उनको कुछ भ्रम है। जब माननीय अध्यक्ष ने यह कह दिया कि उनके पूछने पर कि कोई व्यक्ति बोलना चाहते हैं, कोई साहब नहीं खड़े हुए और तब आपने यह निर्णय कर दिया कि कोई भाग नहीं ले सकता तो इधर के पक्ष वाले भी और मैंने स्वयं भी यह समझा कि अब भाग लेने की इजाजत आप नहीं देंगे। स्वयं मैं यह समझता था कि जनरल डिस्कशन होगा जैसा कि हमसे और विरोधी दल के नेता से बातचीत हुई थी। लेकिन जब आपका निर्णय हो गया।

**श्री राजनारायण**--अध्यक्ष महोदय ने हाउस का मत लिया।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--जब आप फैसला दे चुके तब वोट लिया गया, उसमें हम लोग बाध्य थे।

**श्री अध्यक्ष**--मतलब यह है कि गलतफहमी हुई तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों को हर प्रश्न पर हर एक को सजग रहना चाहिये और गलतफहमी नहीं पैदा कर देनी चाहिये, क्योंकि यह तो सब को मालूम है कि जब कभी ऐसा संशोधन आता है कि प्रवर समिति के सामने विधेयक जाय तो उस संशोधन पर विवाद एक जनरल डिस्कशन का ही हिस्सा होता है। इसलिये उस संशोधन के संबंध में जवाब देने का अधिकार ऐसे संशोधन लाने वाले को तो होता नहीं है। इस पर भी मैंने मौका इस बारे में दिया कि माननीय राजनारायण कुछ बोलना चाहें तो बोलें क्योंकि नारायण दत्त जी जिनका भाषण पहिले से जारी था वे उपस्थित नहीं थे। इस पर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं बोलते।

और इसलिये मैंने दूसरी तरफ भी देखा। यह भी सबको मालूम है कि एक मिनट कम से कम इधर-उधर मैंने नजर डाली कि कोई और बोलना चाहें तो खड़े हो जायं पर कोई भी नहीं खड़े हुए। शुक्ला जी पहले बड़े जोरों में थे मुझसे मेरे कमरे में कह गये थे कि जनरल डिस्कशन में भाग लूंगा। उनकी तरफ देखा तो वह भी नहीं खड़े हुए तो मैं यह समझा कि कोई भी सदस्य बोलना नहीं चाहते, इसलिये मैंने निर्णय दे दिया कि अन्न मंत्री जवाब दें। इसके बाद राजनारायण जी ने कहा कि गलतफहमी में हम सब आ गये। इसलिये हमको जनरल डिस्कशन का मौका मिलना चाहिये। तो मैंने कहा कि सदन के ऊपर ही यह प्रश्न छोड़े देता हूं। सदन एकमत हो कर अगर एक बात तय कर ले तो कोई भी नियम जो बाधक हो ऐसा समझा जायगा कि सस्पेंड है। अगर सदन यह फैसला दे दे तो मैं उस बाधक नियम को ढीला कर देता हूं। परन्तु मेरे पूंछने पर बहुमत यह हो गया कि विवाद नहीं होना चाहिये। जब यह निश्चय हुआ तो मैं उससे बाध्य हुआ। अब वह गलतफहमी से हुआ हो चाहे जैसे हुआ हो, वह बात निकल चुकी और खंडों पर विचार शुरू हो गया है। अब उस पर पुनः विचार नहीं हो सकता।

श्री शिवनारायण--मैं एक बात समझा देना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष--मैं इजाजत नहीं दूंगा।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (2-a) का प्रथम प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं वह खंड पढ़े दे रहा हूं।

"Provided, however, that the State Government, if satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public residing in a town area constituted under the Town Areas Act, 1914, or in any other area, may by notification in the official gazette apply the Act, or any part thereof, to such Town Area or other area."

श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा यह सरकार का स्पष्ट अभिप्राय और लक्ष्य है कि इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में टाउन एरियाज को भी लाया जाय। श्रीमन्, यह रिपोर्ट जो रेंट कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी के सिलसिले में १९५२-५३ में जो बैठी थी उसमें यह वास्तविक है कि कुछ हद तक सिफारिश है कि कुछ टाउन एरियाज जो आवश्यक हों या जरूरी हों उनको इस अधिनियम के अधीन कर लिया जाय। परन्तु श्रीमन्, मैं समझ नहीं पाया कि जब कमेटी के सदस्यगण इस बात पर विचार कर रहे थे तो क्या उन्होंने इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता समझी थी या नहीं कि कितने टाउन एरियाज ऐसे हैं जिनके लिये यह आवश्यक है कि वह यू० पी० कंट्रोल ऐक्ट के अधीन लाये जायं। श्रीमन्, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि जहां तक हो सके सन् १९४७ ई० में जब यह अधिनियम इस सम्मानित सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया था तो लक्ष्य केवल यह था कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्स की समाप्ति पर जो गृहों की कठिनाइयां हुई हों, उनमें व्यवस्था लाने के लिये तथा उचित प्रबंध करने के लिये यह अधिनियम लाया गया और साथ ही साथ इस अधिनियम की अवधि इस सम्मानित सदन द्वारा बढ़ायी गयी। वह दो साल से अधिक कभी नहीं हुई। लेकिन आज चार वर्ष चाहते हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपको बतलाना चाहता हूं और आपके द्वारा सरकार को अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि यदि वह यह समझें कि दिन प्रति दिन इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाय या इसकी अवधि में वृद्धि की जाय और इसको एक परमानेंट स्टैच्यूट बनाकर रखा जाय तो जिस उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया तो डिफेंस आफ इंडिया रूल्स की समाप्ति पर इस अधिनियम की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। यह तो एक ऐसा टेम्पोरेरी मेजर था और विशेष परिस्थिति को सुलझाने के लिये यह अधिनियम आया था आज उसको आप टाउन एरियाज में करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानता चाहता हूं कि कितने टाउन एरियाज हैं जहां सचमुच कठिनाई होती होंगी, जहां मकान नहीं मिलते हैं या किराये की दिक्कत है या लोग किसी भी प्रकार से कष्ट का सामना करते हों। श्रीमन्, किस आधार पर इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं। इस प्रदेश पर एक ऐसा अधिनियम लागू किया जा रहा है जो उस अधिनियम के लेटर्स, शब्द, स्पिरिट और भावना दोनों के विरुद्ध है।

इस कमेटी की बहुत सी सिफारिशें तो सम्मिलित की गयी हैं, लेकिन उसकी बहुत सी सिफारिशें वैसे ही रह गयी हैं, जिनको करने के लिये सरकार इच्छुक थी उनको स्वीकार कर लिया गया है और भी कई सिफारिशें हैं जिनको दूसरे संशोधनों के सिलसिले में उपस्थित किया जायगा, उसमें उनकी अवहेलना गयी और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक जगह कहीं प्लानिंग कमीशन का आधार लिया जाय तो दूसरी जगह आचार्य जुगल किशोर कमेटी का आधार लिया जाय, यह सब क्या है? श्रीमन्, मंत्री महोदय, को इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि जो वह करते हैं उसमें कुछ स्थिरता है या नहीं? अतः इन शब्दों से मैं यह आशा करता हूं कि टाउन एरियाज को इसकी सीमा से अलग रखेंगे। इसमें कोई विशेष हानि भी नहीं हो सकती है। ताज्जुब तो यह है कि वह यह भी बताने को तैयार नहीं है कि प्रदेश में कितने टाउन एरियाज हैं, जिनमें कठिनाई है, सिर्फ यह कहा जाता है कि बहुत जगह जरूरत हो सकती है तो इसमें कोई सार नहीं है। इन थोड़े शब्दों में मैं आशा करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

**श्री राजनारायण**--श्रीमन्, यह अवधेश प्रताप जी का जो संशोधन है कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (2-a) का प्रथम प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय तो मेरी इच्छा तो यह थी कि मैं इसके पक्ष में ही रहूं लेकिन, मैं उनके पक्ष में अपने को कर नहीं पा रहा हूं। इच्छा इसलिये थी कि सरकार की जो प्लांड योजना है वह अनप्लांड प्लांड है। इसलिये मेरी इच्छा थी कि मैं अवधेश प्रताप जी का ही समर्थन करूं। लेकिन अगर उनके समर्थन में जाता हूं तो यह जो अनप्लांड प्लान है, इसमें जो थोड़ी सी सुविधा मकान की मिल जाती है टाउन एरिया के अन्दर वह भी नहीं मिल पायेगी। इसलिये मैं अवधेश प्रताप जी के संशोधन के विरोध ही में अपने को रख रहा हूं। कारण यह है कि मुझे मालूम है, मैं भी एक टाउन एरिया के पास ही का रहने वाला हूं, गंगापुर का और वहां के टाउन एरिया का रहने वाला हूं जहां इतनी मुसीबत है कि बेचारे घर भी नहीं पाते और जो वहां के बड़े-बड़े कुछ रोजगारी हैं जिन्होंने सारे बाजार में टाउन एरिया में कई मकान बना रखे हैं वह मन के मुआफिक जब चाहे उनको निकाल देते हैं, जब चाहते हैं लगान बढ़ा देते हैं और जब चाहते हैं किसी को लाकर बसा देते हैं, तो एक तरह से वहां अराजकता है। यह सही है कि सरकार की ओर से कोई लिस्ट सबमिट नहीं की गयी कि टाउन एरियाज की आज क्या हालत है, कितने लोग रहते हैं, यह सरकार को जरूर चाहिये था। अवधेश प्रताप-सिंह जी का यह कहना सही है कि जब सरकार किसी विधेयक में परिवर्तन करे तो उसके औचित्य को साबित करने के लिये आंकड़े भी देने चाहिये, ताकि सदन के किसी माननीय सदस्य के दिमाग में कोई कनफ्यूजन या घपला न रह जाय। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अवधेश प्रताप जी का संशोधन विधेयक के जिस खंड में है उसको पढ़ूं। विधेयक में अपनी ही ओर से कहा है--"Provided, however, that the State Government, if

satisfied that, it is necessary so to do in the interest of the general public residing in town area constituted under the Town Areas Act, 1914, or in any other area, may by notification in the official gazette, apply the Act, or any part thereof, to such Town Area or other area :"

यह तो विधेयक है और अवधेश प्रताप जी चाहते हैं कि यह निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अभी तो आप और समय लेंगे ?

श्री राजनारायण--जी हां, अभी तो काफी समय लूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह जो विधेयक में प्रतिबन्ध लगाया गया है उससे देहातों के लिये भी अब रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू करने की नीयत सरकार की मालूम होती है, क्योंकि उसमें यह है कि टाउन एरिया और एनी अदर एरिया। तो हमारे खयाल से तो अभी तक रेंट कंट्रोल शहरों ही तक महदूद था और रेंट कंट्रोल की वजह से नये मकानात नहीं बन सके, क्योंकि जो लोग इसमें लागत लगा रहे थे उनका यह खयाल था कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट की वजह से मकानों में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो बहुत से लोग जो देहातों में मकान बनाने लगे थे, बहुत से किसान और बहुत से छोटे काश्तकार लोग भी तो अब वहां भी अगर ऐक्ट में यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि टाउन एरिया में भी और देहातों में यह लागू किया जायगा तो वहां भी अब मकानों में लोग रुपया इन्वेस्ट करना अच्छा न समझेंगे। मेरे खयाल से यह प्रतिबन्ध अब हटा लेना चाहिये और कत्तई टाउन एरिया में या किसी देहात के एरिया में यह लागू न होना चाहिये। कंट्रोल तो हर हालत में बुरा है। मगर और हालत देखते हुए कि शहरों में कंट्रोल जरूरी है, जैसा कि उस रिपोर्ट में कहा गया है तो यह शहरों ही तक महदूद रहना चाहिये न कि टाउन एरिया और देहात में भी इसे लागू किया जाय।

श्री व्रजभूषण सिंह (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। घरों की समस्या इस समय शहरों तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिये। जो लोग अपने क्षेत्रों में दौरा करते होंगे उनको मालूम होगा कि टाउन एरियाज में भी बिकलें मकान की पैदा हो गयी हैं और जब कोई सुविधा शहर को हम देने जा रहे हैं तो यह सुविधा उन जगहों पर भी लागू होनी चाहिये जहां कि उसकी जरूरत है। टाउन एरियाज का मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं। उदाहरण के लिये टाउन एरियाज में भी ऐसी समस्या आज उत्पन्न हो गयी है कि मकान शहरों से भी अधिक मंहगे पड़ रहे हैं और मकानों की जरूरत शहरों से कहीं अधिक वहां महसूस की जा रही है। राबर्ट्सगंज मिर्जापुर जिले का एक कस्बा है जहां रेलवे लाइन बन गयी है और सीमेंट फैक्टरी भी वहां बनी है और वहां से रिहैंड डैम का रास्ता भी जाता है। आज राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में मकान शहरों से भी कहीं अधिक मंहगे हैं और वहां रहने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती जाती है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि टाउन एरियाज में भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये और वहां भी इस अधिनियम को लागू करना चाहिये। ऐसा किये बिना वहां की समस्या का निराकरण नहीं हो सकेगा। इसलिये समय को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए माननीय मित्र अवधेश प्रताप सिंह जी का संशोधन अव्यावहारिक प्रतीत होता है और यह एक जो समस्या है उसके सुलझाने के बजाय उसमें बाधा डालने वाला है। यह जो विधेयक में दिया हुआ है उसके लागू हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री व्रज भूषण मिश्र ]

जाने से उस समस्या के निराकरण में बड़ी सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और सरकार की मंशा जो मकानों की सुविधा उत्पन्न करने की है, उसको पूरा होने दें।

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**---अध्यक्ष महोदय, यह धारा और इससे पहले जो धारा थी दोनों लगभग एक सी हैं। भेद इतना ही है कि पहली धारा के अनुसार म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर इसको लागू किया जा रहा है और म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर और उनकी सीमा से दो मील बाहर तक लागू होगा। इसका अभिप्राय यह है कि टाउन एरियाज के ऊपर भी इसको लागू किया जा सकता है और टाउन एरियाज के अतिरिक्त जहां सरकार उचित समझे या जहां सरकार जनता के लाभ में या हित में समझे, वहां किसी और क्षेत्र में भी इस विधेयक की धाराओं को लागू करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है।

पहला प्रश्न तो यह उठता है कि आया यह कहां तक उचित है कि सरकार इसपैरेंटल गवर्नमेंट के आधार पर अपना काम चलाये। यह मानी हुई बात है कि आज कल कुछ परिस्थिति सब जगह ऐसी पायी जा रही है जहां कि एक प्रकार से कंजेशन होता है, तो उसको जनता आपस में सम्हाल नहीं पा रही है। इसलिये शहरों में खास करके और इस प्रकार की रोक-टोक करना आवश्यक हो गया है। मगर मैं समझता हूं कि इसी आधार पर टाउन एरियाज और टाउन एरियाज के बावजूद मिश्र जी ने राबर्ट्सगंज का उदाहरण दिया और माननीय राजनारायण जी ने गंगापुर का उदाहरण दिया। मैं मान सकता हूं कि चन्द एक टाउन एरियाज की ऐसी हालत हो गयी है कि वह टाउन एरियाज की शक्ल नहीं रखते, बल्कि टाउन एरियाज से बड़ी बन गयी हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना कि चूंकि चन्द टाउन एरियाज की पापुलेशन कंजेस्टेड हो जाने से मकानों की इतनी कमी हो गयी है इसलिये सब टाउन एरियाज पर लागू करने का अधिकार सरकार को दिया जाय, इसके स्थान पर यह होना चाहिये कि "जिन टाउन एरियाज में ऐसी हालत पायी जाती है उन्हें एलीवेट कर दिया जाय" उनको हायर ग्रेड में कर दिया जाय। म्युनिसिपैलिटियों में इसकी धाराओं को लागू करने का अधिकार सरकार ने लिया है, तो चन्द एक टाउन एरियाज में जहां पर यह दिक्कत महसूस हो रही है उनको इस ऐक्ट की धाराओं के अन्दर लाया जा सकता है।

**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---यही तो है ही।

**महाराजकुमार बालेन्दुशाह**---कुछ गलतफहमी जरूर है। जहां तक मैं समझा हूं इस धारा के अनुसार यह लिखा हुआ है :--

"The State Government, if satisfied, that it is necessary so to do in the interest of the general public".....etc. "residing in a town area constituted under the Town Areas Act, 1914, or in any other area, may by notification, etc."

यानी इसकी ऐम्बिट में टाउन एरियाज को लाने के लिये यह प्राविजो रखा गया है। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस धारा के मुताबिक टाउन एरियाज भी परव्यू में आ रही है। प्रश्न यह है कि टाउन एरियाज को ऐज ए होल लेना आवश्यक है या नहीं। जिन टाउन एरियाज में यह दिक्कत पड़ी है और जहां कंजेशन का प्रावलेम उठ गया है उनमें किसी उपाय से यह समस्या दूर की जा सकती है, इसके बजाय कि सब टाउन एरियाज के ऊपर लागू कर दिया जाय। विशेषकर यह जो इसमें सेंटेंस है "आर इन एनी अदर एरिया" इसका एक ही अर्थ निकलता है कि वह टाउन एरियाज जो छोटी हैं वहां भी सम्भवतः ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो सरकार ने वहां भी इस कंट्रोल को लागू करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। पहली बार

हमने सुना कि एक गांव में २४ घंटे का करफ्यू लगा था, मैं समझता हूं कि यह पहली बार ही हुआ है, इसी प्रकार यह भी असम्भव नहीं दीखता कि इसके आधार पर किसी गांव में, मकानों पर कंट्रोल कर दिया जाय,क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार को डिस्क्रिशनरी पावर है । मैं कोई आक्षेप नहीं करता । परन्तु मतभेद इसमें हो सकता है कि आया वह नेसेसरी था या यह जनरल पब्लिक के हित के लिये किया गया है, लेकिन अगर आवश्यकता न हो तो मैं समझता हूं कि सरकार को वह अधिकार अपने हाथ में लेना इतनी जल्दी में जब कि विशेष आवश्यकता प्रतीत न हो रही हो, उचित न होगा । अध्यक्ष महोदय, यही कह कर जो मैंने शुरू में कहा था यह जो डिस्पेरिटी पायी जाती है, जहां कंट्रोल पहले से ही लगा हुआ है वहां कंट्रोल का रखना आवश्यक है लेकिन शुरू से ही जहां यह परिस्थिति उतनी तीव्र नहीं हुई है, जहां यह उम्मीद की जा सकती है कि वह स्वत: नेचुरल लेविल पर, सप्लाई एंड डिमांड के प्रिन्सिपल पर मामला अपने आप हल हो जायगा, वहां इसको लागू करने की धमकी देना मैं समझता हूं कि उचित न होगा ।

**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बहुत से इम्प्रूवमेन्ट्स हैं पहले की अपेक्षा और उन्हीं इम्प्रूवमेंट्स का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है जो टाउन एरियाज में लगाया जा रहा है। हमें यह मालूम होना चाहिये कि हमारे प्रगतिशील समाज का यह आवश्यक अंग है । पारिवारिक दृष्टिकोण से और सार्वजनिक वातावरण की दृष्टि से यह इस कानून का पूरक अंग है । सरकार की एक बहुत ही साम्य दृष्टि है जो हमारे टाउन एरियाज पर दृष्टि पड़ रही है और वहां भी मर्यादा बनाने जा रही है । वास्तव में इसका कोई विरोध न होना चाहिये । मेरे विचार में यह आगे के समाज के लिये एक आवश्यक अंग होगा और एक नियमित अंग होगा और इसका हमें स्वागत करना चाहिये । हमें इसे दूसरे दृष्टिकोण से न देखना चाहिये। व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति के बंधन को यह ढीला करता है और ऐसा सोचने पर यह समाज का कल्याण करेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के इस अंश का समर्थन करता हूं और जो यह संशोधन लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

**श्री शिवनारायण**--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

**राजा वीरेन्द्र शाह** (जिला जालौन)--मैं इसका विरोध करता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष**--अब प्रश्न उपस्थित हो चुका है इसलिये सदन के सामने उसे रख देना चाहिये ।

प्रश्न यह है कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ –

पक्ष में --५४

विपक्ष में--११ ।)

**राजा वीरेन्द्रशाह**--श्रीमन्, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं । मैं आपके द्वारा यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि बार-बार सरकारी पक्ष के लोग इस तरह से प्रस्ताव करते हैं और उस पर हमको डिवीजन कराना पड़ता है, तो क्या सरकार की यह नीति है कि माननीय सदस्यों को गैग करके इस बिल को पास कराया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि उनको ऐसा करने का अधिकार है । जब किसी प्रस्ताव पर विवाद अधिक हो जाता है तो वह इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकते हैं ।

**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--इसका उत्तर माननीय गुप्ता जी को देना चाहिये कि आखिर क्या यह सरकार की नीति नहीं है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---सरकार किसी को रोग नहीं करना चाहती है। सरकार यह नहीं चाहती कि सदन का समय अनावश्यक व्यतीत किया जाय और मैं यह जानता हूं कि स्वयं विरोधी दल और संयुक्त दल के सदस्यगण ऐसी कोई बात नहीं चाहते हैं किसी चीज पर अनावश्यक बहस की जाय और सदन का समय व्यतीत किया जाय, परन्तु शायद इसको पूरा सदन नहीं चाहता है।

**श्री अवधेश प्रताप सिंह**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे मैं उनको ध्यानपूर्वक सुनता रहा। राजनारायण जी ने किसी टाउन एरिया का जिकर किया शायद गंगापुर का और एक माननीय सदस्य ने राबर्ट्सगंज के बारे में जिकर किया। मैं यह समझता हूं कि इन दोनों माननीय सदस्यों ने तनिक भी इसका कष्ट नहीं किया। वह जरा इस बात को तो देख लेते कि आज उत्तर प्रदेश में कितने टाउन एरियाज हैं और उनमें किस प्रकार की हालत है। यदि कहीं गंगापुर में और दूसरे राबर्ट्सगंज में इसकी आवश्यकता हो गयी तो इसके क्या मायने हैं कि इस ऐक्ट का नियंत्रण सारे प्रान्त में कर दिया जाय। श्रीमन्, जो यहां पर टाउन एरियाज हैं और अगर उनमें यह दिक्कत है तो यह बहुत आसानी से दूर की जा सकती है। आज इस अधिनियम में यह उपचार विद्यमान है और जितने टाउन एरियाज हैं उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एरिया में परिवर्तित किया जा सकता है और यदि उनमें ऐसी आवश्यकता हो गयी हो कि उनको उन्नति को चरम सीमा तक पहुंचाना है तो उनको भी म्युनिसिपैलिटी में परिवर्तित कर देती तो श्रीमन्, कहीं एकाध जगह प्रदेश में इस बात के रहते हुये यह कदापि आवश्यक नहीं हो सकता कि इसकी सीमा बढ़ा कर टाउन एरियाज तक कर दी जाय।

दूसरी बात सब से भयानक इसमें यह है कि or any other area। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस रेंट कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसे इस विधेयक में उन्होंने रखा है, क्या उन्होंने यह भी ध्यान दिया है कि उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि यह भी बढ़ाया जाय। यदि, जैसा कहा गया, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट में, तहसीलदारों, एस० डी० ओज० के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने के लिये और उनको निरंकुश बनाने के लिये यह टाउन एरियाज विधेयक में लिये जाते हों तब तो दूसरी बात है। वह संशोधन आया नहीं वरना मैं उसका घोर विरोध करता। इस रिपोर्ट में लिखा है, चैप्टर २ के पेज २ पर, It can, however, be extended to particular town areas requiring control of accommodations. इसमें कहा गया है कि हर टाउन एरिया नहीं बल्कि जहां आवश्यक हो। वह यह कह सकते हैं कि विधेयक में इसका उपचार है कि यह उस जगह तक सीमित रखा जा सकता है जहां तक आवश्यक हो। मैं जानना चाहूंगा कि वह any other area कमेटी की रिपोर्ट में कहां है? यह रिपोर्ट ३६ पन्ने की है। जो बातें सरकार के लिये हितकर हों वह तो लाई गई हैं इस विधेयक में, मगर जो उन्होंने समझा कि किसी व्यक्ति विशेष को जो बातें लाभदायक हों उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। माननीय बनारसीदास जी जिस कमेटी के अध्यक्ष रहे हों, वही इस बात को भलीभांति समझा सकेंगे कि any other area की क्या आवश्यकता पड़ी। मैं इस पर अपना केस आधारित नहीं करता हूं कि जो बातें रिपोर्ट में हैं वे सभी बिल में आवें। इसके माने यह भी लगाये जा सकते हैं कि जिलाधीश या तहसीलदार जहां चाहें इसे लगा दें। मैं समझता हूं कि सरकार को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस संशोधन के विषय में इतनी बहस की गई। अगर माननीय सदस्य ने जो मौजूदा अधिनियम है उसे देखा होता तो कदाचित उन्हें इतनी बहस में पड़ने का अवसर नहीं मिलता। इस विधेयक में कोई नई बात हमने नहीं रखी है। Any other area पहले अधिनियम में ही है। मैं

माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मौजूदा ऐक्ट के पेज २ पर जिसमें दिया है.. इसमें जो प्राविजन दिया गया है वह इस प्रकार से है--

"Provided that the State Government may by notification in the official Gazette, that it shall cease to apply to any area or shall apply in whole or part, to any other area as may be specified."

यह जो विधेयक में 'एनी अदर एरिया' का जिक्र है और जिसके ऊपर इतना जोर माननीय सदस्य ने दिया है कि यह निकाल दिया जाय, मुझे यह सारी आलोचना निरर्थक मालूम होती है। यदि अभी तक 'एनी अदर एरिया' का दुरुपयोग सरकार द्वारा नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे उसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि टाउन एरिया में इसको न लागू किया जाय, क्योंकि जब रेंट कंट्रोल ऐक्ट कहीं लागू हो जाता है तो लोगों की प्रवृत्ति यह होती है कि वे मकान न बनावें जब कि आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक संख्या में मकान बनाये जायं। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह सत्य है कि हमारे प्रदेश में उस संख्या में मकान नहीं बन रहे हैं जिस संख्या में उनकी आवश्यकता है, लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि हमारे प्रदेश में नियंत्रण लागू है। उसके और कारण है और उन कारणों में एक कारण यह भी है कि हमारे देश में स्टेट ड्यूटी लागू हो गयी है। तब से लोगों का ऐसा ख्याल हो गया है कि अब मकान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोगों के रहन-सहन और सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आ गया है। पहले जब कोई आदमी मकान बनाता था तो इस ख्याल से बनाता था कि मेरे बाल-बच्चे, लड़के पोते सब मिल कर इस मकान में रहेंगे, लेकिन आज सामाजिक जीवन ऐसा हो गया है कि अब किसी व्यक्ति के बच्चे मिल कर एक साथ नहीं रहना चाहते। पहले जो ज्वाइंट फैमिली का तरीका चालू था वह बदलता जा रहा है। आधुनिक समाज के रहन-सहन ने लोगों की शिक्षा और विचारों में परिवर्तन खड़ा कर दिया है। इसलिये मनुष्य समझता है अगर मैं मकान बनाता हूं तो बच्चों के लिये एक झगड़े की चीज बना देता हूं। वह व्यक्ति अगर कुछ बचाता है तो जानकर वह मकान नहीं बनाता और उसको अपने बच्चों में वितरित करना पसन्द करता है। यह भी एक विचारधारा है, जो मकान के बनाने में लोगों की मदद नहीं कर रही है। यह कारण नहीं है कि हमारे प्रदेश में चूंकि नियंत्रण लागू है इसलिये मकान नहीं बन रहे हैं। इसके विपरीत नियंत्रण ने तो लोगों को सुभीता प्रदान किया है खासकर कम आमदनी वाले व्यक्तियों के फायदे की यह चीज रहा है। कभी-कभी ऐसे-ऐसे टाउन एरिया हमारे प्रदेश में देखने में आते हैं जहां जन संख्या बढ़ जाती है या कोई फैक्ट्री लग जाती है, या कोई उद्योग धंधा स्थापित हो जाता है तो ऐसी जगह लोगों के मकानों की आवश्यकता बढ़ जाती है और जब मकानों की लोगों को आवश्यकता बढ़ जाती है तो खामख्वाह लोगों से ज्यादा से ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। यदि ऐसे स्थानों पर सरकार मुनासिब समझती है और नियंत्रण लागू कर देती है तो परेशानी की क्या बात है। उससे तो लोगों को और लाभ ही होता है। इसलिये मैं उन तमाम साथियों का, जिन्होंने इस धारा का विरोध किया है, विरोध करता हूं और समझता हूं कि उन्हें कम से कम सरकार के ऊपर इतना विश्वास तो अवश्य रखना चाहिये कि जब अब तक इस धारा का दुरुपयोग नहीं हुआ है यद्यपि यह धारा अधिनियम में पहले से मौजूद थी, फिर उससे आगे भी नुकसान होने वाला नहीं है। मैं इसलिए माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि यह समझते हुए कि यह धारा पुराने ऐक्ट में भी थी, अपने इस संशोधन को मनवाने के लिये आग्रह न करें।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (2-a) का प्रथम प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री कैलाश प्रकाश** (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (2-a) के दूसरे प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ---

"Provided further that the State Government may likewise—

(i) cancel or amend any notification issued under the preceding proviso or

(ii) declare that the Act shall cease to apply to any municipality or notified area or other area as may be specified, and the provisions of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1904 shall apply upon such cancellation or declaration as if this Act or the portion had been an enactment repealed in the local area concerned by an Uttar Pradesh Act."

**राजा वीरेन्द्रशाह**---श्रीमन्, उस पर मुझे आपत्ति यह है कि यह संशोधन हम लोगों के पास नहीं है और कार्यक्रम में भी नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**---इसका नोटिस मुझे तो मिला है।

**राजा वीरेन्द्रशाह**---हम लोगों के पास जब वह संशोधन नहीं है तो फिर हम कैसे समर्थन कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं। इसकी कापी तो विरोधी दल के सामने होनी ही चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष**---अगर माननीय सदस्य कुछ और जानना चाहते हों तो मैं उनको डिक्टेट करा देता हूं।

**राजा वीरेन्द्रशाह**---श्रीमन्, अभी तक कायदा यह रहा है कि हम लोगों को एक-एक कापी दी जाती है और हम लोग उसको देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? पहले से हम लोगों को संशोधन की कापी मिलनी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष**---मैं समझता हूं कि दूसरी जानकारी जहां तक हो सकेगी माननीय सदस्य को करा दी जायगी।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---जहां तक इसका सम्बन्ध है मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन को मानने जा रही है। इसलिये जब इसमें एक भूल हो गयी तो समझा गया कि इस संशोधन के द्वारा उसको दूर कर देना चाहिये।

**श्री कैलाश प्रकाश**---श्रीमन्, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो एक प्रति मेरे पास है, मैं उनके पास भेज सकता हूं।

**राजा वीरेन्द्रशाह**---मुझे आपत्ति यह है कि यह संशोधन अभी नहीं लिया जाना चाहिये। हम लोगों को कुछ विचार करने का भी मौका मिलना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि अभी इसको स्थगित कर दिया जाय, फिर बाद में उसको पास किया जाय।

**श्री बनारसीदास**---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं केवल इतना ही बतला सकता हूं कि जैसा श्री कैलाश प्रकाश जी ने कहा यदि इसको गौर से देखें तो मैं समझता हूं कि वह उन्हीं के हक में ज्यादा है। इसलिये एतराज की कोई वजह भी नहीं है।

**श्री कैलाश प्रकाश**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वे पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद भी यदि उचित समझा जाय कि इस संशोधन को अभी स्थगित किया जाय तो

उस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि मेरे सुनने के बाद, मुझे पूर्ण आशा है कि सब माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि इस संशोधन का आना आवश्यक था। यदि आप आज्ञा दें तो मैं बोलूं।

**श्री उपाध्यक्ष**--एक प्रति जो माननीय सदस्य के पास है उसे वे माननीय सदस्य के पास भेजवा दें। यदि जरूरत समझी गयी तो मैं फिर इसको बाद में ले लूंगा।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**--दो चार दस मिनट में टाइप हो जाता, तब तक के लिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**--माननीय सदस्य का भाषण सुनने के बाद इस पर विचार करना अच्छा होगा।

**श्री कैलाश प्रकाश**--श्रीमन्, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार यह विधेयक तमाम म्युनिसिपैलिटीज और नोटिफाइड एरियाज में लागू होगा। पहला प्रतिबन्ध जो दिया गया है उसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि जनहित में वह आवश्यक समझे तो एक विज्ञप्ति द्वारा वह किसी टाउन एरिया या किसी और अन्य क्षेत्र में भी उसको लागू कर सकती है। दूसरा प्रतिबन्ध जिसके विषय में यह संशोधन है वह मौजूदा यह है कि यदि सरकार चाहे तो किसी वक्त भी उस विज्ञप्ति को रद्द कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। इस सबका सारांश यह निकलता है कि सरकार को यह तो अधिकार है कि वह टाउन एरिया में या किसी दूसरे क्षेत्र में जब आवश्यक समझे तो उसको वहां से हटा दे लेकिन किसी म्युनिसिपैलिटी में या नोटिफाइड एरिया में अगर हमने यह बिल पास कर दिया तो यह लागू हो जायगा और जब तक यह अधिनियम रहेगा तब तक किसी को सरकार को भी यह अधिकार न होगा कि किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफायड एरिया से उसको हटा दे। माननीय सदस्य इससे तो सहमत होंगे कि यह बिल जो लाया गया है या जो ऐक्ट लागू है वह केवल इसलिये है कि मकानों की दिक्कत बड़े-बड़े शहरों में है और क्योंकि दिक्कत है इसलिये नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है अन्यथा नियंत्रण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह सम्भव हो सकता है कि किसी म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया में इस बीच में इस कानून की आवश्यकता न रहे और यह जरूरत महसूस हो कि जनहित में बजाय लागू रखने के इसको हटाया जाय, इसलिये इसकी जरूरत है कि ऐसी परिस्थिति के लिये यह अधिकार सरकार के पास रहे। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आज के ऐक्ट में भी यह अधिकार सरकार को दिया गया है क्योंकि आज का प्राविजो यह है कि--

"Provided that the State Government may by notification in the official gazette declare that it shall cease to apply....."

तो इसमें भी है कि "इट शैल सीज टु एप्लाई"। मेरा जो संशोधन इस प्राविजो में है वह यह है कि यह अधिकार सरकार के पास रहना चाहिये कि जब सरकार आवश्यक समझे तो इसको विदड्रा कर ले और इसका वहां लागू होना समाप्त हो जाय। मुझे इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इतना सुनने के बाद मेरे सब साथी इससे सहमत होंगे।

**श्री जोरावर वर्मा**--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाश प्रकाश जी ने जो संशोधन रखा है मैं समझता हूं कि जो ऐक्ट प्रस्तुत है उसमें यह एक बड़ी कमी थी, उसको इसके द्वारा दूर किया जा रहा है इसे बड़ी दूरदर्शिता से तैयार किया गया है जितने नये प्राविजन हैं जब सरकार चाहे उनको लागू कर सकती है वहां इस तरह का कोई प्राविजन नहीं था कि अगर किसी म्युनिसिपल एरिया में या नोटिफाइड एरिया में

[श्री जोरावर वर्मा]

इसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको किस प्रकार से कैन्सिल किया जाय। मैं समझता हूं कि यह एक आवश्यक संशोधन है और यह बहुत बड़ी कमी को पूरा करता है और इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---मैं तो चाहता हूं कि इसको अभी थोड़ी देर के लिये मुल्तवी कर दिया जाय, क्योंकि यह दूसरे प्राविजो की पूरी शक्ल को बदल देता है। इसलिये इस पर विचार होने के बाद उस पर विचार करने की जरूरत न होगी। इसलिये इतना मौका दिया जाय कि हम इसको समझ सकें।

श्री बनारसी दास---आप कितना समय चाहते हैं?

श्री गेंदा सिंह---आखिर में इसको ले लिया जाय।

श्री बनारसी दास---हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगले क्लाजेज ले लिये जायं और जो इसके अमेंडमेंट हैं उनको बाद में लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं नहीं जानता कि नारायण दत्त जी के संशोधन की आवश्यकता रहती है या नहीं।

श्री गेंदा सिंह---मुझे श्री नारायण दत्त जी ने पेश करने को कहा है, अगर इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह दोनों मिलते-जुलते से हैं।

श्री बनारसी दास---जैसा कि अभी श्री गेंदा सिंह जी ने कहा है श्री नारायण दत्त जी के संशोधन के पेश करने के लिये उचित यह होगा कि इस संशोधन पर साथ ही में विचार कर लिया जाय, क्योंकि वह इससे सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस बीच में हम एक संशोधन और ले लेवें ताकि माननीय सदस्य को मौका मिल जाय और वह उस पर विचार कर लें।

श्री जोरावर वर्मा---मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (2-a) के तीसरे प्रतिबन्ध का भाग (ii) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ऐक्ट में देखता हूं कि जब मकानों की कमी हो तो गवर्नमेंट यह देखे कि आवश्यकता है तो इस कंट्रोल बिल के द्वारा लोगों को मकान दिला सकती है, परन्तु सरकार ऐसे लोगों को मैं समझता हूं छूट दे रही है जो प्रादेशिक सरकार से या केन्द्रीय सरकार से जिसने परमिशन लेकर के मकान बनवा लिया है या आकूपाई कर लिया है उस पर यह ऐक्ट लागू नहीं हो सकता है चाहे भले ही वह मकान खाली पड़ा रहे। तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि यह उचित है क्योंकि इस प्रकार से जो पहुंच वाले लोग हैं वह इस सरकार से या केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार की परमिशन प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार के मकान खाली पड़े रह कर न जाने क्या दुरुपयोग उनका हो सकता है और जिन लोगों को इस प्रकार के मकानों में रहने की आवश्यकता है सरकार उस पर कोई ऐक्शन नहीं ले सकती है और न कोई आदमी इस प्रकार के मकानों के मांगने की हिम्मत कर सकता है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि इस पर कोई अधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री बनारसी दास---उपाध्यक्ष महोदय, श्री जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है स्वयं उन्होंने इस प्रतिबन्ध के पहले भाग को माना है जिसमें इस विधेयक

के द्वारा केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार के मकान हैं उन पर इस एक्ट को लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिन हुये इस सदन ने रिक्वीजीशन ऐक्ट पास किया है जिसके अनुसार पब्लिक मकानों को रिक्वीजीशन नहीं करती है। सरकार सार्वजनिक हित में ऐसे मकानों को रिक्वीजीशन करती है। तो इस प्रकार के मकानों को जिनको सरकार सार्वजनिक हित में देती है या सरकारी काम में लाती है अगर उन पर भी इस ऐक्ट को लागू किया जाय तो बड़ी कठिनाई होगी। यह आवश्यक मालूम होता है कि इस प्रकार के मकान जो सार्वजनिक हित में लिये जायं उन पर यह ऐक्ट लागू न किया जाय, चूंकि सार्वजनिक हित व्यक्ति के हित के ऊपर होता है और इससे किसी व्यक्ति विशेष को कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जोरावर वर्मा जी इससे सहमत होंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

**श्री जोरावर वर्मा**— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रकाश इस पर डाल दिया है कि वह पब्लिक इंटेरेस्ट में है इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से पहले संशोधन दिया था उसकी जगह दूसरा संशोधन रखना चाहता हूं :—

खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (2-a) के तीसरे प्रतिबन्ध के भाग (iii) के बाद निम्नलिखित भाग (iv) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(iv) to a portion of the building in which landlord himself resides."

मेरा मंशा यह है कि आज बहुत से ऐसे मकानात हैं.....।

**श्री शिवनारायण**—प्वाइन्ट आफ आर्डर। अभी एक अमेंडमेंट श्री कैलाश प्रकाश जी का इस सदन ने नहीं माना, वैसे ही यह दूसरा अमेंडमेंट श्री रतनलाल जैन ने मूव किया है।

**श्री उपाध्यक्ष**—यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें पढ़ कर सुना दूं। माननीय सदस्य एक बार फिर अपना संशोधन पढ़ कर सुना दें।

**श्री रतन लाल जैन**—मैं इसमें यह रखना चाहता हूं।

"A portion of the building in which the landlord himself resides." इसको मूव करने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज बहुत से ऐसे मकानात है, जिनमें कुछ हिस्से खाली है, जिनको मकान मालिक अपनी इच्छा से, जब यह कानून नहीं लगा था तो, किसी-किसी को किराये पर दे दिया करते थे। जब से यह कानून लगा है तब से वह उन हिस्सों को किराये पर नहीं देते है, यह समझ कर कि आज मैंने एक आदमी को दे दिया तो फिर सरकार का दखल हो जायगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दखल हो जायगा न मालूम वह किसको रखे। इस उसूल को सरकार ने भी कई हिस्सों में माना है और जो रूल्स बनाये हैं इस ऐक्ट के मातहत उनमें भी यह दिया है कि अगर कोई मकान का हिस्सा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मकान मालिक की इच्छा को जानकर, जहांतक हो उसके अनुकूल करें नहीं तो उसके प्रतिकूल, दे दें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि उसकी इच्छा जान ले।

"The District Magistrate shall, before making the allotment order, consult the owner and shall, so far as possible, make the allotment in accordance with the wishes of the owner."

यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह उनकी इच्छा तो जान ले परन्तु जिसे चाहे उसे दे दें। यह लाजमी उसके लिये नहीं है कि उसी को दे, जिसके लिये कि मकान मालिक की इच्छा हो। इसका नतीजा आज व्यवहार में यह हो रहा है कि जिन मकानों का कोई न कोई हिस्सा खाली है उनके मालिक आज उन्हें किराये पर नहीं दे रहे है। यह मेरे अनुभव में है और मैं समझता हूं कि इस

[श्री रतन लाल जैन]

सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनके भी अनुभव में होगा और इसी शहर के अन्दर सैकड़ों नहीं हजारों मकान ऐसे हैं जिनके मालिक अपने खाली हिस्से को दे देने को तैयार है बशर्ते कि उसे वह अख्तियार हो कि वह उसको दे जो उसकी पसंद का हो। अगर उसकी पसंद का किरायेदार नहीं है तो उसको न दे। चूंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाता है और उसको यह अधिकार है कि उसकी इच्छा को माने या न माने, इसलिये वह आज उन मकानात को नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरमीम का नतीजा यह होगा कि आज बहुत से लोग अपने उन मकानात में जिनके हिस्से खाली हैं, किरायेदारों को रख लेंगे और आज जो मकानों की एक समस्या है वह कितने ही दरजे हल हो जायगी। मालिक मकान को तो किराये का फायदा होगा और जो आज किरायेदार भटक रहे हैं और उनको मकान नहीं मिल रहे है उनको मकान मिल जायंगे। इस संशोधन से किरायेदार को भी फायदा होगा और मकान मालिक को भी फायदा होगा। जो आज थोड़ी सी रुकावट है जिससे कि मकान मालिक डर रहे हैं वह जाती रहेगी इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि यह बढ़ा दिया जाय और इसको बढ़ाने से जो हमारी समस्या है उसको हल करने में काफी सहायता मिलेगी। इसलिये मैं इसको मूव करता हूं।

**श्री बनारसी दास**––उपाध्यक्ष महोदय, श्री रतन लाल जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त भी मौजूदा अधिनियम में जो उसके मातहत उपनियम बनाये गये हैं ७ और ८ उनमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि मकान के किसी भाग में मकान मालिक रहता है तो वह हिस्सा बिला उसकी अनुमति के जिलाधीश किसी दूसरे को न दें। तो यह तो है कि चाहे वह उसकी बात माने या न माने, लेकिन इस पर हाईकोर्ट की बहुत सी रूलिंग हो गई है जिनमें कि उन्होंने माना है कि जिस भाग में मकान मालिक रहता है तो यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिये अनिवार्य है कि वह वहां मालिक की कंसेन्ट अवश्य ले। तो इसलिये मैं समझता हूं कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह बिलकुल साफ है और यह गवर्नमेंट की मंशा भी है कि जिस मकान के हिस्से में मकान मालिक रहता है उसी की इच्छा के अनुसार वहां पर किरायेदार रहे। अगर कोई दिक्कत हुई तो ऐक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये से पूर्ति हो जायगी। इसलिये यहां पर इस ऐक्ट में इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिये मैं रतनलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

**श्री रतनलाल जैन**––माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसको देखते हुये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री उपाध्यक्ष**––क्या माननीय गेंदा सिंह जी ने विचार कर लिया या और समय की आवश्यकता होगी ?

**श्री बनारसी दास**––पहले तो कैलाश प्रकाश जी का ले रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**––मैं समझता हूं। श्री कैलाश प्रकाश जी अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं।

*श्री गेंदा सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाश प्रकाश जी द्वारा जो संशोधन उपस्थित हुआ है उसका दुख है मुझे कि मैं विरोध करना चाहूंगा। माननीय नारायण दत्त जी का जो संशोधन था वह उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं। वह यह था कि:––

"खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा ( 2-a ) में से दूसरा प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दूसरा प्रतिबन्ध जो था वह यह था कि :

"Provided further that the State Government may likewise cancel or amend any notification issued under the preceding proviso and the provisions of section 6, of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, shall apply upon such cancellation as if this Act or the portion therein applied had been an enactment repealed by an Uttar Pradesh Act."

तो इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात तो कुछ अजीब लगती है कि सरकार को अगर इस बात के लिये अधिकार है कि वह किसी खास क्षेत्र में किसी गांव में भी टाउन एरिया म्युनिसिपैलिटी में नोटीफाइड एरिया जहां कहीं चाहे वहां अगर कानून को लागू करने का हुक्म दे सके तो फिर वैसी हालत में उसको उठा लेने का भी अख्तियार रहना चाहिये। बड़ा साधारण सा मालूम होता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय अब की मरतबा इस विधेयक को लाते हुये सरकार ने कुछ गैर मामूली अधिकार लिया है कि न सिर्फ टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया में वह इसको लागू कर सकेगी, आवश्यकता पड़ने पर उस प्रावीजन को हम पास कर चुके हैं, वह यह भी कर सकती है कि वह किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र में इसको लागू कर सके। यह जो पहला प्राविजो है उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है "or in any other area" तो ऐसा मैं समझता हूं। मंशा तो उसका यह है कि अगर कहीं गांव में भी इस बात की जरूरत पड़े कि वहां पर इस कानून को लागू किया जाय तो फिर लागू किया जायगा। खैर, मैं इस बात से तो नहीं डरता कि अगर वह शहर में या टाउन एरिया में या नोटीफाइड एरिया में लागू हो और आवश्यकता पड़े तो गांवों में भी लागू हो, इससे थोड़ी सी खुशी हमें भी होती है, क्योंकि मालूम यह होता है कि जो बड़े-बड़े मकान इस वक्त गांव में पड़े हुये हैं और जो एक तरह से बेकार मालूम होते है और गांव में फूस के छप्पर भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो संभव है सरकार का ध्यान इस तरफ जाय कि लोगों को जिनका कहीं ठिकाना न हो और वह बेघरबार के बसर करते हों तो उनको इन मकानों में आबाद कराया जाय तो यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक मर्तबा उनको आबाद करा देने के बाद यदि कलेक्टर साहब कहीं उनसे नाराज हो जायं और क्योंकि वे बड़े खुदा लोग हैं, एक दिन उनसे कहें कलेक्टर साहब कि तुम निकल भागो यहां से, जिस दिन खुदा मियां नाराज हो गये उस दिन वह निकाल भगाने की बात करें। उस दिन के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत डरता हूं तो इसके सेफगार्ड के लिये मैं इतनी बात चाहता हूं, जैसा कि श्री नारायण दत्त जी तिवारी का संशोधन था जिस पर मैं बहस कर रहा हूं और उसी मंशा से मैं श्री कैलाश प्रकाश जी के संशोधन का विरोध कर रहा हूं कि इस तरह से अख्तियारात सरकार को न दिये जायं।

इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो इसके माने यही हैं कि कलेटर साहबान करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट आपकी क्या है? वह तो ५१ कलेक्टर ही हैं। ५१ कलेक्टर आपके पूर्व को पश्चिम कह दें, तो संभव है यहां पर दिक्कत पड़ेगी क्योंकि यहां पर कैसे समझायेंगे कि पश्चिम नहीं पूर्व है, दिक्कत पड़ेगी। श्री शिव नारायण जी बहुत ही घबरा रहे हैं सुनकर, मैं उनसे माफी चाहूंगा कि इस समय वह सुन लें और सुन लेने के बाद उनको अख्तियार है जो चाहेंगे सुना देंगे। इसलिये मैं ऐसा सोचता हूं कि पूर्व को पश्चिम कहने वालों के हाथों में इस तरह के अख्तियारात न दिये जायं। माननीय गुप्ता जी थोड़े ही सब कुछ करेंगे। मान लीजिये अलीगढ़ में किसी गांव में नोटीफाई कर देते हैं कि फलां आदमी का मकान ले लिया जाय तो यह नहीं होगा कि वह यहां से सब देखा करें और देखकर ही करेंगे। वह किसी इत्तिला पर ही तो करेंगे और जो इत्तिला देने वाले हैं उनकी जो हालत है उसकी जानकरी हमें भी है और माननीय गुप्ता जी को भी है। लेकिन वह यहां स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी कबूल नहीं कर सकते हैं कि उनकी ऐसी जानकारी है और हमें मालूम है कि जब वह जवाब देंगे तो हमें बहुत डाटेंगे कि गेंदासिंह ने गलत कहा। उनके ५१ बादशाह बैठे हैं, उनकी खराब बात की जानकारी उनको है वह यह कभी नहीं कह सकते हैं। अगर यह बात कहने की आदत

[श्री गेंदा सिंह]

सरकार में पड़े तो यह हिम्मत कभी नहीं हो सकती थी, पीलीभीत के कलेक्टर को कि जब उनसे श्री शाहिद फाखरी मिलने जायं तो कह दें कि मैं बीमार हूं और दूसरे लोगों से मिल लें इस जानकारी से लोगों की मुसीबत आएगी।

शहरों में कलेक्टर साहबान कर रहे हैं, अलाट करने वाले कर रहे हैं और मकान को अपने हाथ में करने वाले जो काम कर रहे हैं तो इससे वह बीमारी और बड़े पैमाने पर बढ़ने का डर है। इसलिये मैं समझता हूं कि अख्तियार तो वह लेंगे ही, लेकिन जरा हाउस में चर्चा हो जाती है और माननीय गुप्ता जी चाहते हैं या सरकार जो चाहती है वही पास हो जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ जाता है कि थोड़ी चर्चा यहां हो जाती है। यह असंभव है कि इस चर्चा से कुछ लाभ हो जाय।

मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके इस अख्तियार को न लें और अगर नहीं लेंगे और फिर अगर उनको जरूरत पड़ेगी जहां कहीं अमेंड कराने की या कैंसिल कराने की बात हो तो वह उसके लिये हाउस के सामने चले जायेंगे और इस तरह से मैं दूसरी बात भी सोचता हूं कि जब यह बात रहेगी कि हाउस के सामने जाना पड़ेगा इस काम के लिये, तो जो ५१ बादशाह हैं वह बादशाह भी डेमाक्रेटिक ढंग पर चलने की कोशिश करेंगे। वह भी सोचेंगे कि कुछ जवाबदेह होना पड़ेगा, अगर कोई चीज हमने ऐसी कर दी जिसको वापस लेने में थोड़ी सी कठिनाई होगी तो वह फूंक फूंक कर कदम इस संबंध में रखेंगे। मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल रखेंगे, लेकिन कुछ ख्याल जरूर रखेंगे। तो इन बातों को कहते हुये मैं माननीय अन्न मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हम लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता रहे, इससे कोई तकलीफ उनको नहीं माननी चाहिये। इतना ही हो सकता है हम थोड़ी बातचीत कर लेंगे। जब उनको जरूरत पड़ेगी कि किसी म्युनिसिपैलिटी को छोड़ देना है, किसी को छोडना है तो विचार विनिमय करने के बाद जैसा चाहें तो वह फैसला हो ही जायगा। इतनी बात कह कर मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो बड़ा हार्मलेस प्रस्ताव है, इसमें कोई पालिसी का सवाल नहीं है, इसको अन्न मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं माननीय कैलाश प्रकाश का जो संशोधन है उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात जो माननीय गेंदासिंह जी ने कही है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं, परन्तु बात उसमें यह है कि यह सरकार जो है वह ५१ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेस की है। डेमोक्रैसी का तो चिह्न भी नहीं, ब्योरोक्रैसी है और वह इसी देश में नहीं और देशों में भी ब्योरोक्रैसी का एक अधिकार होता है और उनका सरकार चलाने में बहुत सा कार्य होता है। मुझे जो दुख हुआ वह यह है कि जो प्राथमिकता उनको मिली है या जो ब्यौरोक्रेसी को निरंकुश अधिकार मिले हैं, तो यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। हमारी मिनिस्ट्री की बौद्धिक शक्ति उस पैमाने और हद तक पहुंचती नहीं कि उन तानाशाही मैजिस्ट्रेट्स को अच्छी तरह से सुचारुरूप से अपना काम चलाने के लिये अग्रसर बना सकें। यह मैं नहीं मानता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खराब है, परन्तु यह अवश्य कहूंगा कि आज इस सरकार की बौद्धिक निर्बलता का कारण यह है कि वह जो लिख देंगे या कर देंगे तो मंत्री महोदय में इतना साहस नहीं और इतनी बुद्धि नहीं है कि उनकी पेचीदगियों को वह समझ सकें और सुचारुरूप से काम चलाने के लिये उसके अनुसार आदेश दे सकें। मैंने कहा कि विदेशों में भी उनके अधिकार है, परन्तु उन पर एक नियंत्रण है। आज जो ब्योरोक्रैसी हमारे देश में है वह मिनिस्ट्री से कहीं आगे है, वह अपनी बौद्धिक शक्ति से आज इस देश पर पूर्णतया शासन कर रहे हैं और हमारी सरकार और मिनिस्ट्री एक जगह बैठ कर देख रही है। अगर किसी जिले में पहुंचे भी तो मैजिस्ट्रेटों की ओर से दावत के इन्तजाम में १०-२० आदमी उनके पास

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहुंच जाते हैं जिससे यह कहने को मिल जाय कि हमारा जिलाधीश चौबीसों घंटे काम करता है, बिना भोजन ही काम में जुटा रहता है। इससे बढ़कर अगर सरकार को कुछ कहा जाय तो मुख्य मंत्री जी भी आगे बढ़कर अपने उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के बारे में यह ध्यान न रखते हुये कि वह शिकायत उचित है, अपने डिपार्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिये ऐसी कार्यवाही करते हैं कि लोग शिकायत करना ही छोड़ दें।

श्रीमन्, यह एक सिद्धांत की बात है कि पावर्स जो होते हैं वह डेलीगेट किये जाते हैं, डेलीगेशन जो है वह आवश्यक है। अगर सरकार पर भरोसा न किया जाय तो यह लेजिस्लेचर बारहों महीने कब तक बैठकर कोई काम कर सकता है। इसलिये यह रूल्स मेकिंग डेलीगेटेड एथारिटी जो है वह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उस पर विश्वास करना आवश्यक है और यह कहना सही नहीं है कि हर परिवर्तन जो इसमें किया जाय, या किसी अधिनियम में, या उसके अधीन जो नियम बनाये जायं वह सब सदन के सामने लाये जायं और सदन की अनुमति लेने के उपरान्त उसके अनुकूल आज्ञा निकाली जाय, यह असंभव है। यह किसी प्रदेश में नहीं हो सकता इसके लिये एक सिद्धांत ही अलग बना हुआ है। विधान मंडल को अपने कुछ अधिकार सरकार को अवश्य ही देना चाहिये। जहां तक इसका प्रश्न उठता है मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमें उनको अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं है। अधिकार वह अवश्य रखें, लेकिन उन अधिकारों का दुरुपयोग जब होता है तो मजबूरन इस सिद्धांत में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है और यह महज उन्हीं कलेक्टरों की वजह से है जिनकी जिम्मेदारी अगर मुख्य मंत्री जी के ऊपर अधिक है तो माननीय गुप्त जी के ऊपर भी कम नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका सिद्धांततः विरोध करता हूं।

**श्री शिवनारायण**––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बाबू कैलाश प्रकाश जी का जो अमेंडमेंट है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रारम्भ से, जबसे कि इस बिल के ऊपर डिस्कसन हो रहा है, उसके ऊपर हमारा विरोधी पक्ष तिलमिला उठा है, बड़े जोर से बिगड़ उठा है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारे सारे अधिकारों को छीन रही है। लेकिन मुझे जितनी माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी से शिकायत नहीं है उससे अधिक बाबू गेंदासिंह से शिकायत है कि जो सोशलिस्ट लीडर होकर, सोशलिज्म का जो प्रोग्राम सरकार कैरी आउट कर रही है, गरीबों के लिये इन्तजाम कर रही है, उसका विरोध वह कर रहे हैं, हमारे वह आदमी, वह अफसरान या वह छोटे-छोटे कर्मचारी या वह प्रोफेसर या वह टीचर जो कि गांवों में जायेंगे, एजुकेशन का जो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना के द्वारा उसके लिये और जो गांवों में रहेंगे, तो गांवों में, नोटीफाइड एरियाज में उनके रहन-सहन के लिये अगर हम वहां कंट्रोल न रखें तो उनको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर शहर से निकलना दुश्वार है। टी० बी० की कितनी बड़ी समस्या वहां है। आज हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, गांवों में एक्सटेंड करके गांवों की दशा को सुधारना चाहते है, शहर की शहरियत गांवों में भी पहुंचाना चाहते हैं।

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)––उपाध्यक्ष महोदय, आप विरोध में बोल रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं?

**श्री शिवनारायण**––मैं अपने अमेंडमेंट का समर्थन कर रहा हूं। आप जरा होश में बैठिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट का समर्थन कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने इसमें प्राविजन यह किया है, यह रखा है कि गवर्नमेंट जहां चाहेगी वहां यह लागू होगा और जहां नहीं चाहेगी वहां नहीं लागू होगा। हम सरकार को बांध रहे हैं, उसको छुटकर चरने को नहीं कह रहे हैं जैसा कि गेंदा सिंह जी को शिकायत है कि ५१ कलेक्टर इस प्रान्त के मालिक हैं। मैं कहता हूं कि ५२ कलेक्टर हमारे सेक्रेटरिएट में पड़े हुये हैं जो उन कलेक्टरों के ऊपर

[श्री शिवनारायण]

शासन करते हैं और उनके काम में बाधा डालते हैं। हमारी शिकायत है कि हमारे कलेक्टरों के काम में बाधा डाली जाती है और वह ठीक से काम करने नहीं पाते। गेंदा सिंह जी को कुछ पता नहीं है। क्या स्टडी है गेंदासिंह जी की? इस विषय पर उनको कुछ भी स्टडी नहीं है। कलेक्टर हमारे दिन रात काम करते हैं और उनकी आप शिकायत करते हैं। हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते।

तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं कहता हूं कि कैलाशप्रकाश जी ने जो अमेंडमेंट दिया है उसमें हमको यह फायदा होगा कि हम जहां चाहेंगे इसे लागू कर सकेंगे और मकानों की दिक्कत को दूर कर सकेंगे। जैसा अभी कहा गया है हमारे राज्य में बहुत से राजा लोगों के मकान भी हैं हम इस प्रतिबन्ध से यह कर सकेंगे कि जहां जरूरत होगी, लोगों को मकान दिला सकेंगे। इसमें सारे प्रांत की भलाई है। गरीब और अमीर सबकी भलाई है। गांव में भी एक्सटेंड कर रहे हैं। राजा साहब जो बहुत उछल कूद रहे हैं, उनके भी हित में है। मैं श्री कैलाश प्रकाश जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सुन्दर संशोधन देकर इस बिल में जो कमी थी वह पूरी कर दी।

**श्री नौरंगलाल** (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष, कैलाश प्रकाश जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं पहले तो यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने जो अपना शक प्रगट किया है वह निराधार है इसलिये कि इस संशोधन के जरिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ताकत नहीं दी जा रही है। उनका शक तभी ठीक होता अगर यह इस तरह का संशोधन होता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सरकार के लिये ही यह ताकत दे दी जाय कि इस ऐक्ट को किसी व्यक्तिविशेष के खिलाफ रोक देते। इसमें यह तर्क है कि यह जो संशोधन रखा गया है वह जनरल है, सबके ऊपर यह हावी होगा। सस्पेंड और डिस्पेंस में फर्क है और वह यह है कि किसी आदमी के फेवर में सस्पेंड कर दिया। अगर ऐसी ताकत दी जाती है तब तो करप्शन हो जाता है जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ताकत दे दी जाय या सरकार को यह ताकत दे दी जाय कि किसी खास व्यक्ति के हक में ला को सस्पेंड कर सकती है। तब तो करप्शन हो जायगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सरकार को मौका मिलेगा कि किसी ए बी सी डी के लिये सस्पेंड कर सकेगी ला को और उसके साथ फेवर कर सकेगी। ऐसा तो संशोधन है नहीं। वह तो जनरल है जैसे कोई चोरी करेगा, या रिश्वत लेगा तो सजा पायेगा। इसमें सुपरिन्टेंडेंट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता। तो यह जनरल पावर है और जनरल पावर में करप्शन की संभावना नहीं होती? करप्शन वहीं आता है जहां व्यक्तिगत आजादी दे देते हैं कि उसके खिलाफ करो या माफिक करो। लेकिन इसमें तो यह है कि अगर ऐक्ट लागू होगा तो सब व्यक्तियों पर लागू होगा। अगर नहीं होगा तो किसी पर नहीं होगा। जनरल में इस तरह का शक पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में जो कनफ्यूजन पैदा हुआ है वह इस अमेंडमेंट को न समझने की वजह से है और इसको श्री गेंदासिंह समझ लेंगे। अगर यही लाजिक दी गयी तो इसके मानी यह है कि कलेक्टर को शक्ति देना नहीं चाहिये, उसके लिये पावर आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन बेकार है क्योंकि वह मनमानी करेगा। एक प्वाइन्ट और भी है सोचने के लिये और वह यह है कि अगर हम किसी को शक्ति देते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर देते है, तो लाजिक है कि हमें यह भी ताकत देनी चाहिये कि जो डिस्क्रिशनरी पावर दी है वह किसी चीजों को लागू करने के लिये नहीं बल्कि रोकने के लिये भी होनी चाहिये। अगर वह कार्य हानिकारी हो जाय तो जिसको उस कार्य का प्रारम्भ करने का अधिकार है उसे उस शक्ति को वापस करने का भी अधिकार होना चाहिये। लेकिन यह शक्ति नहीं है तो वह हाथ बाए हुये खड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकेगा और उस शक्ति का दुरुपयोग होता रहेगा। इसलिये जहां तक इस तरह के ऐक्ट को लागू करने की शक्ति देनी चाहिये वहां यह भी लाजिमी शक्ति उसको दी जानी चाहिये कि जहां और जिस वक्त जरूरत खत्म हो जाय उसको वापस ले ले। यही इस अमेंडमेंट का मंशा है।

एक और बात है जिसमें विशेषता निहित है। जहां तक मेरा ख्याल है कि इस धारा को लाकर सरकार की कोशिश यह है कि हमारे विरोधी दल के नेता भी सहमत होंगे कि जो शहरी पापुलेशन है उसको देहात में जाना चाहिये। पढ़े लिखे लोग शहरों में आते हैं और देहात शून्य होते जाते हैं। सरकार की मंशा यह है कि शहरों की आबादी को देहातों में ले जाकर देहातों में एक नयी पापुलेशन बढ़ायी जाय जिससे देहात में कुछ पढ़े-लिखे लोग आ सकें। पढ़े-लिखे कैसे आयें? अगर पढ़े-लिखे लोगों को वहां पर भेजना है तो उनको आसाईश और आराम की चीजें देना चाहिये जैसे अस्पताल, स्कूल, सीड स्टोर और बाग है, रेस्ट हाउसेज हैं, रेफरेशमेंट रूम्स है। रिफ्रेशमेंट हाउसेज हैं। ये सब देहातों में थोड़े बहुत जरूर खोलने पड़ेंगे। जब देहातों में ये खोलने पड़ेंगे तब मकानों की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। साथ में एक आवश्यकता और पड़ेगी जिसको कि हमने नहीं सोचा। हम नेशनल सर्विस ब्लाक्स खोल रहे हैं और यह महसूस किया जा रहा है कि देश में ज्यादा से ज्यादा नेशनल सर्विस ब्लाक्स खोले जायं तब उनके लिये डाक्टर्स की जरूरत है, कम्पाउन्डर्स की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, एग्रिकल्चरल मास्टर्स की जरूरत है, सीड स्टोर्स की जरूरत है, ओवरसीयर्स एन्ड इंजीनियर्स की जरूरत है और उनके लिये असिस्टेंट इंजीनियर्स की जरूरत है। अगर नेशनल सर्विस ब्लाक में सर्विस करनी है तो इन सबको देहात में रहना लाजिमी होगा। तो फिर जगह कहां से आयेगी? मकान खाली हैं लेकिन मकान मालिक उनको देते नहीं और जब नेशनल सर्विस ब्लाक्स का खोलना अनिवार्य है तो फिर सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह मकानों को ले ले। क्योंकि अगर कम्पाउन्डर्स, डाक्टर्स, सीड स्टोर्स के लिये जगह नहीं मिलती जो सारी की सारी स्कीम बेकार हो जाती है। इसीलिये सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस ऐक्ट को लागू करे क्योंकि इसकी जरूरत है। मकान देहातों में किराये पर नहीं मिलते क्योंकि लोग डरते हैं। दूसरी तरफ धीरे-धीरे सरकार की जो मकानों की योजना है वह उसके अन्तर्गत मकान बनाने जा रही है। मकान एक दो साल में बन जायेंगे। सीड स्टोर्स के लिये मकान नहीं हैं तो सीड स्टोर्स के लिये मकान लेने होंगे लेकिन डेढ़ साल के बाद जब अपने सीड स्टोर्स सरकार बना लेगी तो फिर उनकी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही हास्पिटल्स के लिये है। इसी तरह से हर सरकारी बिल्डिंग स्कूल वगैरह के लिये है कि इस वक्त लाजिमी तौर पर हम बिल्डिंग्स को लेंगे जिनमें हम अपने स्टाफ और आफिसर्स को रख सकें, लेकिन धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों हमारी बिल्डिंग्स बनती जायंगी, सरकारी इमारतें तैयार होती जायंगी हमको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन फिर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा और उसका निफाज खत्म हो जायगा। यह है मंशा इस अमेंडमेंट की, कोई सिद्धांतिक बात नहीं है, कोई लम्बा चौड़ा प्रिंसिपल इनवाल्व नहीं है। जितने समय तक जरूरत है, आवश्यकता है उतने समय तक लिया जायगा और ज्योंही आवश्यकता पूरी हो जायगी त्योंही यह खत्म कर दिया जायगा। देहात में ऐसा कोई प्रोबलम नहीं है कि मकान मिलते न हों। देहात में जो सीड स्टोर्स से ताल्लुक रखेगा उन्हीं के लिये जरूरत होगी, कोई मजदूरों के लिये मकानों की समस्या नहीं है जो उनके लिये यह कोई परेशानी हो। जितनी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उनके लिये ही मकानों की आवश्यकता होगी और जब तक आवश्यकता रहेगी तब तक ऐक्ट लागू रहेगा और जब आवश्यकता खत्म हो जायगी तो ऐक्ट भी खत्म हो जायगा। ये दो तीन बातें मैंने सदन के सामने उपस्थित की हैं। इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये गवर्नमेंट पर हमें विश्वास करना चाहिये, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स पर विश्वास करना चाहिये। केवल जनरल ला का सवाल है। जब तक आवश्यकता रहेगी तब तक बंधन वैसे डेमोक्रेसी में खराब होता है, जिस दिन जरूरत नहीं समझी जायगी उस दिन खत्म कर दिया जाय गा। अगर यह समझा जाता है कि सरकार मनमानी करती है उस दिन सेनश्योर मोशन लाया जा सकता है, हाउस को मौका है कि गवर्नमेंट की नीति को क्रिटिसाइज कर सकता है, दूसरा ऐक्ट ला सकता है, नान-आफिशियल रिजोल्यूशन लाया जा सकता है, गवर्नमेंट को नीचा दिखाया जा सकता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विषय पर कुछ अधिक न कह कर यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो संशोधन श्री कैलाश प्रकाश जी ने रक्खा है सदन को उसे मंजूर करना चाहिये।

*राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र कैलाश प्रकाश जी ने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं पहले यह साफ कर दूं कि हमारी पार्टी की ओर से अवधेश प्रताप जी ने इसका विरोध किया, लेकिन हम लोग स्वतंत्र हैं इस विषय पर अपने अपने विचार रखने के लिये। लेकिन चूंकि सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले रही है तो जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा हमें उस पर भी सोच लेना चाहिये कि अगर सरकार चार साल तक कोई गल्ती करती रहे और उसका कोई निवारण न हो तो यह एक बड़ी भूल होगी। इस वजह से मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं जैसाकि श्री गेंदासिंह जी ने कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूं।

जिलाधीश से और दूसरी जगह से रिपोर्ट आती है कि सरकार गलत काम करती है। हर सरकार गलती करती है और मुमकिन है कि यह सरकार भी गलती करे, लेकिन उसके माने यह नहीं हैं कि हम भी गलती करें और सरकार ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको समझाने की कोशिश न करें। अगर उन गलतियों को ठीक करने का अधिकार अपने हाथ में न हो तो यह भी एक भूल होगी। गलती को ठीक करने के लिये यदि संशोधन न हो तब तो और भी कठिनाई हो सकती है। जैसा कि हमारी तरफ से संशोधन रखा गया था कि टाउन एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा अधिकार सरकार न बरते, लेकिन उसने बरता और वह सरकारी संशोधन पास भी हो चुका है। तो अगर यह अधिकार हमको न हो कि आपके आफिसर गलत रिपोर्ट दें और उस पर विचार भी न किया जाय तो उसमें दिक्कत हो सकती है। मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है।

श्री बनारसी दास--श्री कैलाश प्रकाश जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसको स्वीकार करता हूं। श्री गेंदा सिंह जी ने इस बात पर आपत्ति की है। मैं समझता हूं कि उनको कुछ आशंका है किन्तु वह निर्मूल है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अवधेश प्रताप सिंह जी की परस्पर विरोधी बातें सुनकर। वह चाहते थे कि पहला प्रतिबन्ध हटा दिया जाय जिसके द्वारा टाउन एरिया में हम चाहते थे कि यह अधिनियम लागू किया जा सके और वह चाहते थे कि टाउन एरिया और कई दूसरे क्षेत्र इस अधिनियम की परिधि के बाहर हों जब कि सरकार इसके बाद दूसरा अधिकार लेना चाहती थी कि यदि किसी जगह आवश्यकता न हो तो वहां से उसको बाहर किया जा सके। आपका विरोध करना मुझे तर्कसंगत नहीं मालूम होता। मुझे इस बात से बड़ा हर्ष हुआ कि जो लोग पहले जिलाधीश के प्रभाव में आ जाया करते थे उनके अन्दर आज यह साहस हुआ कि जिला मैजिस्ट्रेट की आलोचना कर सकें। यह उचित है। लेकिन जहां तक ५१ जिला मैजिस्ट्रेटों का सवाल है वह यहां के प्रति और यह मंत्रिमंडल इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। जिला मैजिस्ट्रेट को या अन्य कर्मचारी के लिये इस विधेयक के द्वारा कोई भी शक्ति नहीं दी जा रही है और न जिला मैजिस्ट्रेट को इस प्रकार की कोई पावर है। अगर किसी जगह से ऐक्ट को हटाना होगा या किसी जगह पर लागू करना होगा तो वह यहां से गजट के द्वारा किया जायगा। मैं जानता हूं कि श्री गेंदा सिंह जी और उनके साथी हमेशा सजग रहते हैं लेकिन यह हो सकता है कि ऐसी जगह इस ऐक्ट को लागू करने की जरूरत न हो। यदि कहीं दूसरे प्रतिबन्ध के द्वारा उसको हटाने के लिये कहा जायगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह जरूर उनकी दृष्टि में आयेगा। तो इस ऐक्ट की सारी स्पिरिट यह है कि तमाम क्षेत्रों में इसका अधिकार क्षेत्र रखा जाय और सब जगह इसको लागू करना चाहते हैं लेकिन साथ-साथ वहां इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके अंग को हटाने की शक्ति या उस सारे अधिनियम को हटाने की शक्ति सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। इस प्रश्न पर बड़े विस्तार के साथ कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने गौर किया था। इसलिये यह कहा था कि हेड क्वार्टर पर हमारे पास मशीनरी है जिसके द्वारा हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर स्थिति के अन्दर परिवर्तन हो गया है, जहां पर उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो वहां पर रेंट फिक्स करने या एविक्शन करने की सारी धाराओं पर कंट्रोल नहीं करते। इसलिये इन दोनों प्रतिबन्धों के द्वारा यहां शक्ति सरकार केवल अपने पास रखना चाहती है। अभी तक उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है और श्री गेंदा सिंह जी ने कभी उसकी शिकायत नहीं की है कि वहां पर पहले यह अधिनियम लागू किया गया है, वहां से इसको अनावश्यक वापस लिया गया हो जब कि इतने वर्षों से यह ऐक्ट लागू है। श्री गेंदासिंह जी को और उनके साथियों को कभी सरकार के विवेक पर संदेह नहीं हुआ और कभी आपत्ति नहीं हुई कि उसका दुरुपयोग हुआ है। तो फिर आगे चलकर श्री गेंदा सिंह जी को इस बात की आशंका कैसे हो सकती है। यदि जिला मैजिस्ट्रेट इस बात की रिपोर्ट देंगे कि फलां क्षेत्र से यह वापस लिया जाय तो वापस ले लिया जायगा। मैं श्री गेंदा सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस ऐक्ट की सारी मंशा यह है कि हम टेनेंट को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देहात में जहां पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम हो रहा है और देहात को आगे बढ़ाना है तो वहां पर सरकार शक्ति चाहती है, जिससे उन सेवा करने वालों को मकान मिल जायं, उनको रिलीफ दिया जाय और जब यह समझें कि इसकी आवश्यकता नहीं है तब इसे वापस ले लें। हमारे मूल प्रतिबन्ध में उन्होंने इतना और जोड़ दिया है कि म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया जहां इसकी आवश्यकता प्रतीत न हो और सरकार जहां युक्त समझती हो वहां से भी हटा ले। इसलिये यह संशोधन इम्प्रूवमेंट करता है और कैलाश प्रकाश जी के इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं। मैं आशा करता हूं कि गेंदासिंह जी और दूसरे साथी, जिन्होंने आपत्तियां की हैं वे यह महसूस करेंगे कि इस ताकत के देने से कोई हानि नहीं है और यह प्रांत के हित के लिये ही होगा और उससे इस ऐक्ट की उपयोगिता बढ़ जायगी।

**श्री कैलाश प्रकाश**—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से माननीय गेंदासिंह जी को सुना। वैसे मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा संशोधन स्वीकार किया। माननीय गेंदा सिंह जी को सुनने के पश्चात् मैं समझ नहीं पाया कि कैसे और क्या आशंका उनको है। अभी कुछ दिन हुये जब अन्न की कमी थी, अन्न पर नियंत्रण था। जब अन्न की कमी पूरी हो गई, अन्न के ऊपर से नियंत्रण हट गया और मैं समझता हूं कि आज जनता इससे प्रसन्न है कि अन्न पर से कंट्रोल हटा। माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं वे भी कंट्रोल को उस समय से तनिक भी अधिक देर के लिये नहीं चाह सकते जितनी देर के लिये वह आवश्यक है। आज और कई चीजों पर कंट्रोल नहीं है। कपड़े पर नहीं है, तो कोई भी आज यह नहीं चाहेगा कि कपड़े पर कंट्रोल हो। यदि सीमेंट पर कुछ हद तक कंट्रोल है, तो लोगों की यह मांग है कि सीमेंट की कमी पूरी हो जाने पर जल्दी से जल्दी यह कंट्रोल भी हट जाय। इसी तरह से मकानों की व्यवस्था है, अभी बड़े-बड़े नगरों में, नोटीफाइड एरियाज में, टाउन एरियाज में मकानों की कमी है और उसके कारण जो बहुत सी विषमताएं और कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं उनको दूर करने के लिये नियंत्रण रखा जाता है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिये किसी म्युनिसिपैलिटी में, छोटी ही हो, उसमें मकानों की कमी न हो तो यह कठिनाई न होने के बावजूद भी, कमी न होने के बावजूद भी, क्या वह यह चाहेंगे कि वहां के रहने वालों को सदा यह तकलीफ उठानी पड़े कि वह एक मकान छोड़ने या लेने के लिये सदा एस० डी० एम० या डी० एम० महोदय के यहां जाते फिरें। गेंदा सिंह जी ने कहा कि आज भी जिलाधीशों के पास बहुत अधिकार हैं। मैं भी इसी दृष्टिकोण का हूं कि सरकार को, यदि आवश्यकता न हो और हमारे नागरिक अपना उत्तरदायित्व समझें, तो कम से कम अधिकार रखने चाहिये। इसी आशय से संशोधन किया गया है। यदि किसी नोटीफाइड एरिया में या कहीं भी इस ऐक्ट की आवश्यकता न हो तो मैं नहीं चाहता यह ऐक्ट वहां लागू रहे।

जैसा गेंदासिंह जी ने कहा, यह ठीक है कि जो सरकार चाहती है पास करा लेती है लेकिन हमको कुछ कहने का मौका मिल जाता है। मैं बहुत नम्रतापूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश में ११९ म्युनिसिपैलिटीज हैं, सैकड़ों की तादाद में नोटीफाइड एरियाज हैं

[श्री कैलाश प्रकाश]

नोटीफाइड एरियाज अलहदा अलहदा किस्म के हैं, किसी की आबादी बहुत कम है, किसीकी बहुत अधिक है उन सब म्युनिसिपैलिटीज में क्या आप यह उचित समझेंगे कि अगर किसी छोटी सी म्युनिसिपैलिटी में आज इस कंट्रोल को रखने की आश्वयकता नहीं है तो उस म्युनिसिपैलिटी का मसला इस भवन में आये, सरकार उस मसले को लाकर इस भवन के सामने उपस्थित करे। छोटी सी म्युनिसिपैलिटी में या किसी टाउन एरिया में जब इस कंट्रोल को रखने की आवश्यकता न हो तो क्या उसका मसला इस भवन में लाया जाय अथवा क्या आप इस बात को आवश्यक समझेंगे कि अगर दो चार ऐसे नगरों में इसकी आवश्यकता पड़े तो उस मामले को इस भवन के सामने लाते रहें। मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी कहा गया कि जो अधिकार अभी तक सरकार को मिले हुये थे वही इस संशोधन के द्वारा सरकार को मिल रहे हैं। यह कोई नये अधिकार नहीं हैं। यह अधिकार अब तक के अधिनियम में थे। इतने दिनों तक उनके सरकार के पास रहने पर कोई शिकायत नहीं आयी कि सरकार ने इस अधिकार का दुरुपयोग किया हो। सरकार की यह तो शिकायत हो सकती है कि सरकार बहुत सी जगह इसको लागू करती है लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना गया कि कहीं सरकार ने इस अधिकार का दुरुपयोग किया हो, इसलिये इस शंका की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (2–a) के दूसरे प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided further that the State Government may likewise

(i) cancel or amend any notification issued under the preceding proviso, or

(ii) declare that the Act shall cease to apply to any municipality or notified area or other area as may be specified, and the provisions of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1904 shall apply upon such cancellation or declaration as if this Act or the portion had been an enactment repealed in the local area concerned by an Uttar Pradesh Act."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**—मेरे पास अभी दो संशोधन आये हैं। पहला संशोधन तो श्री जोरावर वर्मा जी का है। मैंने उस पर माननीय अन्न मंत्री जी की राय लेने का यत्न किया, शायद उन्हें उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि सदन के सामने उसको रख दूं। वह बहुत छोटा-सा है। वह इस प्रकार है—

"खंड २ की उपधारा ( 2–a ) के तीसरे प्रतिबन्ध की उपधारा (iii) को निकाल दिया जाय।"

**श्री बनारसी दास**—इस पर तो मुझे आपत्ति थी।

**श्री उपाध्यक्ष**—ऐसी हालत में मैं मजबूर हूं कि मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता।

(कुछ ठहर कर)

एक और संशोधन श्री देवकी नन्दन विभव का है। वह इस प्रकार है—

"धारा २ के उपबन्ध के बाद निम्न प्राविजो और जोड़ दिये जायं—

(iv) Provided that the tenant after the commencement of this Act has built or allotted some other suitable accommodation.

(v) That if the accommodation allotted to him is used for any immoral purposes.

(vi) That the accommodation was let to tenant for use as a residence by reason of his being in the service or employment of the landlord and the tenant has ceased to be in such service or employment."

**श्री देवकी नन्दन विभव**---श्रीमन्, मैं अब इसको मूव नहीं करना चाहता।

**श्री उपाध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की धारा २ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा २ में:

(१) खंड (ए) के अन्त में फुल स्टाप के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तदुपरान्त निम्नलिखित नये पैरा के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"But does not include any accommodation used as a factory or for an industrial purpose where the business carried on in or upon the building is also leased out to the lessee by the same transaction."

(२) खंड ( *c* ) में शब्द "of the landlord and tenant in relation to his sub-tenant" के स्थान पर शब्द "of such person" रख दिये जायं।

(३) खंड ) में शब्द "and includes any person holding or occupying any accommodation as a Sub-tenant" निकाल दिया जाय।

(४) खंड (*g*) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*h*) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(*h*) 'vacant' where used with reference to any accommodation, includes an accommodation about to fall vacant an intimation whereof has been sent by the tenant or the landlord to the District Magistrate."

**श्री महावीर प्रसाद शुक्ल** (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ३ में निम्नलिखित उपखंड (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(५) खंड (h) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (i) तथा (*j*) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

(i) 'Agreed rent' means the rent agreed in writing by the tenant.

(j) 'Explanation' Mere acceptance of receipt of rent by the tenant shall not constitute ,'agreement in writing.'

उपाध्यक्ष महोदय, रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट के संबंध में जितनी मुकदमेबाजी इस समय अदालतों में है उसका ३/४ भाग इस पर है कि एग्रीड रेंट क्या है। कोई भी अधिनियम उस समय उत्तम माना जाता है जबकि वह निश्चित हो और उसमें किसी प्रकार इस प्रकार की गुंजाइश न रहे कि कोई भी उसका दुरुपयोग कर सके। इस विधेयक में एग्रीड रेंट की कोई

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

परिभाषा न होने के कारण इस प्रकार का विवाद खड़ा होता रहा है। प्रायः होता यह है कि इस संबंध में मकान मालिक झूठा और गलत दावा इस प्रकार का प्रस्तुत करते हैं कि टेनेंट्स यानी किरायेदार ने उनसे यह किराया मान लिया है। अजीब शहादतें आया करती हैं विशेष कठिनाई उसमें होती है जब कि अधिनियम में विधान था कि यदि तीन महीने का किराया शेष रह जाय तो उस अवस्था में मकान मालिक मुंसिफ के कोर्ट में जाकर दावा कर सकता है कि वह मकान से बेदखल कर दिया जाय। यह एग्रीड रेंट निश्चित न होने के कारण ऐसा हुआ करता है कि वे बहुत बढ़ा कर दावा करते हैं। अगर १० रुपया किराया असेसमेंट के हिसाब से है, रिजनेबिल रेंट है तो वे तीन चालीस रुपये माहवारी एग्रीड किराये का दावा करते हैं। जो गरीब किरायेदार केवल १० रु० के मकान में रहता है, जिसकी आमदनी १० रुपये के मकान में ही रहने की है उसको विवश होकर तीन-चार महीने का किराया फैसला होने के पहले इस अधिनियम के अन्तर्गत अदालतों में वही जमा करना पड़ता है जो मकान मालिक मांगता है और उसे विवश होकर परेशानी उठानी पड़ती है। यदि एग्रीड रेंट विधेयक में सुनिश्चित हो जाता तो आज इस विषय पर कोई विवाद अदालतों में नहीं चल सकता। इस संबंध में कहा यह जा सकता है कि मकान मालिक किरायेदारों को विवश करते हैं कि जरूरत पड़ने पर वे जो चाहें मनवा लें। इस विधेयक में भी इस प्रकार का नियम है कि यदि एग्रीड रेंट किसी प्रकार से एक्सेसिव हो तो किरायेदार अदालत में जा सकता है उसको माकूल कराने के लिये। उसी प्रकार से अब इस नये विधेयक में यह विधान रखा गया है कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां जा सकता है उसकी घोषणा कराने के लिये तो इन दोनों सूरतों में इस एग्रीड रेंट को अनिश्चित रखना उचित नहीं जान पड़ता। क्योंकि इस विधान के होने के बाद कलेक्टर रेंट डिक्लेअर कर सकता है तथा एग्रीड रेंट निश्चित कर सकता है। तो एग्रीड रेंट यदि अब भी अनिश्चित रखा गया तो अब भी कठिनाई बाकी रहेगी और मकान मालिकों तथा किरायेदारों के बीच में ऐसे ही मुकदमें चलते रहेंगे और कठिनाई होती रहेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को सुनिश्चित रूप दें, एग्रीड रेंट को अनिश्चित न रखें और इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और वह इस कारण से कि जिन माननीय सदस्य ने इसको रखा है यदि वह इस बिल को पढ़ने का कष्ट किये होते तो उनको अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता कि उनकी तमाम आशंकायें निर्मूल हैं और उनका कोई आधार नहीं है। यह खंड ४ बहुत लम्बा है और इसमें बिल्कुल साफ है:—

"If the annual rent claimed or payable is Rs.500 or less, and in the court of the Civil Judge, having territorial jurisdiction if it exceeds Rs.500, provided that the Court shall not vary the agreed rent unless it is satisfied that the transaction was unfair."

इस बिल में स्वयं सरकार की ओर से इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि यदि नाजायज दबाव से या किसी तरह से इस तरह का बढ़ा हुआ किराया हो तो मुन्सिफ या सब-जज को अधिकार है कि वह किराया ठीक कर दे। जो संशोधन सदन के सामने है यदि उसको मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे झगड़े और बढ़ जायंगे और अगर एग्रीड रेण्ट के माने यह होंगे कि जो लिखित रूप से तय होगा वह, तब भी परेशानी पैदा होगी और जो आगे वह चाहते हैं कि केवल रसीद से ही एग्रीड रेण्ट नहीं समझा जायगा तब तो आज तक जो यह होता है कि किरायेदार को मालिक मकान रसीद देता है, अगर यह परिभाषा कर दी जायगी तो मैं समझता हूं कि मुकदमों में कमी नहीं होगी, बल्कि उनकी तादाद बढ़ जायगी। इसलिये ३ (ए) में जो डेफीनिशन है रीजिनेबिल रेण्ट की व ठीक है और डी० एम० उसको ठीक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से निर्धारित कर ही सकता है फिर इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई मसला हल नहीं होता है बल्कि यह तो वह ऐसा कर रहे हैं कि जिससे मुकदमेबाजी और बढ़ जायगी और मालिक मकान और किरायेदारों के पारस्परिक जो सम्बन्ध हैं उनमें भी भेद आ जायगा और भविष्य में दोनों का अहित हो जायगा। इससे कोई सुधार नहीं होता, बल्कि जो कुछ है भी वह भी बेकार हो जायगा और जो झगड़े आप घटाना चाहते हैं वे और बढ़ जायंगे। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे संशोधन को स्वीकार न करे।

* श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय शुक्ल जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार को उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। एग्रीड रेण्ट का जहां तक मैं मतलब समझता हूं और जो मतलब माननीय शुक्ल जी ने समझा है वह वही है और उनका कहना यह है कि दो आदमियों में जो एग्रीमेंट हो वह लिखित हो तो बाद में झगड़े की गुंजायश नहीं रहती और 'एग्रीड' के माने अगर बाद में लगाये जायंगे तो इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जहां तक मैंने सुना है 'एग्रीड' के माने यह होते हैं कि जो दोनों आदमियों ने स्वीकार किया हो, तो फिर स्वीकार करने का परिणाम क्या है? अगर हम उसके दूसरे परिणामों में जायंगे तो मुकदमेबाजी बढ़ेगी और काफी झगड़े की गुंजायश रहेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें लम्बे विवाद की जरूरत नहीं है और जो शब्द शुक्ल जी ने संशोधन में रखे हैं वे उचित हैं और मैं समझता हूं कि उनको माननीय सदन स्वीकार करेगा और न माननीय अन्न मंत्री जी को ही उनके स्वीकार करने में कोई कठिनाई होगी।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महावीर प्रसाद जी शुक्ल ने जो संशोधन रक्खा है वह इस अधिनियम में जो एक बहुत बड़ी कमी है उसकी ओर उन्होंने संकेत किया है और सचमुच यह एक बहुत बड़ी कठिनाई को दूर करता है जो मकान मालिकों और उनके मकानों में रहने वाले किरायेदारों के बीच में झगड़े चला करते हैं। मकान में रहने वाला यह समझता है कि जब मैं इसमें रहता हूं तो जो उचित किराया है वह दूंगा और मकानमालिक चाहता है कि कंट्रोल रेट पर उसका मकान न उठे और जितना चाहता है टेनेंट्स (किरायेदारों) से लेकर उसको मकान देता है। जब टेनेंट उसको दे नहीं कर पाता तो उसको बहुत बड़ी परेशानी होती है। अब किसी टेनेंट के लिये यह बड़ा मुश्किल है कि इस बात के लिये लड़े कि उसका किराया, जो उसे देना पड़ता है वह उचित नहीं है। उसे मुंसिफ की कोर्ट में इसके लिये जाना पड़ता है। माननीय सदन जानता ही होगा कि मुंसिफ के यहां एक तो सालों में तारीख पड़ती है और वह इतना खर्चीला होता है कि टेनेंट उससे परेशान हो जाता है और उसके लिये फिर दो स्थितियां होती हैं कि या तो वह मजबूरन उस किराये को देता रहे या फिर उस मकान को छोड़ दे, तो मैं समझता हूं कि जो शुक्ल जी ने संशोधन रखा है वह बहुत ही उपयुक्त है। उपाध्यक्ष महोदय, और आपकी आज्ञा हो तो इसमें, जो मूल ऐक्ट में प्राविजन है उसको पढ़ दूं। जो ओरीजनल ऐक्ट है उसका क्लाज ५ का चौथा प्राविजन है जो इस प्रकार है :--

"If the landlord or the tenant, as the case may be, claims that the annual reasonable rent of any accommodation to whichthe Act applies is inadequate or excessive, or if the tenant claims that the agreed rent is higher than the annual reasonable rent, he may institute a suit for fixation of rent in the Court of the Munsif...."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में उसको मुंसिफ के कोर्ट में जाना पड़ेगा और किरायेदार की स्थिति हमेशा मकान मालिक से कमजोर रहती है। अक्सर नौकरी पेशा या गरीब लोग जिनके पास मकान नहीं है वह किराये के मकान में रहते हैं और उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह इस प्रकार के केसेज दायर करें और फिर उन पर फैसला लें। वह यह कर नहीं पाता और उसको मजबूरी होती है कि या तो जो रेंट है उसको देता रहे और यदि वह समझता है कि वह पे नहीं कर सकता है तो छोड़ दे। तो इस तरह से जो मकान मालिक हैं, उनके लिये बहुत बड़ा जरिया छोड़ दिया है, टिनेंट्स को भगाने और उनसे मनमाना रेट्स चार्ज करने का। इसलिये माननीय महावीर प्रसाद जी शुक्ल ने जो संशोधन रखा है वह एक बहुत बड़ी कमी को, जो इसमें रह गई है उसकी पूर्ति करता है और मैं समझता हूं कि उसको अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

**श्री बनारसी दास**--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शुक्ल जी ने जो संशोधन पेश किया है, मुझे बड़ा खेद है कि मैं उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। और मैं यह समझता हूं कि गेंदा सिंह जी ने और श्री जोरावर वर्मा जी ने जो अपने भाषण दिये हैं अगर वे गौर के साथ में इस विधेयक की पांचवीं धारा को देखें तो जहां तक रेंट के मुकर्रर होने का ताल्लुक है, उसमें एक नयी धारा शामिल की गई है कि जिस वक्त हमको मकान का एलाटमेंट हो तो टेनेन्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से अपना किराया भी निश्चित करा सकता है और किराया निश्चित करने के भी इसमें सिद्धान्त हैं। इसलिये यह उचित न होगा कि इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाय कि टेनेन्ट और लैण्ड लार्ड आपस में मिल करके एग्रीमेंट कर लें। इसका मंशा तो यह है कि अगर एग्रीमेंट भी हो तो वह रीजनेबिल रेंट के अनुसार हो। उनके सामने यह चीज है कि एग्रीड रेंट कोई जरूरी नहीं है। मौजूदा इस विधेयक के द्वारा वह अपना रेंट जिला मैजिस्ट्रेट से निश्चित करा सकते हैं।

इस संशोधन के द्वारा तो केवल शुक्ल जी यह चाहते हैं कि परिभाषा में एग्रीड रेंट को शरीक कर दिया जाय और एग्रीड रेंट की व्याख्या कर दी जाय। तो इस वक्त में जब कि एग्रीड रेंट की कोई व्याख्या नहीं है और जैसा कि अभी जोरावर वर्मा जी ने कहा कि इस मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (४) के अनुसार कोई भी मुकदमा कोर्ट में जा सकता है तो आज कौन सा प्रतिबन्ध है यदि कोई टेनेन्ट अपना लिखित एग्रीमेंट करना चाहता है तो वह न करे। लिखित एग्रीमेंट आज भी वह कर सकता है और उनका एग्रीमेंट जबानी भी हो सकता है। अगर आप इस व्याख्या को करते हैं तो काफी ऐसे टेनेंट आपको मिलेंगे जो कि इग्नोरेंट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जायंगे नहीं रीजनेबिल रेन्ट को फिक्स कराने के लिये कुछ अपनी सामयिक मुसीबतों से परेशान होकर और वह किसी भी मकान मालिक के शिकार हो जायंगे। उसको क्या जरूरत है कि वह मकान मालिक के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट करे जब कि उसे मौजूदा विधेयक के द्वारा यह सुविधा मिल रही है कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपना रेण्ट फिक्स करा सकता है। तो इसलिये एग्रीड रेंट की अगर हम व्याख्या करते हैं कि एग्रीमेंट इन राइटिंग तो उसका मतलब यह होता है कि जब वह टेनेण्ट धारा ५ (४) के मुताबिक यदि उसको क्वेश्चन करना चाहे तो उसमें यह प्रतिबन्ध है कि एग्रीड रेंट को कोई भी सिविल कोर्ट छू नहीं पायेगी। मकान मालिक टेनेंट्स की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाकर उनसे लिखित एग्रीमेंट करायेंगे और अगर एग्रीमेंट लिखित हो तो सिविल कोर्ट उसे मानेंगे ही, तो यह जबरदस्ती होगी।

जहां तक लिटीगेशन का सवाल है वह तो जो इसमें सुधार किये गये हैं, उनसे दूर हो जायगा। क्योंकि रेंट तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा फिक्स हो जायगा और जो हम नयी धारा पहली धारा के बजाय परिवर्तित करने जा रहे हैं, तो उससे जो आवश्यक संशोधन वह चाहते हैं, हो जायंगे। अब केवल इतना सवाल रह जाता है कि इस धारा ५ की उपधारा (४) के अनुसार यदि उस एग्रीड रेंट का रीजनेबिल रेंट के बारे में कोई झगड़ा है तो हम उसको रोक नहीं सकते कि कोई आदमी सिविल कोर्ट में जाये, लेकिन जब तक सिविल कोर्ट की कोई बाइन्डिंग नहीं हो जाती उस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का निश्चित किया हुआ किराया अंतिम माना जायगा इसलिये परिभाषा के अन्दर एग्रीड रेंट की परिभाषा को शरीक करना मैं टेनेंट के हित में नहीं समझता। इसलिये मुझे खेद है कि मैं शुक्ल जी का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं और मुझे आशा है कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

**श्री महावीरप्रसाद शुक्ल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं माननीय मंत्री जी के तर्क से सहमत नहीं हूं। परन्तु मैं उनकी इच्छा के अनुसार इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

**श्री उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड ४

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४७ की उप–धारा ३ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम धारा ३ में :—

(१) उपधारा (१) के खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*a*) that the tenant is in arrears of rent for more than two months and has failed to pay the same to the landlord within one month of the service upon him of a notice of demand."

(२) उक्त उपधारा के खंड (*c*) में शब्द "permission" के पश्चात् शब्द "in writing" रख दिये जायं;

(३) उक्त उपधारा के खंड (*f*) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*g*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*g*) that the tenant was allowed to occupy the accommodation as a part of his contract of employment under the landlord and his employment has been determined."

(४) उप-धाराओं (२) से (४) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(2) Where any application has been made to the District Magistrate for permission to sue a tenant for eviction from any accommodation and the District Magistrate grants or refuses to grant the permission, the party aggrieved by his order may within 30 days from the date on which the order is communicated to him apply to the Commissioner to revise the order.

(3) The Commissioner shall hear the application made under sub-section (2), as far as may be, within six weeks from the date of making it and he may, if he is not satisfied as to the correctness, legality or propriety of the order passed by the District Magistrate or as to the regularity of proceedings held before him, alter or reverse his order, or make such other order as may be just and proper.

(4) The order of the Commissioner under sub-section (3) shall, subject to any order passed by the State Government under section 7-F be final."

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप की आज्ञा हो तो मैं श्री वीरेन्द्रपति यादव के बजाय इस संशोधन को पेश कर दूं।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं :

खंड ४ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (a) की प्रथम पंक्ति में शब्द "two" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन बहुत ही सोधा-सादा है। इसका अभिप्राय यह है जो कि टेनेंट जिस पर दो महीने का किराया बाकी हो उसको ऐविक्ट कराने के लिए केस दायर हो सके । मैं चाहता हूं कि उस पर अगर दो महीने के बजाय तीन महीने का किराया बाकी हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (a) की प्रथम पंक्ति में शब्द "two" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

खंड ४ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में जिस खंड के निकालने की बात कही गई वह इस प्रकार है—

"that the tenant is in arrears of rent for more than three months and has failed to pay the same to the landlord within one month of the service upon him of a notice of demand."

श्री बनारसी दास—श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन पेश किया है और जो अभी आपने मंजूर किया है उसके बाद यह रिडन्डेंट हो जाता है। जब कि आपने ३ महीने वाला संशोधन मान लिया है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कोई पाइंट आफ आर्डर तो नहीं ।

श्री बनारसी दास—मैंने यह कहा कि जो चीज तय हो गई उसको लाने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आपत्ति ठीक है।

(इस समय ४ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, जो चीज मैं निकलवाना चाहता हूं वह इस प्रकार है जो कि इस विधेयक के मूल अधिनियम की धारा ३ में इस प्रकार वर्णित है :—

"that the tenant is in arrears of rent for more than to two months and has failed to pay the same to the landlord within one month of the service upon him of a notice of demand."

और यह माननीय सदन को अच्छी तरह से.....

अधिष्ठाता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इसको अवैधानिक घोषित किया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि एक तरफ की बात सुनी गई और दूसरी तरफ की नहीं।

अधिष्ठाता—आप बैठ जाइये। अभी उपाध्यक्ष महोदय ने इसको अवैधानिक करार दिया है इसलिये अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई बहस हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—पाइंट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कोई रूलिंग नहीं दी, उन्होंने तो यह कहा कि मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। मैं समझता हूं इस सदन की परम्परा के लिये यह आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो वह जाते-जाते कह गये, इस मेरे पाइंट आफ आर्डर के सम्बन्ध में मुझे भी मौका दिया जाय वह पूरा नहीं हुआ और आप मुझे इसका मौका दें। आपको पूरा अधिकार है, आप मुझे मौका दें तो मैं साबित करूं कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं था।

अधिष्ठाता—अभी-अभी उपाध्यक्ष महोदय इसको अवैधानिक कह चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर दूसरी रूलिंग देने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री गेंदा सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) में प्रस्तावित नये खंड (*g*) की पंक्ति १ व २ में शब्द 'accommodation' और शब्द 'as a part' के बीच में शब्द 'rent-free' रख दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, यह मूल अधिनियम की धारा ३ है, उसमें इस प्रकार है उपधारा (*g*) "that the tenant was allowed to occupy the accommodation as a part of his contract of emplyment under the landlord and his employment has been determined."

यहां ऐसा भी हो सकता है कि लैंडलार्ड से मकान टेनेंट को मिला था और वह मकान रेंट फ्री भी मिल सकता है। ऐसी हालत में चाहे व किराया देता हो तो इसमें गुंजायश है कि अगर किराया न देता हो और नौकरी करता था और उस नौकरी की एवज में वह उस मकान में रहता था तो इस तरह से रेंट फ्री बढ़ा देने से ऐसे लोगों को गुंजायश हो जायगी और सख्ती के साथ वह निकाले नहीं जा सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह सम्भव है कि शायद भूल से छूट गया हो। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री बनारसी दास--अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं माननीय गेंदा सिंह जी का मंशा ऐसा मालूम होता है कि जो रेंट फ्री बिल्डिंग है और वहां कोई इंडस्ट्री चलती है उसमें भी इसे स्वीकार किया जाय। इम्प्लायमेंट के कांट्रेक्ट में यह चीज है कि किराये पर मकान दिया जायगा और किन्हीं कारणों से उसकी नौकरी खत्म हो गई और यह कानून लागू रहा तो उसके स्थान पर जो दूसरा कर्मचारी आयेगा उसको मकान नहीं मिल सकेगा। इससे प्रांत के अन्दर इंडस्ट्रीज के चलने में बड़ी कठिनाइयां होंगी और प्रान्त के अन्दर इस तरह की काफी कठिनाइयां थीं कि एक इंडस्ट्री चलती है और वहां कुछ मकान बने हुये हैं, वहां के कर्मचारियों के लिये और उनकी सरविस किन्हीं कारणों से खत्म हो गई और मकान से निकालने का अधिकार नहीं है तो उसके स्थान पर जो दूसरा लेबर आयेगा वह कहां रहेगा। यहां पर यह जो क्लाज है वह किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के हक में नहीं है बल्कि जो आदमी काम करेंगे उनकी सुविधा के लिये है, चाहे रेंट फ्री हो या रेंटेड हो, इसमें कोई डिसक्रिमिनेशन करना ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि किसी इंडस्ट्री में निकाले गये आदमी के स्थान पर कोई मजदूर या कर्मचारी आयेगा तो उसके रहने की व्यवस्था करने के लिये इसको समावेश करने की अत्यन्त आवश्यकता मालूम पड़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वह अपने संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब माननीय गेंदा सिंह जी ने यह संशोधन रखा तो थोड़ा बहुत आधार यह भी था कि विधेयक में वह धारा बिल्कुल साफ नहीं है। जब माननीय सभा सचिव ने साफ किया तो मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह स्पष्ट कर दे कि ऐसे केसेज के बारे में क्या होगा। मान लीजिये कि एक इंश्योरेंस कम्पनी एक आदमी को अपने यहां एम्प्लाय करती है और कांट्रेक्ट में उसको एक मकान रहने को देती है और वह नौकरी छोड़ देता है और मकान मालिक का रेंट देता रहता है तो उसके मकान का क्या होगा? और यहाँ प्रतिबन्ध यदि इंडस्ट्रियल मामले के सम्बन्ध में हैं तो वह सचिव महोदय के दिमाग में भले ही हो, विधेयक में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। इसलिये इसको स्पष्ट करने के लिये फैक्टरी का शब्द वहां अवश्य रख दिया जाना चाहिये। ऐसे भी केसेज आ सकते हैं जहां इंडस्ट्री ही नहीं और भी मामले उठ सकते हैं, जहां एम्पलायमेंट की कंडीशन में मकान का भी स्थान हो सकता है। तो अगर सरकार की तरफ से इंडस्ट्री शब्द यहां रख दिया जाय या इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट के लिए ऐसा हो, यह स्पष्ट कर दिया जाय, तो उस हालत में माननीय गेंदा सिंह को संशोधन वापस लेने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसा कि विधेयक में प्रावीजन है तो उससे कानूनी दिक्कतें होंगी, तो "इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट" या जो भी शब्द मुनासिब समझें वहां रख दिया जाय।

अधिष्ठाता--तो आप उसके लिये कोई संशोधन दूसरा दीजिये?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अगर सभासचिव नहीं देंगे तो बाद में मैं दे दूंगा। इसलिये मैं माननीय गेंदा सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं, जब तक कि स्पष्टीकरण न हो जाय, जिसके लिये कि गेंदा सिंह जी कह सकते हैं कि बहुत से केसेज हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिये जो सभासचिव ने बात कही तो वह भी मुनासिब हो सकती है। इसलिये यह विधेयक की संबंधित धारा बिल्कुल साफ हो जानी चाहिये।

श्री बनारसी दास--सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैंने जो एक उदाहरण के तौर पर बात कही उससे त्रिपाठी जी को थोड़ा भ्रम हुआ। वास्तव में मैंने केवल एक इंडस्ट्री के प्रश्न पर थोड़ा सा महत्व दिया था, लेकिन यह क्लाज तो बिल्कुल साफ है, उसमें लिखा है कि,--

"(g) that the tenant was allowed to occupy the accommodation as a part of his contract of employment under the landlord and his employment has been determined."

तो लैंड लार्ड की व्याख्या तो देख ही चुके हैं। मान लीजिये कि एक कोठी है, उसका आउट हाउस है और वहां को किसी प्राइवेट सर्वेन्ट को कोठी के किरायेदार में, जो चीफ टिनेंट हो गया और लैंड लार्ड की हैसियत रखता है, उसको रहने के लिये दे दिया। नौकर को उसके बाद उन्होंने वहां से अलग कर दिया तो वह आउट हाउस जो उस कोठी का एक हिस्सा है उसमें जब दूसरा नौकर आयेगा तो वह कहां रहेगा। इसी प्रकार से मान लीजिये कि कोई बिजनेस है, कोई सिनेमा है, बिजली घर है, स्कूल है, तो उसकी एक व्यापक व्याख्या करनी होगी। अगर किसी स्कूल के मैनेजमेंट ने कुछ टीचर्स को रखा, स्कूल के कुछ मकान हैं और एम्पलायमेंट की एक कंडीशन है कि हम तुमको मकान देंगे। जब उस टीचिंग इंस्टीटच्यूशन से वे टीचर्स और क्लार्क्स जुदा हो गये और दूसरों की आवश्यकता हुई तो तब क्या होगा। तो जिस रूप में यह क्लाज है, उससे इंडस्ट्री भी कवर होती है, एजूकेशनल इंस्टीटच्यूशंस भी कवर होते हैं और उसके अलावा अगर किसी कोठी ने एक प्राइवेट नौकर को आउट हाउस दे देते हैं तो वह भी उससे कवर हो जाता है। अगर इसको इसमें से निकाल देते हैं तो बड़ी कठिनाई हो जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि यहां कोई इंडस्ट्री का ही प्रश्न नहीं है। इंडस्ट्री चूंकि विशेष रूप से मेरे दिमाग में थी, इसलिये मैंने विवेचन करते हुए यह निवेदन किया था और चूंकि कठिनाइयां इसके वर्किंग में अमल में आईं, इसी वजह से इसका समावेश यहां किया गया है।

इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि इस पर विचार करें और अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

श्री गेंदासिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इतने निवेदन के साथ कि रूल्स बनाते समय इस बात का ध्यान माननीय अन्न मंत्री जी रखें कि इसका दुरुपयोग न होने पाये, इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--माननीय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (३) में प्रस्तावित खंड (g) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (h) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(*h*) that the house owner requires any accommodation for his personal use."

श्रीमन्, धारा ३ में पुराने अधिनियम में आज तक इस बात का ध्यान रखा गया था कि कुछ कारण के रहते हुए मकान मालिक को इस बात की जरूरत न थी कि वह जिलाधीश महोदय से इस बात की अनुमति ले कि वह अपने किरायेदार को उस मकान से बेदखल करना चाहता है या हटाना चाहता है। उन कारणों में से एक तो यह था कि जो लगान न दे या उस मकान को नष्ट-भ्रष्ट करता हो या उसने मकान की रूप-रेखा बदल दी हो या उससे इस तरह का कोई न्यूसेंस पैदा हो गया हो जिससे कि उसको विशेष क्षति पहुंचने की आशंका हो। पहली जुलाई सन् ४६ के उपरान्त जिसने किराया न दिया हो या उसके स्वत्व या उसके अधिकार को इस तरह से कोई आपत्ति में डालता हो जिससे कि उसके अधिकार के खो जाने की आशंका हो और (g) यह है कि जो लोग किसी मुलाजिमत में रहते रहे हों और मुलाजिमत उनकी न रहे तो उनका मकान खाली कर दिया जाय। उसी के साथ-साथ मैं यह चाहता हूं श्रीमन्, कि जहां पर इस बात को आवश्यकता इस जगह नहीं है कि जिलाधीश की आज्ञा या अनुमति ली जाय तब कोई मालिक मकान किसी अदालत में जा सके, वैसे ही जब कि मालिक मकान को आवश्यकता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो कि वह कोई घर चाहता हो तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं प्रतीत होती है कि जिलाधीश महोदय से इस बात की आज्ञा मांगी जाय। इसी रेंट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में एक माननीय सदस्य श्री ज्योति स्वरूप गुप्त, एम० एल० सी० ने इसके विषय में यह कहा कि मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है। यदि उन मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय तो उसके साथ यह भी देखना जरूरी होता है कि क्या इस बात की आवश्यकता है या अगर आवश्यकता है तो ऐसी सूरत में जितने कम दिन तक वह प्रतिबन्ध उस पर रखा जाय उतना ही ठीक है। मैं उन्हीं की दो लाइनें कोट कर रहा हूं :—

"Our Constitution has garanteed to its citizens the fundamental right to acquire hold and dispose of property" under Article 19(1)(*f*) and the only limitation to this right is permitted under clause 5 of the Article where such limitation is deemed essential in public interest. The High Court has, no doubt, adjudged the restrictions imposed under the Rent Control Act not to be unreasonable being in public interest, but it does not mean that restrictions affecting fundamental rights of the citizens can be allowed to continue indefinitely even when conditions necessitating such limitations have changed. Any restriction, therefore, sought to be imposed should not be repugnant to reason or beyond the requirements of the situations as may be found to prevail in different localities from time to time."

श्रीमन्, इसको देखते हुए यह प्रत्यक्ष है कि यदि मालिक मकान को इस बात की आवश्यकता हो, अपने जाती इस्तेमाल के लिये तो मैं यह समझता हूं कि इन मौलिक अधिकारों को देखते हुए जो कि हमारे भारतीय संविधान द्वारा दिये गये हैं, इस पर किसी तरह का प्रतिबन्ध तभी तक आवश्यक समझा जाता है या किसी माने में क्षम्य हो सकता है जब तक कि इसके लिए अनिवार्य हो। और इसके लिए एक अवधि भी होनी चाहिये। मैंने यह देखा कि एक रवैया है किरायेदारों का जो कि यह समझते हैं कि यदि किसी मकान में वह रहते हैं तो वह उनकी एक ऐसी सम्पत्ति है जिस पर किसी दूसरे का हक बाकी नहीं रहता है। पैतृक सम्पत्ति से अधिक हक उनका होता है। वह यह समझते हैं कि जिस घर में वह घुस गये उसके लिये निकालने का प्रश्न किसी भी दशा में पैदा नहीं होता। श्रीमन् मुझे यह कहना है कि आज मालिक मकान की वह दशा है कि चाहे वह बीमार हो, मरता हो, रोगावस्था में हो, या किसी भी दुःख या पीड़ा के अधीन हो, चाहे उसको यह भी कहा गया हो डाक्टर द्वारा कि केवल एक चेंज के लिये इस जगह से बंगला बदल कर दूसरी जगह चले जाओ, तो भी उसको जगह नहीं मिलती। आज इसी रिपोर्ट के अन्दर जिसके अधीन यह विधेयक लाया गया है और जिसके माननीय बनारसी दास जी अध्यक्ष थे, यह ठीक है कि हम लोग किसी के भी अधीन रह कर फलना फूलना चाहते थे. लेकिन कुछ न कर पाये, लेकिन माननीय बनारसी दास जी माननीय गुप्ता जी के अधीन रह कर भली भांति फूल चुके हैं। श्रीमन् कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जब कि मकान मालिक को अपने पर्सनल यूस के लिए मकान की जरूरत हो तो इसकी सुविधा उसको फौरन दे देनी चाहिये। यही नहीं बल्कि मरम्मत मकान के लिए भी आजादी हो जिससे उस मकान को गिरने से रोक सके। मैं पेज २३ पर चेप्टर ५ पर रेंट कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी—

श्री बनारसीदास—उसको जरा पढ़ लीजिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—इसमें यह है कि—

"2. Representatives of house-owners demanded that permission of the District Magistrate under Section 3 should not be necessary in any case.

They said that civil courts were equally, if not more, competent bodies to adjudge the genuineness of the demands of the landlords for getting their houses vacated from tenants. An alternative suggestion was that. the following grounds should be added to those given in Sub-section (*a*) of Section 3 :

(i) If the house-owner requires any accommodation for his personal use;"

श्रीमन्, जहां तक इन चीजों का प्रश्न है, यही नहीं बल्कि बहुत सी जगह तो यह भी हुआ है कि अदालतों के द्वारा मालिक मकान को मकान दिलाया गया, लेकिन जिलाधीश महोदय प्रसन्न नहीं थे इस कारण दीवानी के फैसले को भी मान्यता नहीं दी गयी। मौलिक अधिकार की बात तो छोड़िये। कौन सा इसमें ऐसा सदस्य है जो अपनी सम्पत्ति पर अपना अधिकार न चाहता हो। माननीय गुप्ता जी को इसमें आनन्द आयेगा कि पानदरीबा पर उनकी आलीशान कोठी है जो आज की ही नहीं बहुत पुरानी है, अगर किसी वजह से वह उनके अधिकार से निकल जाय और माननीय गुप्ता जी के बजाय उस पक्ष के मेरी तरह इस पक्ष में आ जायं तो क्या वह इसमें आनन्द का अनुभव करेंगे कि अपने घर को वह कुछ दिनों के लिये भी प्रयोग न कर सकें। साथ ही साथ यही नहीं माननीय बनारसीदास इस विषय में इतना ही कह सकते हैं कि मालिक मकान किरायेदार से मकान उसी वक्त खाली करा सकता है जब कि किरायेदार के लिये दूसरे मकान की व्यवस्था हो जाय। श्रीमन्, इस हद तक होता तो मुझे कोई आपत्ति न होती। अगर मालिक मकान चाहता है कि एक तरह से एक्सचेंज हो तो इसमें कोई आपत्ति न होती, क्योंकि रेंट कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती कि मकान मालिक को मकान दिलाया जाय, लेकिन शर्त यह है कि किरायेदार के लिये प्रबन्ध कर दिया जाय। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में मकान मालिक किरायेदार के लिये दूसरे मकान का प्रबन्ध कर दें, लेकिन बहुत सी ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जब कि मकान मालिक अपने लिये ही मकान का प्रबन्ध न कर सकता हो तो वह दूसरों के लिए मकान का प्रबन्ध कहां से कर सकता है। जैसे किसी का मकान बनारस में एक ही हो और उसे उस मकान की जरूरत हो तो फिर क्या मकान मालिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार अपनायेगा या रेंट कंट्रोल ऐण्ड एविक्शन आफिसर के अधिकार अपनायेगा, जिससे किरायेदार के लिये वह मकान का प्रबन्ध कर सके। श्रीमन्, यह बात ऐसी थी जिस पर कि माननीय मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये था। लेकिन यह संशोधन जिस रूप में था उसी सूरत में ही होता कि मकान मालिक को मकान दिलाया जा सकता है अगर वह किरायेदार के लिये मकान का प्रबन्ध कर दे। तब भी मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और किस लिये नहीं दिया गया यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जो स्वयं विवाद के लिये उपस्थित हैं वे इस पर प्रकाश डालेंगे, हालांकि उनमें चातुर्य है, बुद्धि है कि वे कुछ न कुछ कह दें, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि मकान मालिक के साथ एक क्या, अनेकों प्रकार के अन्याय क्यों हो रहे हैं। कहा गया कि सन् ४६ के लगाये गये टैक्सेज के १/३ की किराये में वृद्धि करवा दी गई है तो मेरी समझ में इसमें कोई बड़ी मेहरबानी नहीं की गई, क्योंकि इससे कोई फायदा दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई सुधार इस विधेयक में नहीं किया गया जिससे यह मालूम होता कि मालिक मकान के लिये भी कुछ गुंजायश है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका केवल यही है। सन् ४६ से न जाने कितना बोझा उनके ऊपर लादा गया। इस सिलसिले में संशोधन आगे हैं, जिस समय वे आयेंगे उस समय मैं उस सम्बन्ध में कहूंगा। मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि माननीय मंत्री मेरे इस संशोधन पर अपने विचार सोच-विचार कर प्रकट करें। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि रेंट कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी जो माननीय बनारसी दास की अध्यक्षता में बैठी वह हर मानी में काबिलेतारीफ कमेटी थी उसकी सब सिफारिशों पर इस विधेयक में गौर किया गया लेकिन

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

जहां माकान मालिकों के रहने का प्रश्न हो वहां पर ध्यान नहीं दिया गया, इसकी क्या वजह है ? जो पुराना तरीका था वह अब भी उसमें विद्यमान है। उनके लिये खाली कराने का तरीका अब भी उसमें है। उसके लिये कोई चारा नहीं था और न आज ही है। एक घर जिसमें उसके मालिक का रहने का मौलिक अधिकार है और उसका यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपने घर में रहे और उसको इस्तेमाल करे और इसके लिये संविधान की बात अलग है, लेकिन होता क्या है यह सब जानते हैं। आज जन्मसिद्ध अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट का है और लखनऊ की तो यह हालत है कि यहां पर माननीय मंत्री जी भी हस्तक्षेप करने के लिये उतारू हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि मालिकों के लिये कोई सुविधा न रखी जाय और उनके लिये कोई नियम न रखा जाय।

श्री रतन लाल जैन—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दिया। उसके सम्बन्ध में उनको काफी भ्रम है जिसके कारण उन्होंने ऐसा कहा। प्रश्न यह है कि यह बात तो इस कानून में रखी गयी है कि अगर मालिक मकान अपने लिये मकान रखना चाहता है तो अपने इस्तेमाल के लिये वह खाली हो सकता है। मगर इस प्रश्न को कि उनको वास्तव में आवश्यकता है या नहीं। यह जिला मैजिस्ट्रेट ही तय करे या मुन्सिफ तय करे सिर्फ यह प्रश्न है। आपने जो संशोधन रखा है वह धारा ३ में है उस धारा में जहां और भी कुछ बातें दी गयी हैं एक चीज यह है कि मकान खाली हो सकता है उसके अन्त में बढ़ा दिया जाय। उसका अर्थ यह होता है कि जिला मैजिस्ट्रेट की इजाजत की आवश्यकता नहीं है और मुन्सिफ के यहां मुकदमा दायर होगा और मुन्सिफ इस बात को जांचेंगे कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। उसका अर्थ यह होता है कि जो कंट्रोल ऐक्ट इस समय है उसमें जो सरकार की तरफ से रूल्स बने हैं उसमें यह दिया हुआ है कि :—

"Provided always that the District Magistrate shall at any time after such allotment, on being satisfied on the application of the landlord that he requires the accommodation bonafide for his personal residence, grant him permission under section 3 of the Act for ejectment of the tenant."

जहां तक बेदखली का संबंध है इस कानून में मुन्सिफ को यह राइट दिया है कि बेदखली मुंसिफ करेगा। मगर इस बात की जांच कि वह अपने निजी फायदे के लिये या किराये के लिये चाहता है इसकी जांच जिला मैजिस्ट्रेट करे। मैं यह समझता हूं कि इसकी जांच के लिये जिला मैजिस्ट्रेट उपयुक्त है बनिस्बत मुन्सिफ के। जैसा कि आज मुंसिफ की अदालत है उन अदालतों में गवाहों की जरूरत पड़ती है और गवाहों का बयान होता है और गवाह कैसे होते हैं इसको हम सब जानते हैं, मगर जिला मैजिस्ट्रेट के पास बहुत कुछ ऐसे साधन हैं जिससे वह यह समझ सकता है कि इसको वास्तव में आवश्यकता है या नहीं। इस तरह की बातों को जांचने का मौका ज्यादा जिला मैजिस्ट्रेट को है। सिर्फ सवाल यह है कि कौन जांच करे। मैं यह समझता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट जांचने के लिये ज्यादा उपयुक्त है बनिस्बत मुंसिफ के। मुन्सिफ के मायने यह हैं कि उसकी अदालत में जायगा और उसको जांचना पड़ेगा कि इसको वास्तव में आवश्यकता है या नहीं। आप यह समझें कि मुन्सिफ की जांच के मुकाबले में जिला मैजिस्ट्रेट के पास ज्यादा साधन जांचने के हैं कि इसको आवश्यकता है या नहीं। जहां तक आपने कहा कि खाली होना चाहिये अपने पर्सनल यूज के लिये, इसमें तो दो राय नहीं है। जरूर खाली होना चाहिये। मैं मानता हूं, माननीय मंत्री जी भी मानते हैं और यह कानून में भी है। सिर्फ प्रश्न यह है कि इस प्रश्न को कौन तय करे मेरे दृष्टिकोण में जिलाधीश ज्यादा उपयुक्त है जो पहले से मौजूद है इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**राजा वीरेंद्रशाह**--मैं एक बात आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं।

**अधिष्ठाता**--हां, कहिये।

**राजा वीरेन्द्र शाह**--८ तारीख से इस सदन की छुट्टी हो रही है। मैं यह समझता हूं कि ६ और ७ को धारा सभा की बैठक न हो और २ दिन की छुट्टी और बढ़ा दी जाय तो इस प्रकार से ७ दिन हो जावेंगे क्योंकि १३ तक मुलतवी होगा। इससे लोगों को सुविधा होगी।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--सोमवार और मंगल को तो बैठने का इरादा है। मैंने माननीय नेता विरोधी दल से कहा था कि गा तो वह कल बैठ लें तो उधर ८,९,१०, ११ और १२ पांच दिन हो जाते। लेकिन उनको शायद उसमें असुविधा थी, वह कहीं कार्यवश जा रहे है और उनकी किसी पार्टी की मीटिंग है। इसलिये हम उस निर्णय पर नहीं पहुंच सके। हम ६ और ७ को बैठने का इरादा रखते हैं।

**श्री राजनारायण**--एक बात जरा साफ नहीं हुई कि उधर जो छुट्टी होगी लगातार वह ५ दिन से आगे होगी या ४ दिन की ही रहेगी, क्योंकि जब ५ दिन की छुट्टी होती है तो उसमें खजाने पर असर पड़ता है, जिसे हम हाउस में कई बार कह चुके हैं। तो अगर छुट्टी केवल ४ दिन की होने वाली है तो हमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--यह तो आपको स्वयं ही तय करना है क्योंकि अभी माननीय वीरेंद्रशाह जी ने यह कहा था वह घर जाने के लिये ५ दिन की छुट्टी चाहते हैं सरकार को मंजूर है कि कल बैठ जावें और ८ से १२ तक छुट्टी रख सकते हैं।

**राजा वीरेन्द्र शाह**--ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं है कल बैठ लें।

***श्री हरि सिंह** (जिला मेरठ)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय अवधेशसिंह जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मकान वाला अपनी आवश्यकता के अनुसार किरायेदार से मकान खाली करा सकता है। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जिस दिन मकान वाला अपना मकान किरायेदार को देता है क्या उस समय उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है और जब किरायेदार को आवश्यकता होती है तो, तब मकान वाले की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसलिये यदि वह यह सोचें कि किरायेदार की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि मेरी है तो मनुष्य के नाते या परस्पर प्रेम के नाते यह आवश्यक हो जाता है कि वह उसकी आवश्यकता को समझते हुये, उसे इस बात के लिये बाध्य न करे कि उससे मकान छड़ावे बल्कि वह सोचें कि यदि मुझे आवश्यकता है तो जिस प्रकार उस किरायेदार ने मकान किराये पर लिया है उसी प्रकार वह मालिक भी मकान दूसरा किराये पर लेने के लिये उद्यत हो। इस बात को सामने रखते हुये एक प्रश्न उठता है कि अपनी सम्पति पर अधिकार कौन नहीं चाहता। मेरी समझ में तो बात इस प्रकार से है कि जो रुपया उसमें लगाया गया है केवल वही नहीं लगा। उसमें भूमि की ईटें लगी हैं, चूना और लोहा लगा है जिन चीजों पर केवल उसी का अधिकार नहीं है किरायेदारों का भी उसी पर अधिकार है, महज सरमायेदार या पैसे वाले का ही अधिकार नहीं है। वह राज्य का धन है और उस पर गरीब मजदूरों और मध्यम वर्ग का भी अधिकार है न कि केवल सरमायेदारों का जिनके पास यह मौजूद है। अगर कोई मकानदार अपने मकान को उठा देता है और आवश्यकतानुसार उसको खाली करा ले सकता है तो फिर इस अधिनियम की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। फिर तो उनको खुली छूट है वे अपने मकानों को खाली करा लें और दूसरे गरीब लोग जंगलों और मैदानों में पड़े रहें। यदि आपको अधिक किराये की आवश्यकता होगी तो आप अपनी आवश्यकता जाहिर करके निर्धन किरायेदार से मकान को खाली करा लिया करेंगे मैं ऐसे संशोधन का घोर विरोध करता हूं। मेरे विचार में तो ऐसा संशोधन इस सदन में प्रस्तुत ही नहीं होना चाहिये था जो कि मानवता को घृणा की दृष्टि से देखता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिसिंह]

है। क्या यह घोर अमानवता नहीं कि कोई अपने आराम के लिये किसी से मकान खाली करा ले ? क्या उसको आवश्यकता है तो दूसरे को कोई आवश्यकता नहीं है ? दयालुता और श्रद्धा तो तब होती जब किसी मकान के खाली कराने के लिये अदालत में कभी न जाते। मेरे विचार में तो मकानदार को अदालत में दावा दायर करने का अधिकार ही न होना चाहिये, लेकिन अगर किरायेदार दावा दायर करना चाहे तो वह कर सके, क्योंकि वह किराया देता है। मकानदार तो जितनी उसकी संपति होती है उससे चार गुना किराया वसूल कर लेता है। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी बात किसी तरह से भी अलाऊ नहीं करनी चाहिये। एक ऐसा नियम होना चाहिये कि अगर किसी के मकान का कुल रुपया वसूल हो जाय तो वह मकान उस किरायेदार का ही हो जाय, लेकिन इस प्रकार का खाली कराने का कोई अधिकार किसी को नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं।

**श्री शिवनारायण**---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री बनारसी दास कमेटी की रिपोर्ट में से माननीय अवधेश प्रताप सिंह के संशोधन के विरोध में कुछ लाइनें पढ़ देना चाहता हूं:

"But if the present tenant vacates the house at any time and the out-houses are needed by any of his successors, he (the successor) should be entitled to get the out-houses vacated by applying to the District Magistrate in the regular course. The District Magistrates should allow evictions from the out-houses in such cases, as if they were required by the landlord for his personal use."

**अधिष्ठाता**---अब आप रहने दीजिये, अब हम उठते हैं, सोमवार को ११ बजे दिन में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३ सितम्बर, १९५४।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

सन् १९५३ में रामपुर जिले में अपराधों के आंकड़े

| डकैतियां | राहजनी | कत्ल | दंगे | चोरी | नकब जनी | जानवरों की चोरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | ८ | १८ | ४५ | २९१ | २२१ | ५५ |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर।)

जौनपुर जिला के प्रत्येक थाने के क्षेत्र में बनी हुई ग्राम-रक्षा समितियों की संख्या

| क्रम-संख्या | नाम थाना | बनी हुई ग्राम-रक्षा समितियों की संख्या |
|---|---|---|
| १ | मछलीशहर .. | .. २३२ |
| २ | मीरगंज .. | .. १५७ |
| ३ | रामपुर .. | .. १६५ |
| ४ | मड़ियाहूं .. | .. २९२ |
| ५ | सुजानगंज .. | .. २७३ |
| ६ | बादशाहपुर .. | .. १४९ |
| ७ | कोतवाली .. | .. १२६ |
| ८ | केराकत .. | .. २०२ |
| ९ | सरायख्वाजा .. | .. १८७ |
| १० | बक्शा .. | .. १९२ |
| ११ | सरपतहा .. | .. २२२ |
| १२ | बदलापुर .. | .. २४२ |
| १३ | जलालपुर .. | .. २०० |
| १४ | शाहगंज .. | .. १५६ |
| १५ | चन्दबक .. | .. १३१ |
| | | कुल योग २,९२६ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७–३६ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

| अपराध | संख्या जिनकी रिपोर्ट थाने में की गई। | जितने मामलों को पुलिस ने चलाया। | जितनों मुकदमों में सजायें हुई | जितने छूटे |
|---|---|---|---|---|
| चोरी .. | ४५ | २५ | १४ | ६ |
| नकबजनी .. | ५७ | ६ | २ | ६ |
| डकैती .. | .. | .. | .. | .. |
| राहजनी .. | .. | .. | .. | .. |
| क़त्ल .. | ३ | ३ | २ | १ |
| मामूली मारपीट .. | २११ | .. | .. | .. |

दंड विधि संग्रह Cr. P. C. की धारा १०७–११७ के अधीन पुलिस ने ४८ मामलों में कार्यवाही की और १५ मामलों में दंड दिये गये।

दंड विधि संग्रह की धारा १४५ के अधीन पुलिस ने ११ मामले उचित कार्यवाही के लिये अदालत में पेश किये और अदालत ने कार्यवाही की मंजूरी दे दी।

---

संसद पुस्तकालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १३८ एल० ई०—१६५४—८५०।